भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियां)

1989 की संख्या 5

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियां)

1989 की संख्या 5

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	...	X
विहंगावलोकन	...	XI
अध्याय 1 सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि	1.1	1
राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	1.2	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर	1.3	7
संग्रह की लागत	1.4	9
बिक्री-कर विभाग में कर-निर्धारण कार्य की उपलब्धि	1.5	10
असंग्रहीत राजस्व	1.6	18
राजस्व का बट्टे खाते में डाला जाना तथा छूट दिया जाना	1.7	25
अनिस्तारित लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन	1.8	25
अध्याय 2 बिक्री-कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	30
छूटों की अनियमित स्वीकृति	2.2	31
निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाना	2.3	33

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
निर्माताओं द्वारा बिक्री के बिन्दु पर कर न लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारिण	2.4	36
माल का गलत पंजीकरण किया जाना	2.5	37
केन्द्रीय बिक्री-कर का अवनिर्धारिण	2.6	39
छूटों की अनियमित स्वीकृति	2.7	40
अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना	2.8	42
क्रय कर का आरोपण न किया जाना	2.9	45
बिक्री-कर के गलत दर का अरोपण	2.10	47
कच्चे माल की अनियमित कर मुक्त खरीदों की स्वीकृति	2.11	54
अर्थदण्ड का न लगाया जाना	2.12	61
गणना की त्रुटि के कारण कम कर आरोपण	2.13	75
व्यापार (टर्न ओवर) का कर निर्धारिण से छूट जाना	2.14	77
वास्तविक जमा से अधिक क्रेडिट दिया जाना	2.15	79
अध्याय 3 राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	81

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
शीरे के उत्पादन और वितरण पर नियन्त्रण	3.2	82
सादी स्पिरिट के निर्यात पर शुल्क की कम वसूली	3.3	110
आबकारी दूकानों का ठेका विलम्ब से तय किये जाने के कारण लाइसेंस फीस और निर्गम मूल्य की हानि	3.4	114
मूल लाइसेंसी से अन्तरीय हानि का वसूल न किया जाना	3.5	116
लाइसेंस फीस का वसूल न किया जाना	3.6	118
लाइसेंस फीस और उस पर ब्याज का भुगतान न किया जाना	3.7	121
विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न किया जाना	3.8	123
औषधीय और श्रृंगार साधनों में प्रयुक्त अल्कोहल की अधिक मात्रा पर शुल्क का वसूल न न किया जाना	3.9	124
प्रशमन शुल्क का वसूल न किया जाना	3.10	126

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय 4 वाहनों, माल और यात्रियों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	127
शुल्क का कम लगाया जाना	4.2	128
ट्रैक्टरों पर रजिस्ट्रेशन फीस का न लगाया जाना	4.3	129
अनुबन्धित वाहनों पर यात्री-कर का न वसूल किया जाना/कम वसूल किया जाना	4.4	129
अनुबन्धित वाहन पर यात्री-कर का न लगाया जाना	4.5	131
नगर बसों के किराये की पुनरीक्षित दरों के नियत किये जाने / कार्यान्वयन में विलम्ब	4.6	132
परिवहन वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि	4.7	133
एक मुश्त यात्री-कर का गलत संगणन	4.8	134
यात्री-कर का कम आरोपण	4.9	136
अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों की प्रचलन अवधि हेतु यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना	4.10	137

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
राज्य कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि के दौरान चलने वाले प्रक्रम वाहनों पर यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना अथवा गलत निर्धारण किया जाना	4.11	138
एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रक्रम वाहनों पर यात्री-कर का कम निर्धारण	4.12	140
उत्तर प्रदेश में चलने वाले दूसरे राज्य के वाहनों पर माल कर का न लगाया जाना	4.13	150
मार्ग कर का निर्धारण न किया जाना/कम निर्धारण किया जाना	4.14	151
गलत दरों को लागू किये जाने के कारण मार्ग कर का अवनिर्धारण	4.15	153
मार्ग कर के भुगतान से अनियमित छूट	4.16	154
मार्गों के पुन: वर्गीकरण में विलम्ब के कारण राजस्व हानि	4.17	155
अध्याय 5 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	158
सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम लगाया जाना	5.2	160

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
कृषि-इतर भूमि के गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपित किया जाना	5.3	163
अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क का गलत आरोपित किया जाना	5.4	164
एक प्रपत्र में दो सुस्पष्ट मामलों के लिये स्टाम्प शुल्क न मिलाये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना	5.5	166
अध्याय 6 भू-राजस्व		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	168
भू-राजस्व की गलत छूट	6.2	169
भूमि विकास कर की गलत छूट	6.3	170
संग्रह प्रभारों की वसूली न करना	6.4	170
सेवा प्रभारों का जमा न किया जाना	6.5	172
अध्याय 7 अन्य कर प्राप्तियां		
क – विद्युत शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	174
विद्युत शुल्क देयों का संचयन	7.2	175
विद्युत शुल्क का कम लगाया जाना	7.3	176

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
ख – गन्ने के क्रय पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.4	178
क्रय कर का भुगतान किये बिना चीनी का निष्कासन	7.5	179
ग – मनोरंजन एवं पणन कर		
मनोरंजन कर की कम वसूली के कारण राजस्व की हानि	7.6	180
अध्याय 8 वन प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1	182
रायल्टी का गलत निर्धारण	8.2	183
रायल्टी की कम वसूली	8.3	186
विलम्ब शुल्क का न लगाया जाना/वसूल न किया जाना	8.4	189
लीसा के विक्रय मूल्य की कम वसूली	8.5	192
पट्टा किराये की कम वसूली	8.6	193
लापता रेलवे स्लीपरों की कीमत वसूल करने में विफलता	8.7	195
वित्तीय नियमावली के अनुसरण न करने से फीस का गबन	8.8	196
अध्याय 9 अन्य विभागीय प्राप्तियां		
क – सिंचाई विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.1	198

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
नहर के जल के अनधिकृत उपयोग हेतु दण्डात्मक प्रभारों का न लगाया जाना	9.2	199
अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	9.3	200
पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का न लगाया जाना	9.4	201
वन निगम द्वारा अनधिकृत रूप से रायल्टी रोक रखने के कारण राजस्व की हानि	9.5	202
ख – सार्वजनिक निर्माण विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.6	204
पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना	9.7	205
मेक्स फाल्ट ड्रमों की काफी कम दरों पर बिक्री	9.8	206
सरकार के अनुमोदन के बिना निम्नतम बोली का स्वीकार किया जाना	9.9	207
ग – कृषि विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.10	209
फार्म की उपज में कमी	9.11	210
उर्वरक की बिक्री पर आर्थिक सहायता की अनियमित स्वीकृति	9.12	211

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
घ – सहकारिता विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.13	212
सरकारी खाते में संग्रह प्रभारों को जमा न किया जाना	9.14	213
निष्पादन की कार्यवाहियों के लिये फीस का वसूल न किया जाना	9.15	214
ङ. – खाद्य एवं रसद विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.16	215
च – उद्योग विभाग		
ईंट भट्टा मालिकों से आवेदन शुल्क का वसूल न किया जाना अथवा कम वसूल किया जाना	9.17	216
छ – वित्त विभाग		
ऋण व अग्रिमों पर ब्याज की वसूली	9.18	218

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1987-88 के लिये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस पृथक पुस्तक (1989 की संख्या 5) में प्रस्तुत है। प्रतिवेदन में सामग्री निम्नलिखित क्रम में रखी गयी है :

(I) अध्याय I में राजस्व प्राप्तियों की गतिविधियों को, कर-राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुये, दर्शाया गया है। इस अध्याय में राजस्व के प्रमुख शीर्षों से सम्बन्धित बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के अन्दर राजस्व के बकायों की स्थिति, आदि की भी विवेचना की गयी है।

(II) 2 से 9 अध्यायो में कुछ ऐसे मामलों तथा रोचक बातों का समावेश किया गया है जो बिक्री-कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल और यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस, भू-राजस्व, विद्युत-शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, मनोरंजन एवं पणन कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आई ।

विहंगावलोकन

प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये महत्त्वपूर्ण एवं रूचिकर विन्दुओं का विहंगावलोकन नीचे दिया गया है:

1. सामान्य

(I) उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 1987-88 की कुल राजस्व प्राप्तियां 5331.93 करोड़ रूपये थीं । इसमें 1988.66 करोड़ रूपये कर राजस्व तथा 631.39 करोड़ रूपये कर-इतर राजस्व सम्मिलित था । शेष 2711.88 करोड़ रूपयों की प्राप्तियां (विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग : 1,786.79 करोड़ रूपये और सहायक अनुदान 925.09 करोड़ रूपये) भारत सरकार से हुई । (प्रस्तर 1.2)

(II) वर्ष 1987-88 के अन्त में बिक्री-कर के 7,22,428 मामले कर-निर्धारण हेतु लम्बित पड़े थे । वर्ष 1987-88 के दौरान कर-निर्धारण किये गये 3,22,589 मामलों में से 1,29,366 मामलों (40 प्रतिशत) का कर-निर्धारण वर्ष के अन्तिम त्रैमास में किया गया । (प्रस्तर 1.5 (क) और (ख))

(III) वर्ष 1987-88 के अन्त में बिक्री-कर के अन्तर्गत असंग्रहीत राजस्व की धनराशि 786.81 करोड़ रूपये भू-राजस्व के अन्तर्गत 36.71 करोड़ रूपये, विद्युत शुल्क के अन्तर्गत 23.99 करोड़ रूपये और गन्ने के क्रय पर कर के अन्तर्गत 10.20 करोड़ रूपये थी । (प्रस्तर 1.6.)

(IV) जून 1988 के अन्त तक 2,136 लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (दिसम्बर 1987 तक निर्गत), जिनमें 5,302 आपत्तियां थीं और 51.91 करोड़ रूपयों का राजस्व निहित था, विभिन्न विभागों से निराकरण हेतु अनिस्तारित थे । विभागों से 443 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित प्रथम उत्तर भी नहीं प्राप्त हुए थे । (प्रस्तर 1.8.)

(V) नमूना जांच में वर्ष 1987-88 में 11.37 करोड़ रूपयों की धनराशि के कर के अवनिर्धारण एवं राजस्व की हानि का पता चला। ये बिक्री-कर (2.02 करोड़ रूपये), राज्य आबकारी (0.91 करोड़ रूपये), वाहनों, माल और यात्रियों पर कर (0.68 करोड़ रूपये), स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (0.20 करोड़ रूपये), भू-राजस्व (0.07 करोड़ रूपये), अन्य कर प्राप्तियां (0.23 करोड़ रूपये), वन प्राप्तियां (5.53 करोड़ रूपये) तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों (1.73 करोड़ रूपयों) से सम्बन्धित थीं ।

(VI) इस प्रतिवेदन में वर्ष 1987-88 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में नमूना जांच के दौरान देखे गये कर न आरोपित किये जाने/कम आरोपित किये जाने, अभिकर, शुल्क, रायल्टी, ब्याज, अर्थदण्ड आदि के कुछ प्रतिकात्मक मामले और दो समीक्षाओं के परिणाम जिनमें 34.59 करोड़ रूपयों का आर्थिक परिणाम सन्निहित है, सम्मिलित किये गये हैं । इसमें से 5.81 करोड़ रूपयों का अवनिर्धारण विभाग द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है जिसमें से 68.89 लाख रूपये फरवरी 1989 तक वसूल कर लिये गये थे ।

2. **बिक्री – कर**

(I) एक व्यापारी के वर्ष 1982-83 से 1984-85 के बीच 35.37 लाख रूपये की रसायन की खरीद पर रियायती दर की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 1.41 लाख रूपयें के राजस्व की हानि हुई। (प्रस्तर 2.2{क})

(II) एक सरकारी उपक्रम के मामले में यद्यपि वर्ष 1975-76 में व्यापार 2 लाख रूपये से अधिक था, 1.60 लाख रूपये अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.8{I})

(III) तीन व्यापारियों के मामलों में, जो सायकिल सीट के लेदर टाप के निर्माता थे, कच्चे माल की खरीद कर मुक्त स्वीकृत किये जाने के कारण 2.42 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुयी। (प्रस्तर 2.11{छ})

(IV) एक एसवेस्टस सीट के निर्माता व्यापारी ने रियायती दर पर कर देकर कच्चा माल खरीदा और 39.45 लाख रूपये का निर्मित माल उपरोक्त रियायती दर पर कर देने के प्राविधानों का उल्लंघन करके प्रान्त के बाहर कन्साइनमेण्ट के आधार पर हस्तान्तरित कर दिया । इस पर 9.46 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपणीय था किन्तु आरोपित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.12 (क){II})

(v) एक ट्रान्सफार्मर के निर्माता ने 29.40 लाख रूपये का तांबे का तार रियायती दर पर कर देकर खरीदा किन्तु इसका प्रयोग ट्रान्सफार्मर के रिपेयर के लिये किया । व्यापारी माल के गलत प्रयोग के लिये अर्थदण्ड के रूप में कम से कम 2.35 लाख रूपये का देनदार था किन्तु विभाग इस अनियमितता को जान पाने में असफल रहा। (प्रस्तर 2.12 (क)﴾।।।﴿)

(vi) एक व्यापारी ने 25.45 लाख रूपये के लोहा एवं इस्पात के कच्चे माल की कर मुक्त खरीद की । लेखापरीक्षा में परस्पर सत्यापन करने पर यह प्रकाश में आया कि 23.18 लाख रूपये की खरीद लेखे में नहीं प्रदर्शित की गयी । इसके लिये व्यापारी 1.39 लाख रूपये का अर्थदण्ड के रूप में देनदार था किन्तु विभाग व्यापार की इस कमी को जान पाने में असफल रहा । (प्रस्तर 2.12﴾ख﴿)

(vii) एक व्यापारी ने मई 1985 में 7.91 लाख रूपये की खादकाआयात प्रान्त के बाहर से किया जिसके लिये उसे कर-निर्धारण अधिकारी को माल प्राप्त करने के पूर्व दो प्रति में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था । उसने प्रपत्र फरवरी 1986 में प्रस्तुत किये । माल की प्राप्ति के पूर्व घोषणा-पत्र न प्रस्तुत करने के फलस्वरूप 3.20 लाख रूपये का अर्थदण्ड कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया जाना चाहिये था किन्तु कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। (प्रस्तर 2.12﴾ग﴿)

3. **राज्य आबकारी**

"राज्य में शीरा के उत्पादन एवं वितरण पर नियन्त्रण" शीर्षक समीक्षा में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आई :-

(क) शीरा नियन्त्रक का चीनी मिलों से शीरे की निकासी और सम्बन्धित आसवनी (डिस्टेलरी) से गेट पास के सत्यापन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं था । आठ चीनी मिलों में 30 प्रतिशत गेट पास (जिनकी संख्या 6,737 थी) जो कि वर्ष 1981-82 से 1986-87 के बीच जारी किये गये थे, पूर्णतः सत्यापित होकर वापस नहीं लौटे । (प्रस्तर 3.2.5.1.)

(ख) वर्ष 1982-83 से 1986-87 के बीच वितरण हेतु उपलब्ध शीरे का औसतन केवल 65 प्रतिशत स्पिरिट एवं शराब के निर्माण के लिये प्रयोग किया गया । शीरे के असमुचित भण्डारण के कारण 53.56 लाख कुन्तल शीरा शराब निकालने के उपयुक्त नहीं रह गया। (प्रस्तर 3.2.6.1.)

(ग) वर्ष 1986-87 में 11.83 लाख कुन्तल शीरा शराब निकालने के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया अथवा निम्न स्तर का होने के कारण बहा दिया गया अथवा दूर हटा दिया गया जिसके आसवन से प्राप्त होने वाले इण्डस्ट्रियल पर प्रभार्य अलकोहल निर्यात पास फीस से 1.40 करोड़ रूपये प्राप्त किया जा सकता था । (प्रस्तर 3.2.6.2.(क))

(घ) वर्ष 1974-75 से लेकर 1986-87 के बीच 10 फैक्टरियों ने शीरा भण्डारण की सुविधा प्रदान करने हेतु बनाये गये शीरा कोष में 30.47 लाख रूपये नहीं जमा किये ।

(प्रस्तर 3.2.6.2.(च))

(ङ.) खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरा, जो राज्य के शराब उत्पादन को दोगुना करने की क्षमता दखल है, अभी तक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं पदेन शीरा नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश के नियन्त्रण में नहीं लाया गया है ।

(प्रस्तर 3.2.7.)

(च) आसवनियों की स्थापित क्षमता की तुलना में वर्ष 1982-83 से 1986-87 के बीच क्षमता का उपयोग 40 से 53 प्रतिशत के बीच रहा । (प्रस्तर 3.2.8.1.(1))

(छ) वर्ष 1982-83 से 1986-87 के बीच आसवनियों द्वारा उपयोग किये गये शीरे के नमूने की जांच के विश्लेषण से पता चला कि 199.92 लाख अल्कोहलिक लीटर स्पिरिट कम पैदा की गयी । इसके परिणाम स्वरूप 13.49 करोड़ रूपयों के सम्भाव्य आबकारीअभिकर की हानि हुयी । उत्पादन के लिये दोषी पायी गयी इकाईयों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी । (प्रस्तर 3.2.8.3.)

(ii) मई 1986 से जून 1987 के बीच माल्ट द्वारा

निर्मित सादी स्पिरिट को देशी शराब के स्थान पर भारत निर्मित विदशी शराब के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण निर्यात अभिकर वसूली में 16.22 लाख रूपये कम वसूल किये गये ।

(प्रस्तर 3.3.(क)तथा(ख))

(III) आबकारी देय के विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज के 1.25 लाख रूपये वसूल नहीं किये गये।

(प्रस्तर 3.8.(1))

4. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

(I) परिवहन आयुक्त, लखनऊ, चार सम्भागीय परिवहन अधिकारियों और नौ उप सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालय में 31 मार्च 1987 से 28 जुलाई 1987 के बीच पूर्व संशोधित दर पर शुल्क वसूल किये जाने से 3.35 लाख रूपये कम वसूल हुये । (प्रस्तर 4.2.)

(II) 16 निजी वाहन स्वामियों ने, जो सितम्बर 1986 से फरवरी 1987 के बीच अपने वाहन इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, रायबरेली के साथ अनुबन्ध पर चला रहे थे, उपरोक्त अवधि के लिये न तो विवरणी प्रस्तुत किया और न ही इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रायबरेली, से प्राप्त एकमुश्त राशि (10.92 लाख रूपये) के आधार पर देय यात्री-कर का भुगतान किया । विभाग ने भी यात्री-कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। वसूल न किये गये कर की धनराशि 1.43 लाख रूपये थी ।

(प्रस्तर 4.4)

(III) यद्यपि नगर बस सेवा का किराया सरकार द्वारा फरवरी 1986 में ही पुनरीक्षित कर दिया गया था, किन्तु परिवहन आयुक्त द्वारा इसका कार्यान्वयन दिसम्बर 1986 में किया गया, जिसके परिणामस्वरूप केवल दो सम्भागों में ही यात्री-कर की 1.37 लाख रूपये की हानि हुयी । (प्रस्तर 4.6.)

5. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस

सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण 23 मामलों में 4.46 लाख रूपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया । (प्रस्तर 5.2.{क} तथा {ख})

6. अन्य कर प्राप्तियां

(I) भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर, ने मार्च 1987 के अन्त तक 2.03 करोड़ रूपये के विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया था । नियत तिथि के अन्दर विद्युत शुल्क न भुगतान करने के लिये लाइसेंस-प्राप्त-कर्ता दण्ड के रूप में 31 जुलाई 1987 तक परिकलित ब्याज की धनराशि 34.44 लाख रूपये देने का उत्तरदायी था । (प्रस्तर 7.2.)

(II) उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम, मिर्जापुर की एक इकाई ने 6 पैसे प्रति यूनिट, सही दर के बजाय जनवरी 1987 से जुलाई 1987 तक 4,62,55,235 यूनिट्स पर 3 पैसे प्रति यूनिट

की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान किया । विद्युत शुल्क के 13.88 लाख रूपये का कम भुगतान किया गया । (प्रस्तर 7.3)

(III) दिसम्बर 1983 से जुलाई 1987 के दौरान विभिन्न अवधियों के लिये 19 सार्वजनिक वीडियो के मालिकों को लाइसेंस जारी किये गये । उपरोक्त अवधि के दौरान दिखलाये गये प्रदर्शनों के लिये 9.62 लाख रूपये की धनराशि का मनोरंजन कर आरोपणीय था । किन्तु लाइसेंसधारियों ने केवल 1.87 लाख रूपये जमा किये । कर के 7.75 लाख रूपये कम जमा किये जाने का, विभाग पता नहीं कर सका । (प्रस्तर 7.6)

7. वन प्राप्तियाँ

(I) वर्ष 1983-84 एवं 1985-86 के दौरान लकड़ी की प्रति क्यूबिक मीटर की दर उपयुक्त रूप से संशोधित किये बिना ही व्यास पर आधारित आयतन सारणी के स्थान पर, गुण पर आधारित आयतन सारणी का प्रयोग करने के फलस्वरूप केवल 2 प्रभागो में 374.44 लाख रूपये की रायल्टी की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 8.2.)

(II) एक प्रभाग में औसत रायल्टी की दर निर्धारित करते समय जलाऊ लकड़ी के चट्टों एवं साल की बल्लियों का मूल्य सम्मिलित करना छूट गया था। जिसके फलस्वरूप वर्ष 1982-83

के दौरान 59.12 लाख रूपये की धनराशि की रायल्टी की कम वसूली हुयी । (प्रस्तर 8.3.{अ})

(III) एक प्रभाग में, 1983-84 के लाट संख्या 49 से 116 का कार्य वन निगम द्वारा वास्तव में 1984-85 के दौरान लिया गया, परन्तु 1983-84 कीही निर्धारित रायल्टी की दर लगायी गयी, जो कि गलत थी और जिसके परिणाम स्वरूप 14.25 लाख रूपये की रायल्टी कम वसूल हुयी । (प्रस्तर 8.3.{ब})

(Iv) वर्ष 1982-83 से 1985-86 के दौरान विभिन्न अन्तरालों में वन निगम द्वारा चार प्रभागों में देर से रायल्टी का भुगतान किये जाने के कारण 47.32 लाख रूपये, विलम्ब शुल्क देय था, परन्तु विलम्ब शुल्क नहीं लगाया गया ।

(प्रस्तर 8..4.)

8. अन्य विभागीय प्राप्तियां

(I) आठ सिंचाई प्रखण्डों में, सितम्बर 1983 और दिसम्बर 1987 के दौरान, 4,426 मामलों में, 16,510.14 एकड़ भूमि की अनाधिकृत सिंचाई प्रतिवेदित की गयी थी । इन मामलों में 17.57 लाख रूपये का दण्डात्मक प्रभार्य निहित था, परन्तु विभाग द्वारा मामलों की जांच करके अन्तिम रूप नहीं दिया गया । (प्रस्तर 9.2.)

(ii) सत्रह सिंचाई प्रखण्डों में 20 फरवरी 1982 एवं अक्तूबर 1987 के मध्य किये गये 46,353 अनुबन्धों में स्टाम्प शुल्क नहीं आरोपित किया गया । जिसके फलस्वरूप 2.74 लाख रूपये राजस्व की हानि हुयी । (प्रस्तर 9.3.)

(iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग के पांच प्रखण्डों में विभाग द्वारा किये गये 32 पट्टे अनुबन्धों के सम्बन्धा में प्रीमियम के आधार पर स्टाम्प शुल्क वसूल नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप 4.85 लाख रूपये के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की गयी । (प्रस्तर 9.7.)

(iv) दो प्रखण्डों में उपयोगी खाली ड्रम्स, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर की अपेक्षा बहुत कम दर पर नीलाम किये गये । जिसके फलस्वरूप 3.12 लाख रूपये धनराशि के राजस्व की हानि हुयी । (प्रस्तर 9.8.)

(v) कृषि-निदेशक, द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार अनुमानित एवं वास्तविक प्रक्षेत्र उत्पादों में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिये । दस प्रतिशत से अधिक अन्तर के कारण हुयी हानि की वसूली प्रक्षेत्र-अधीक्षकों से होनी है । एक जिला कृषि कार्यालय के पांच राज्य सरकार द्वारा अभिग्रहित प्रक्षेत्रों में अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादों के मध्य अन्तर 10 प्रतिशत की स्वीकार की जाने योग्य सीमा से अधिक था। किन्तु छूट की

सीमा से अधिक उत्पादन में गिरावट होने से 5.37 लाख रूपये के राजस्व की हानि के लिये प्रक्षेत्र-अधीक्षक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । (प्रस्तर 9.11.)

(VI) छः जिला कृषि कार्यालयों में सरकार द्वारा छूट उठा लेने की तिथि (3 फरवरी 1986) के बाद भी उर्वरकों पर छूट (सब्सिडी) दे दी गयी थी । जिसके परिणाम स्वरूप 3.76 लाख रूपये की छूट अनियमित दे दी गयी । (प्रस्तर 9.12.)

(VII) राज्य सरकार/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा यह निर्णय न लिये जाने की दशा में कि निबन्धक (रजिस्ट्रार) द्वारा बनायी गयी उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां प्रभार संग्रह निधि नियमावली 1982 के अन्तर्गत वसूल किया गया संग्रह प्रभार किस लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया जाना है, 23 सहायक निबन्धक सहकारी समितियों के कार्यालयों में वर्ष 1981-82 से 1985-86 के दौरान 10 प्रतिशत संग्रह प्रभार के रूप में वसूल किये गये 340.19 लाख रूपये सरकारी खाते में न जमा करके अलग बैंक एकाउण्ट में रखे गये थे । वह प्राधिकार जिसके अन्तर्गत निबन्धक द्वारा यह नियमावली बनायी गयी थी, उसकी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी थी । (प्रस्तर 9.14)

(VIII) जिला पूर्ति अधिकारी, फर्रूखाबाद में वर्ष 1986-87 के दौरान प्रार्थना - पत्र शुल्क एवं रायल्टी की धनराशि 1.50 लाख रूपये की वसूली सुनिश्चित किये बिना 47 ईंट-भट्टा स्वामियों को कोयला खरीदने के लिये लाइसेंस जारी कर दिये ।

अलीगढ़ जिला में अप्रैल 1986 से दिसम्बर 1986 के दौरान देय 6.26 लाख रूपये के विरूद्ध 149 ईट-भट्टा स्वामियों द्वारा प्रार्थना-पत्र शुल्क एवं रायल्टी के रूप में 2.15 लाख रूपये जमा किये गये थे। (प्रस्तर 9.17.(I) एवं (III))

(IX) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों, सरकारी कम्पनियों एवं निगमो, स्वायत्त-निकायों, सहकारी समितियों एवं अन्य व्यक्तियों को सरकार के सहकारिता उद्योगों एवं शहरी विकास विभागों द्वारा जो ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत किया गया था, उसके ब्याज की वसूली की समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

(क) बहुत दिनों से देय ब्याज के 1.41 करोड़ रूपये जो एक निगम को मार्च 1971 से मार्च 1974 तक स्वीकृत 1.13 करोड़ रूपये के ऋणों पर देय था, न तो भुगतान किया गया और न ही निदेशक उद्योग द्वारा मांगा गया ।

(ख) तीन ऋण प्राप्त कर्ताओं ने ऋण की धनराशि (बिना उपयोग किये) इसकी प्राप्ति के एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद वापस कर दिया। 1.10 करोड़ रूपये ब्याज की धनराशि देय थी, लेकिन न तो इसका भुगतान किया गया, न ही मांगा गया । (प्रस्तर 9.18.6.(I))

(ग) 1958-59 से 1986-87 के दौरान भूमि विकास बैंक को 16.54 लाख रूपयों का ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया गया जिसमें ऋण के नियत समय पर वापस न किये जाने की दशा में,

किसी प्रकार की दण्डात्मक धारा का समावेश नहीं किया गया था जो कि वित्तीय नियमों के विपरीत था । यह देखने में आया कि ऋणी की दीर्घकाल से देय किश्तों की धनराशि, 1969-70 में 1.50 लाख रूपये से बढ़कर 1986-87 में 443.46 लाख रूपये हो गयी थी । (प्रस्तर 9.18.8.(ग))

(घ) 16 ऋणियों (कर्जदारों के मामलों में दीर्घकाल से देय मूलधन/ ब्याज की किश्तों का भुगतान न किये जाने हेतु 21.33 करोड़ रूपयों का ब्याज / दण्डात्मक ब्याज बनता था, किन्तु विभाग द्वारा इसकी माँग नहीं की गयी ।

(प्रस्तर 9.18.11.(1))

(ङ.) निजी चीनी मिलों से 2.48 करोड़ रूपये ब्याज की देय धनराशि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

(प्रस्तर 9.18.12(1))

अध्याय 1

सामान्य

1.1. राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि

उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 1987-88 हेतु 4602.49 करोड़ रूपयों की प्रत्याशित प्राप्तियों के समक्ष कुल राजस्व प्राप्तियां 5331.93 करोड़ रूपये थीं । इस वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों में 1986-87 की प्राप्तियों (4171.64 करोड़ रूपये) की अपेक्षा 28 प्रतिशत तथा 1985-86 की प्राप्तियों (3876.86 करोड़ रूपये) की अपेक्षा 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 5331.93 करोड़ रूपयों की कुल प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व 2620.05 करोड़ रूपये था, जिसमें से 1988.66 करोड़ रूपये कर-राजस्व तथा शेष 631.39 करोड़ रूपये कर-भिन्न राजस्व निरूपित करते थे । भारत सरकार से 2711.88 करोड़ रूपयों की प्राप्तियां हुईं ।

1.2. राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(क) सामान्य विश्लेषण

वर्ष 1987-88 के दौरान हुई राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण, इससे पूर्व के दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों सहित, नीचे दिया गया है:

	1985-86	1986-87	1987-88
		(करोड़ रूपयों में)	
1. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व-			
(क) कर-राजस्व	1291.41	1528.60	1988.66
(ख) कर-भिन्न राजस्व	523.90	502.11	631.39
योग	1815.31	2030.71	2620.05

II. भारत सरकार से प्राप्तियां-			
(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	1234.59	1427.61	1786.79
(ख) सहायक अनुदान	826.96	713.32	925.09 x
योग	**2061.55**	**2140.93**	**2711.88**
III. राज्य की कुल प्राप्तियां (I+II)	3876.86	4171.64	5331.93
IV. I की III से प्रतिशतता	47	49	49

(ख) राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर-राजस्व

वर्ष 1987-88 के दौरान कर-राजस्व से प्राप्तियां (1988.66 करोड़ रूपये) राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (2620.05 करोड़ रूपये) की 76 प्रतिशत थीं तथा गत वर्ष 1986-87 की प्राप्तियों, अर्थात् 1528.60 करोड़ रूपये, की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक थीं । 83.50 करोड़ रूपयों तक की वृद्धि 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान किये गये कराधान परिवर्तनों के कारण थी ।

---

x ब्योरों के लिये कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1987-88 में "विवरण संख्या 11-लघु शीर्षवार राजस्व का ब्योरेवार लेखा" देखें ।

वर्ष 1987-88 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के कर-राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	1985-86	1986-87	1987-88	1986-87 के संदर्भ में 1987-88 में वृद्धि (+) या कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रूपयो में)		
1. आय तथा व्यय पर अन्य कर	..	..	0.02	(+) 0.02 (100)
2. भू-राजस्व	27.92	29.48	35.75	(+) 6.27 (21)
3. स्टाम्प और रजि-स्ट्रेशन फीस	149.98	174.11	250.33	(+) 76.22 (44)
4. कृषीय भूमि से भिन्न अचल सम्पत्तियों पर कर	..	..	0.13	(+) 0.13 (100)
5. राज्य आबकारी	173.67	228.11	494.15	(+) 266.04 (117)
6. बिक्री-कर	628.23	716.28	799.42	(+) 83.14 (12)
7. गन्ने के क्रय पर कर	23.78	38.51	37.38	(-) 1.13 (3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. मोटर स्प्रिट और स्नेहनों की बिक्री पर कर	82.26	102.11	117.23	(+) 15.12 (15)
9. वाहनों पर कर	42.45	47.29	51.12	(+) 3.83 (8)
10. माल और यात्रियों पर कर	84.27	95.63	108.23	(+) 12.60 (13)
11. विद्युत पर कर और शुल्क	30.79	36.21	41.78	(+) 5.57 (15)
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	48.06	60.87	53.12	(-) 7.75 (13)
योग	**1291.41**	**1528.60**	**1988.66**	**(+)460.06 (30)**

(अन्तिम स्तम्भ में कोष्टकों में आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।)

"गन्ने के क्रय पर कर" तथा "वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क" शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों को छोड़कर, शेष शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में हुई प्राप्तियों में वृद्धि, गत वर्ष की प्रप्तियों की तुलना में, 8 प्रतिशत (वाहनों पर कर) तथा 117 प्रतिशत (राज्य आबकारी) के बीच रही ।

(ग) राज्य का कर–भिन्न राजस्व

ब्याज प्राप्तियां, विविध सामान्य सेवायें, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, वानिकी और वन्य जीवन, वृहद और मध्यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई राज्य के कर–भिन्न राजस्व के प्रमुख स्रोत थे ।

वर्ष 1987–88 के दौरान कर–भिन्न राजस्व से प्राप्तियां (631.39 करोड़ रूपये) राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (2620.05 करोड़ रूपये) की 24 प्रतिशत थीं तथा गत वर्ष 1986–87 की प्राप्तियों (502.11 करोड़ रूपये) की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक थीं ।

वर्ष 1987–88 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के कर–भिन्न राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	1985–86	1986–87	1987–88	1986–87 के संदर्भ में 1987–88 में वृद्धि (+) या कमी (–)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रूपयों में)		
1. ब्याज प्राप्तियां	180.00	213.86	295.58	(+) 81.72 (38)
2. विविध सामान्य सेवायें	57.00	48.17	66.60	(+) 18.43 (38)
3. शिक्षा, खेल–कला और संस्कृति	11.09	12.30	21.02	(+) 8.72 (70)

टिप्पणी – लेखा शीर्षों को एक अप्रैल 1987 से युक्तिसंगत बनाये जाने के फलस्वरूप क्रम सं. 3 पर 1985–86 और 1986–87 अन्तर्गत आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.वानिकी और वन्य जीवन	55.95	78.99	100.80	(+) 21.81 (28)
5.वृहद और मध्यम सिंचाई	107.01	44.42	17.16	(-) 27.26 (61)
6.लघु सिंचाई	23.25	12.41	11.60	(-) 0.81 (6)
7. अन्य	89.60	91.96	118.63	(+) 26.67
योग	**523.90**	**502.11**	**631.39**	**(+)129.28 (26)**

(अन्तिम स्तम्भ में कोष्टकों में आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।)

वर्ष 1987-88 के दौरान "ब्याज प्राप्तियां" "विविध सामान्य सेवायें" "शिक्षा,खेल,कला और संस्कृति" तथा "वानिकी और वन्य जीवन" शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियां गत वर्ष की प्राप्तियों से क्रमशः 38, 38, 70 तथा 28 प्रतिशत अधिक थीं, जब कि "वृहद और मध्यम सिंचाई" तथा "लघु सिंचाई, शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 61 तथा 6 प्रतिशत कम हो गयीं ।

टिप्पणी- लेखा शीर्षों को एक अप्रैल 1987 से युक्तिसंगत बनाये जाने के फलस्वरूप क्रम संख्या 7 पर 1985-86 और 1986-87 के अन्तर्गत आकड़ों में परिवर्तन हुआ है ।

1.3 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कर-राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर नीचे दिये गये हैं:

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि(+)/ कमी(-)	अन्तर की प्रतिशतता
	(करोड़ रूपयों में)			
क. कर राजस्व	1656.59	1988.66	(+)332.07	20
ख. कर-भिन्न राजस्व	526.12	631.39	(+)105.27	20

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत अन्तर का विभाजन नीचे दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि(+)/ कमी(-)	अन्तर की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रूपयों में)		
क. कर-राजस्व				
1. भू-राजस्व	34.43	35.75	(+) 1.32	4
2. स्टाम्प और पंजीकरण	180.83	250.33	(+) 69.50	38
3. राज्य उत्पाद शुल्क	291.90	494.15	(+)202.25	69
4. बिक्री-कर	784.10	799.42	(+) 15.32	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. मोटर स्प्रिट और स्नेहनों की बिक्री पर कर	98.06	117.23	(+) 19.17	19
6. गन्ने के क्रय पर कर	26.54	37.38	(+) 10.84	40
7. वाहनों पर कर	50.13	51.12	(+) 0.99	2
8. माल और यात्रियों पर कर	94.87	108.23	(+) 13.36	14
9. बिजली पर कर और शुल्क	35.91	41.78	(+) 5.87	16
10. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	59.76	53.12	(-) 6.64	11
ख. कर-भिन्न राजस्व				
11. ब्याज प्राप्तियां	185.79	295.58	(+) 109.79	59
12. विविध सामान्य सेवायें	50.73	66.60	(+) 15.87	31
13. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	23.97	21.02	(-) 2.95	12
14. वानिकी और वन्य जीवन	67.54	100.80	(+) 32.26	49
15. वृहद और मध्यम सिंचाई	62.29	17.16	(-) 45.13	72
16. लघु सिंचाई	17.93	11.60	(-) 6.33	35

"भू-राजस्व" "बिक्री-कर" तथा "वाहनों पर कर" को छोड़कर, प्रत्येक मामले में अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक रहे जो यह इंगित करता है कि बजट प्रस्ताव बनाने में सही अनुमान नहीं लगाये गये थे ।

"वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क", "शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति", "वृहद और मध्यम सिंचाई" तथा "लघु सिंचाई" के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से 61.05 करोड़ रूपये कम हो गई । केवल "वृहद और मध्यम सिंचाई" की प्राप्तियां बजट अनुमानों से 45.13 करोड़ रूपये अर्थात्, 72 प्रतिशत कम हो गईं । दूसरी ओर "राज्य उत्पाद शुल्क" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में 202.25 करोड़ रूपये (69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । विभाग/सरकार द्वारा, इन वृहद अन्तरों के आने के कारण अभी तक नहीं बताये गये हैं (अप्रैल 1989)।

1.4 संग्रह की लागत

1985-86 से 1987-88 के तीन वर्षों के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह पर हुआ व्यय नीचे दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रूपयों में)		
1.भू-राजस्व	1985-86	27.92	26.93	96
	1986-87	29.48	27.89	95
	1987-88	35.75	33.95	95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़	रूपयों में)	
2.बिक्री-कर	1985-86	628.23	14.12	2
	1986-87	716.28	14.74	2
	1987-88	799.42	17.50	2
3.वाहनों पर कर	1985-86	42.45	1.17	3
	1986-87	47.29	1.28	3
	1987-88	51.12	1.72	3
4.माल और यात्रियों	1985-86	84.27	0.21	नगण्य
पर कर	1986-87	95.63	0.94	1
	1987-88	108.23	0.28	नगण्य
5.विद्युत शुल्क	1985-86	30.79	0.67	2
	1986-87	36.21	0.74	2
	1987-88	41.78	0.91	2
6.वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-				
मनोरंजन कर	1985-86	48.06	1.17	2
	1986-87	60.87	2.85	5
	1987-88	53.12	4.52	8

1.5 बिक्री-कर विभाग में कर-निर्धारण कार्य का निष्पादन

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किसी कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक व्यापारी का अन्तिम कर-निर्धारण उस वर्ष की समाप्ति पर किया जाना अपेक्षित है।

उन मामलों में जहां कर-निर्धारण अधिकारी, कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् कर-निर्धारण पूरा करने में असमर्थ होता है, वह सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से 4 वर्षों की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय कर-निर्धारण पूर्ण कर सकता है। फिर भी, जहाँ इन चार वर्षों के अन्दर कर-निर्धारिती पर नोटिस जारी कर दी गयी है, कर-निर्धारण नोटिस जारी करने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर दिया जाना होता है भले ही इसमें 4 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई हो ।

(क) कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान बिक्री-कर विभाग द्वारा निपटाये जाने हेतु अपेक्षित तथा निपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों की संख्या के साथ-साथ मार्च के अन्त में निपटाये जाने हेतु बकाया कर-निर्धारण के मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित की गयी हैं, नीचे इंगित की गई हैं :

	1986-87	1987-88
(1) वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु अपेक्षित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या		
लम्बित मामले	6,72,022×	7,41,316×
चालू मामले	2,81,007	2,94,697
रिमाण्ड के मामले	8,632	9,004
योग	**9,61,661×**	**10,45,017**

× कृपया नोट अगले पृष्ठ पर देखें ।

	1986-87	1987-88
(II) वर्ष के दौरान निपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों की संख्या		
लम्बित मामले	2,45,305	3,05,725
चालू मामले	13,296	11,234
रिमाण्ड के मामले	5,457	5,630
योग	**2,64,058**	**3,22,589**
(III) 31 मार्च को निपटाये जाने हेतु बच रहे कर-निर्धारण के मामलों की संख्या		
लम्बित मामले	4,26,717 x	4,35,591
चालू मामले	2,67,711	2,83,463
रिमाण्ड के मामले	3,175	3,374
योग	**6,97,603 x**	**7,22,428**
(I) निपटाये गये मामलों की निपटाये जाने हेतु अपेक्षित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या से प्रतिशतता	27	31

---

x 1985-86 के अन्त-शेष के आंकड़े, अर्थात् 6,72,000 (लम्बित मामले) विभाग द्वारा परिशोधन करके 6,72,022 कर दिये गये हैं। 1987-88 का आदि शेष 6,97,603 (1986-87 का अन्त शेष) से परिशोधित करके 7,41,316 कर दिया गया है। 43,713 मामलों की वृद्धि, विभाग द्वारा मामलों की छानबीन के फलस्वरूप शामिल किये जाने के कारण हुई बतायी गयी।

(ख) **वर्ष के अन्तिम तिमाही में कर-निर्धारण कार्य की हड़बड़ी**

दोनो वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में भारी कर-प्रभाव वाले अधिकांश मामले उन वर्षों के अन्तिम त्रैमास में निपटाये गये थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

	1986-87		1987-88	
	निपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों की संख्या	निकाली गई मांगें (करोड़ रूपयों में)	निपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों की संख्या	निकाली गई मांगे (करोड़ रूपयों में)
अप्रैल से दिसम्बर	1,26,874	173.63	1,93,223	161.20
जनवरी से मार्च	1,37,184	190.01 ×	1,29,366	223.23 @
योग	**2,64,058**	**363.64 ×**	**3,22,589**	**384.43 @**

(ग) **प्रतिबन्धित अवधि के अन्तिम क्षणों में भारी संख्या में मामलों का निपटाया जाना**

जैसा नीचे दर्शाया गया है, 1986-87 तथा 1987-88 वर्षों के दौरान निपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों में ऐसे मामलों की प्रतिशतता अधिक थी (1986-87 हेतु 71 प्रतिशत

× आकंड़े विभाग द्वारा संशोधित कर दिये गये हैं ।

@ अनन्तिम

और 1987-88 हेतु 66 प्रतिशत) जो यदि सम्बन्धित वर्षों में निपटाये न गये होते तो काल-बाधित हो गये होते ।

वर्ष जिसके दौरान मामले निपटाये गये	कर-निर्धारण वर्ष जिनसे वे सम्बन्धित थे	निपटाये गये मामलों की संख्या	प्रति-शतता
1987	1982-83 तक	1,88,422	71
	1983-84	39,566	15
	1984-85	17,317	7
	1985-86	13,296	5
	रिमाण्ड के मामले	5,457	2
	योग	**2,64,058**	
1988	1983-84 तक	2,11,734	66
	1984-85	71,539	22
	1985-86	22,452	7
	1986-87	11,234	3
	रिमाण्ड के मामले	5,630	2
	योग	**3,22,589**	

प्रतिबन्धित अवधि के अन्तिम क्षणों में मामलों के बड़ी संख्या में निपटाने की प्रवृत्ति कर-निर्धारणों में जल्दबाजी, अभिलेखों की अपर्याप्त जाँच और समय व्यतीत होने के साथ व्यापारियों के दिवालिया हो जाने या न मिलने के कारण राजस्व की हानि की आशंका रहती है। इसके अतिरिक्त कर-निर्धारण के मामलों के निपटान में विलम्ब के फलस्वरूप एक से 4 वर्षों की अवधि के लिये

राजस्व (ऐसे कर-निर्धारणों के दौरान निकाली गयीं अतिरिक्त माँगें) अवरूद्ध हो जाता है जो न केवल सरकार की अर्थोपाय (वेज एण्ड मीन्स) स्थिति को ही प्रभावित करता है वरन् ब्याज के रूप में व्यापारियों को आकस्मिक लाभ भी प्रदान करता है ।

(घ) कर-निर्धारण हेतु मामलों के बढ़ते बकाये

31 मार्च 1987 को लम्बित 6,97,603 कर-निर्धारण मामलों के समक्ष 31 मार्च 1988 को 7,22,428 कर-निर्धारण के मामले लम्बित पड़े थे। 31 मार्च 1988 को लम्बित पड़े कर-निर्धारण मामलों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

कर-निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1982-83 तक	580
1983-84	17,809
1984-85	1,66,869
1985-86	2,50,333
1986-87	2,83,463
पुनः कर-निर्धारण हेतु न्यायालयों द्वारा रिमाण्ड किये गये मामले	3,374
योग	**7,22,428**

भारी संख्या में मामलों का बकाया रहना, मुख्य रूप से कर-निर्धारण कार्य पर अधिकारियों का पर्याप्त संख्या में न लगाये जाने हेतु बताया गया था ।

(ड.) अपील तथा पुनरीक्षण के मामलों के निस्तारण की प्रगति

1986-87 और 1987-88 वर्षों के दौरान अपील तथा पुनरीक्षण (बिक्री-कर) के मामलों के निस्तारण प्रगति, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, नीचे दी गई है:

(I) निर्णीत किये जाने वाले मामलों की संख्या

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88
लम्बित मामले	37,064	41,747	59,852	57,114
चालू मामले	47,459	56,188	17,515	18,253
योग	**84,523**	**97,935**	**77,367**	**75,367**

(II) निर्णीत किये गये मामलों की संख्या

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88
लम्बित मामले	28,692	32,921	10,857	10,241
चालू मामले	13,828	6,118	9,396	8,235
योग	**42,520**	**39,039**	**20,253**	**18,476**

(III) अनिर्णीत मामलों की संख्या

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88
लम्बित मामले	8,116 ×	8,826	36,276	40,090
चालू मामले	33,631	50,070	20,838	16,801
योग	**41,747**	**58,896**	**57,114**	**56,891**

31 मार्च 1988 को अनिर्णीत अपील तथा पुनरीक्षण के मामलों का वर्षवार विभाजन निम्नवत् था:

वर्ष	31 मार्च 1988 को अनिर्णीत	
	अपील के मामले	पुनरीक्षण के मामले
1980-81 तक	133	1,246
1981-82	29	2,714
1982-83	171	5,026
1983-84	371	8,153
1984-85	1,185	10,682
1985-86	9,216	10,853
1986-87	30,274	14,247
1987-88	17,517	3,970
योग	**58,896**	**56,891**

× 31 मार्च 1987 को अनिर्णीत अपील के मामलों की संख्या 8,372 बनती थी। 256 मामलों का अन्तर मामलों की छानबीन के कारण हुआ बताया गया ।

(च) धोखाधड़ी तथा करअपवंचन के मामलों के निस्तारण की प्रगति

निम्न सारणी, जानकारी में आये, निस्तारित किये गये और 31 मार्च 1988 को लम्बित धोखाधड़ी तथा करअपवंचन के मामलों की स्थिति, जैसा कि बिक्री-कर विभाग द्वारा सूचित की गयी, दर्शाती है:

1987-88 के प्रारम्भ में लम्बित मामले	वर्ष के दौरान जानकारी में आये मामले	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले (निहित-धनराशि)	1987-88 के अन्त में लम्बित मामले
7,815	3,119	2,527 (25.07 करोड़ रूपये)	8,407

वर्ष के दौरान जानकारी में आये मामलों की संख्या वर्ष के दौरान निस्तारित मामलों की संख्या से अधिक थी । परिणामस्वरूप, 31 मार्च 1988 को निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या 31 मार्च 1987 को लम्बित 7,815 मामलों के समक्ष बढ़कर 8,407 हो गई ।

1.6 असंग्रहीत राजस्व

कुछ प्राप्ति शीर्षों के सम्बन्ध में वर्ष 1987-88 के अन्त में संग्रहण हेतु राजस्व के बकायों के विवरण (जैसा कि विभागों

द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं) नीचे दिये गये हैं:

(1) **बिक्री-कर** — 31 मार्च 1987 को 638.06 करोड़ रूपयों (पुनरीक्षित) के समक्ष 31 मार्च 1988 को 786.81 करोड़ रूपये (अनन्तिम) असंग्रहीत रहे। वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	31 मार्च को बकायों की धनराशि		1987-88 के दौरान वसूल किये गये बकायों की धनराशि
	1987	1988	
	(करोड़ रूपयों में)		
1983-84 तक	153.14 (10 वर्षों से अधिक पुराने 23.38 करोड़ रूपयों के बकाये शामिल हैं)	142.76 (10 वर्षों से अधिक पुराने 31.80 करोड़ रूपयो के बकाये शामिल हैं)	10.83 (7)
1984-85	49.72	41.64	8.08 (16)
1985-86	97.23	70.25	26.98 (28)
1986-87	337.97	205.93	132.04 (39)
1987-88	...	326.23	...
योग	**638.06**	**786.81**	**177.48 (28)**

(अन्तिम स्तम्भ में कोष्टकों में आंकड़े, की गई वसूली की प्रतिशततायें दर्शाते हैं ।)

इस प्रकार, 1983–84 तक के बकायों (जिनमें 30 वर्षों से भी पुराने बकाये शामिल हैं) में से की गई वसूलियां, बाद के वर्षों के बकायों की वसूलियों की तुलना में नगण्य थीं । वर्ष के दौरान बकायों की वसूलियां केवल 28 प्रतिशत रहीं । इसके विपरीत 31 मार्च 1987 के बकायों की तुलना में वर्ष 1987–88 में बकायों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुयी ।

31 मार्च 1988 को 786.81 करोड़ रूपयों के बकाये कार्यवाही की निम्नलिखित स्थितियों में थे:

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धन-राशि (करोड़ रूपयों में)
(क) वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांगें (अन्य राज्यों को भेजी गई मांगों को छोड़कर)	208.92
(ख) स्थगित की गयी वसूली	
(I) न्यायालयों द्वारा	98.99
(II) सरकार द्वारा	16.11
(ग) अवरूद्ध वसूली	
(I) संशोधन /समीक्षा के प्रार्थना-पत्रों के कारण	18.28
(II) व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण	2.20
(घ) बट्टे खाते डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि	39.35
(ङ.) अन्य स्थितियां	402.96

(I) सरकारी विभागों के विरूद्ध :

38.36 करोड़ रूपये,

(II) परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध :

81.55 करोड़ रूपये,

(III) अन्य राज्यों को भेजे गये वसूली प्रमाण-पत्र : 19.71 करोड़ रूपये,

(IV) विभिन्न प्रशासनिक कारणों से अन्तिम रूप से निश्चित न की गई मांगे : 253.29 करोड़ रूपये तथा

(V) किश्तों में भुगतान की जाने वाली धनराशि : 0.05 करोड़ रूपये

योग 786.81

(II) गन्ने के क्रय पर कर—31 मार्च 1988 को चीनी मिलों से 8.94 करोड़ रूपये तथा खाण्डसारी इकाइयों से 1.26 करोड़ रूपये (अनन्तिम) असंग्रहीत रहे ।

वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	संग्रहण हेतु बकाये	
	चीनी मिलों से	खाण्डसारी इकाइयों से
	(करोड़ रूपयों में)	
1981-82 तक	6.68	0.81
1982-83 से 1984-85	1.22	0.22
1985-86 से 1987-88	1.04	0.23
योग	8.94	1.26

(111) **भू- राजस्व**—— 31 मार्च 1988 को संग्रहण हेतु 36.71 करोड़ रूपयों के बकायों में से 15.12 करोड़ रूपयों की वसूली सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी ।

इसी प्रकार, 31 मार्च 1988 को संग्रहण हेतु भूमि विकास-कर के 2.22 करोड़ रूपयों के बकाये में से 0.73 करोड़ रूपयों की वसूली स्थगित कर दी गई थी ।

(I) **विद्युत शुल्क**—–—— 31 मार्च 1988 को 23.99 करोड़ रूपये बकाये थे, जिनमें से 15.78 करोड़ रूपये रेणू सागर पावर कम्पनी पर बकाया थे जिसकी वसूली उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी । दस चीनी मिलों के विरूद्ध देयों (0.39 करोड़ रूपये) की वसूली भी या तो उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गयी थीं । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एक अन्य प्रमुख बकायादार था जिसके विरूद्ध बकाये 31 मार्च 1987 को 4.34 करोड़ रूपयों से बढ़ कर 1987-88 के अन्त में 7.27 करोड़ रूपये हो गये, जब कि नियुक्त प्राधिकारियों (केन्द्र सरकार) तथा "अन्य व्यक्तियों से बकाये क्रमश: 0.05 करोड़ रूपये तथा 0.50 करोड़ रूपये थे ।

( ) **मनोरंजन-कर**—–—– 31 मार्च 1988 को 0.11 करोड़ रूपये असंग्रहीत रहे जिनके वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	बकायों की धनराशि (करोड़ रूपयों में)
1983-84 तक	0.03
1984-85 तथा 1985-86	0.02
1986-87 तथा 1987-88	0.06
योग	**0.11**

बकाये की कार्यवाही निम्नलिखित स्थितियों में थी:

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रूपयों में)
(I) वसूली प्रमाण-पत्रों से आवृत्त माँगें	0.03
(II) स्थगित वसूली	
(क) उच्च न्यायालय तथा न्यायिक अधिकरणों द्वारा	0.04
(ख) सरकार द्वारा	0.02
(III) बट्टे खाते डाली जाने वाली (नरोरा एटामिक पावर प्रोजेक्ट, बुलन्दशहर के विरूद्ध बकाया) धनराशि, जिसके लिये सरकार के पास प्रस्ताव पड़ी सूचित की गई	0.02
योग	**0.11**

(VI) **वानिकी एवं वन्य जीवन** --- मांग-कर्ताओं को टिम्बर तथा अन्य वन उपजों की आपूर्ति हेतु माल भेजने से पूर्व उनसे सम्पूर्ण भुगतानों की वसूली कर लेनी होती है और इसलिये सामान्यतया इन मामलों में कोई बकाये नहीं होने चाहिये। फिर भी विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 31 मार्च 1988 को 7.61 करोड़ रूपये असंग्रहीत थे । वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	बकायों की धनराशि (करोड़ रूपयों में)
1982-83 तक	2.20
1983-84	1.55
1984-85 से 1986-87	1.32
1987-88	2.54
योग	**7.61**

7.61 करोड़ रूपयों के बकाये, कार्यवाही की निम्नलिखित स्थितियों में थे:

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रूपयों में)
(क) ठेकदारों की प्रतिभूतियों तथा विभाग की अभिरक्षा में पड़े हुये माल के समक्ष समायोजित की जाने हेतु प्रस्तावित मांगें	5.60
(ख) वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांगें	1.06
(ग) न्यायालयों द्वारा स्थगित वसूली	0.65
(घ) बट्टे खाते डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि	0.11
(ङ.) अन्य स्थितियां	0.19
योग	**7.61**

1.7 राजस्व का बट्टे खाते डाला जाना तथा छूट दिया जाना

1987-88 के दौरान बट्टे खाते डाली गयी तथा छोड़ दी गयी मांगों के विवरण, जैसा कि कुछ विभागों द्वारा प्रस्तुत की गयी है, नीचे दी गयी है:

विभाग	मामलों की संख्या	निहित धनराशि (करोड़ रूपयों में)	टिप्पणी
1. वित्त—			
बिक्री-कर	उपलब्ध नहीं	0.04	कारण नहीं दर्शाये गये
2. राजस्व—			
भू-राजस्व (किराये को शामिल करते हुये)	72	6.66	प्राकृतिक आपदायें तथा बकायेदारों के पता ठिकानो का उपलब्ध न होना

1.8. अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा में देखे गये अव-निर्धारण, वित्तीय अनियमिततायें तथा मूल लेखे के रख-रखाव में त्रुटियां, जिनका मौके पर निराकरण नहीं हो पाता, कार्यालयों के अध्यक्षों और उनके ऊपर के विभागीय प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित की जाती है। अधिक महत्वपूर्ण अनियमिततायें

विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भी प्रतिवेदित की जाती है। छः माह से अधिक अनिस्तारित रहने वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों के अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को, उनके शीघ्र निस्तारण हेतु , भेजे जाते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर भेजे जाने अपेक्षित हैं ।

दिसम्बर 1987 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या, जो विभागों में निस्तारण हेतु 30 जून 1988 तक पड़े रहे, विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ नीचे दी गयी है:

	जून के अन्त में		
	1986	1987	1988
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,892	2,098	2,136
2. अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	4,994	5,219	5,302
3. निहित प्राप्ति की धनराशि (करोड़ रूपयों में)	49.16	58.70	51.91

निम्न सारणी में दिसम्बर 1987 तक जारी परन्तु 30 जून 1988 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्राप्तिवार विवरण दिखाये गये हैं:

प्राप्ति का स्वरूप	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों की संख्या तथा निहित राजस्व			वर्ष जिससे सबसे पुराना प्रतिवेदन संबंधित है
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रूपयों में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. भू-राजस्व	215	419	1.59	1976-77
2. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	584	1,073	1.92	1977-78
3. राज्य आबकारी	215	365	1.74	1980-81
4. बिक्री-कर	292	1,061	4.48	1980-81
5. गन्ने के क्रय पर कर	134	171	1.72	1975-76
6. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	132	608	2.20	1979-80
7. विद्युत शुल्क	45	60	0.15	1981-82

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. मनोरंजन और पणन कर	11	11	0.01	1985-86
9. सार्वजनिक निर्माण कार्य	49	184	0.94	1983-84
10. सहकारिता	24	38	0.05	1983-84
11. कृषि कार्य	35	77	0.21	1982-83
12. खाद्य और रसद	30	77	0.10	1983-84
13. वानिकी और वन्य जीवन	299	868	33.62	1975-76
14. सिंचाई	71	290	3.18	1983-84
योग	**2,136**	**5,302**	**51.91**	

निम्नलिखित प्राप्त शीर्षों से सम्बन्धित 443 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के मामलों में विभागों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुये:

	अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या			
	तीन वर्ष एवं उससे अधिक समय से अनिस्तारित (मार्च 1985	दो वर्षों से अधिक परन्तु तीन वर्षों से कम समय से अनिस्तारित	दो वर्षों से कम समय से अनिस्तारित (1986-87 एवं 1987-88	योग

	तक जारी)	(1985-86 के दौरान जारी)	के दौरान जारी)	योग
1. भू-राजस्व	...	...	32	32
2. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	...	...	24	24
3. राज्य आबकारी	...	...	22	22
4. बिक्री-कर	1	13	84	98
5. गन्ने के क्रय पर कर	2	1	5	8
6. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	...	...	54	54
7. विद्युत शुल्क	...	...	14	14
8. सार्वजनिक निर्माण कार्य	...	3	27	30
9. सहकारिता	...	2	12	14
10. कृषि कार्य	...	3	15	18
11. खाद्य और रसद	...	...	7	7
12. वानिकी और वन्य जीवन	19	6	45	70
13. सिंचाई	20	7	25	52
योग	42	35	366	443

अध्याय 2

बिक्री–कर

2.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987–88 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये बिक्री–कर कार्यालयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण से 725 मामलों में 201.87 लाख रूपयों के कर के अवनिर्धारण तथा ब्याज और अर्थदण्ड के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला जिन्हें मोटे तौर पर निम्नांकित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. छूटों की अनियमित स्वीकृति	120	47.02
2. गलत दरों से कर का लगाया जाना	133	26.53
3. ब्याज/अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	172	78.90
4. माल का गलत वर्गीकरण किया जाना	21	3.50
5. व्यापार (टर्न ओवर) का कर निर्धारण से छूट जाना तथा व्यापार का गलत निर्धारण किया जाना	53	6.61

6. अतिरिक्त कर का न लगाया जाना / कम लगाया जाना	48	5.90
7. गणनात्मक त्रुटियां	51	11.46
8. अन्य अनियमिततायें	127	21.95
योग	725	201.87

1987-88 एवं पूर्ववर्ती वर्षों के कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

2.2. छूटों की अनियमित स्वीकृति

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 4 बी में कुछ अधिसूचित मालों के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल की खरीद पर निर्माताओं को कर में विशिष्ट छूट देने का प्राविधान है। 27 अक्तूबर 1979 के विभागीय परिपत्र के अनुसार कच्ची खाल से सुसज्जित खाल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन, सुसज्जित खाल के निर्माण हेतु कच्चा माल नहीं हैं। अत: सुसज्जित खाल के निर्माताओं को सुसज्जित खाल एवं चर्म के निर्माण में प्रयुक्त रसायन के खरीद पर कर की दर में रियायत अनुमन्य नहीं होगी।

(क) बिक्री-कर मण्डल, आगरा में सुसज्जित खाल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में घोषणा प्रपत्र 3ख दे कर 4 प्रतिशत की रियायत दर से 35.37 लाख रूपयों का रसायन खरीदा । चूँकि सुसज्जित खाल के निर्माण हेतु रसायन कच्चा माल

नहीं था अतः व्यापारी उसे रियायती दर पर खरीदने का हकदार नहीं था। रियायती दर की अनियमित छूट के कारण 1.41 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा (मार्च 1987) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1987) कि सुसज्जित खाल के निर्माण हेतु रसायन कच्चा माल था। 27 अक्तूबर 1979 के विभागीय परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में विभाग का उत्तर मानने योग्य नहीं है ।

सरकार को मामला सितम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ख) बिक्री-कर मण्डल, कानपुर के सुसज्जित खाल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने 1982-83 वर्ष के दौरान 4 प्रतिशत के रियायती दर पर 6.73 लाख रूपयों की बबूल की छाल (रसायन) की खरीद की । चूँकि रसायन (बबूल की छाल सहित) सुसज्जित खाल के निर्माण हेतु कच्चा माल नहीं है अतः व्यापारी उसे 8 प्रतिशत की सामान्य कर की दर पर ही खरीदने का हकदार था । व्यापारी को अनियमित छूट प्रदान किये जाने के कारण 26,912 रूपये कम कर आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने (मई 1988) में बताया कि अब कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 26,912 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला मार्च 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

2.3. निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाना

प्रत्येक व्यापारी, जो किसी ऐसी वस्तु की बिक्री करता है जिसका व्यापार (टर्न ओवर) उत्तरप्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कर आरोपण योग्य है, उसे अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र लेना होता है। पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं विभागीय नियम-पुस्तिका में कुछ शर्तों एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि, व्यापारी निर्धारित प्रपत्र में वांछित विवरण सहित एक प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित बिक्री-कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो (बिक्री-कर अधिकारी) व्यापारी की पहचान, सम्बन्धित व्यापार शुरू करने से पूर्व आजीविका के साधन, व्यापारी की वित्तीय अवस्था अर्थात् व्यापार में लगायी गयी पूँजी व उसका श्रोत, अचल एवं चल सम्पत्ति की स्थिति व उनकी कीमत, क्या व्यापारी का बैंक में खाता है और क्या फर्म के बन्द होने की स्थिति में कर की शेष राशि वसूल की जा सकेगी, व्यापारी एवं उसके हिस्सेदारों के स्थानीय व स्थायी पते और क्या ये पते पूरे और सही हैं, इसका सत्यापन करेगा । बिक्री-कर अधिकारी स्थल निरीक्षण से सन्तुष्ट होने के पश्चात् प्रार्थन-पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन के अन्दर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम

1948 के अनुसार व्यापारी को बिना कर के अथवा कर की रियायती दर पर खरीद प्राधिकृत करने वाले नये घोषणा प्रपत्र तब तक जारी नहीं किये जायेंगे, जब तक वह पूर्व में जारी किये गये समस्त प्रपत्रों का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं कर देता है।

बिक्री-कर मण्डल, गोपीगंज (जिला वाराणसी) में एक व्यापारी को दो अन्य व्यापारियों द्वारा दी गयी 25,000 रूपये की जमानत पर, उसके स्थानीय व स्थायी पते और वित्तीय अवस्था के बारे में स्थल जांच या निरीक्षण किये बिना ही 18 मई 1983 से प्रभावित होने वाला एक पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। यह सुनिश्चित किये बिना ही कि विगत में जारी किये गये समस्त प्रपत्र उचित ढंग से प्रयुक्त किये गये हैं, 2 जून 1983 से 4 जनवरी 1984 की अवधि में 29 घोषणा-प्रपत्र xxx1 तथा 24"सी" प्रपत्र व्यापारी को सात किस्तों में जारी कर दिये गये। व्यापारी ने उक्त प्रपत्रों के समक्ष भारी मात्रा में लोहा एवं इस्पात की खरीद की । उसने शून्य बिक्री दर्शाते हुये मई 1983 व सितम्बर 1983 के रूपपत्र प्रस्तुत किये थे । इस मामले में 28 जुलाई 1985 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। 29 जुलाई 1985 को पत्र वाहक द्वारा व्यापारी को एक नोटिस भेजी गयी । चूँकि दिये गये पते पर इस प्रकार का कोई व्यापारी उपलब्ध नहीं था, नोटिस दीवाल पर चस्पा कर दी गयी। 30 जुलाई 1985 को एक पक्षीय रूप से कर निर्धारण कर दिया गया और 1983-84 हेतु बिक्री की धनराशि (टर्न ओवर) 30 लाख रूपये

निर्धारित करके 1.20 लाख कर आरोपित कर दिया गया । 9 सितम्बर 1985 को व्यापारी को मांगपत्र की नोटिस भेजी गयी । व्यापारी का कोई अता-पता ज्ञात न किये जा सकने के कारण मांगपत्र की तामीली नहीं की जा सकी और 30 नवम्बर 1985 को व्यापारी को प्रदत्त पंजीयन निरस्त कर दिया गया ।

पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करने व प्रपत्रों को जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने के कारण सरकार को कम से कम 1.20 लाख रूपयों की हानि उठानी पड़ी।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1986) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 1988) कि पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व दो अन्य व्यापारियों से जमानत ले ली गयी थी और व्यापार स्थल की भी जांच कर ली गयी थी । फिर भी पांच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी व्यापारी को खोजा नहीं जा सका और न वसूलियां की जा सकीं, ये तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि व्यापारी का स्थायी पता और उसकी चल एवं अचल सम्पत्ति की पुष्टि नियमानुसार नहीं की गयी थी और विगत में जारी किये गये घोषणा पत्रों के प्रयुक्त कर लिये जाने की सम्पुष्टि किये बिना ही नये घोषणा प्रपत्र जारी कर दिये गये थे और विभाग ने राज्य के राजस्व की सुरक्षा के हित में समय पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की ।

सरकार को मामला जून 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

2.4. निर्माताओं द्वारा बिक्री के बिन्दु पर कर न लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत तेन्दू की पत्तियों की बिक्री पर, दिनांक 7 सितम्बर 1981 से, निर्माता अथवा आयातकर्ता के द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 10 प्रतिशत की दर से कर देय है ।

बिक्री-कर मण्डल, मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 की अवधि में दो ठेकेदारों द्वारा 9.95 लाख रूपयों की तेन्दू की पत्तियों की विक्रियां इस आधार पर पूर्ण कर मुक्त कर दी गयीं (अक्तूबर 1986 से दिसम्बर 1986) कि तेन्दू की पत्तियों पर पट्टा देने वाले अर्थात् राज्य सरकार के वन-विभाग के द्वारा कर देय है। ठेकेदारों ने वन-विभाग को रायल्टी का भुगतान करके वन से तेन्दू की पत्तियां संग्रहीत की थीं। वहीं अधिनियम की धारा 2(ई-1) के अनुसार संग्रहण को भी निर्माण माना गया है और तदनुसार, निर्माता होने के नाते, कर उन्हीं ठेकेदारों के द्वारा अदा किया जाना था । इस चूक के कारण 99,510 रूपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ। चूँकि यह कर सर्व सम्मति से देय था, समय पर कर जमा न किये जाने के कारण इस पर ठेकेदारों से 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्याज भी वसूल किया जाना था ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1987) में इस चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1988) कि दोनो प्रकरणों में कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिये गये हैं और

99,510 रूपयों की मांग सृजित कर दी गयी है । कर एवं ब्याज की वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला अगस्त 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

2.5. माल का गलत वर्गीकरण किया जाना

(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत वनस्पति के साथ-साथ परिशोधित नारियल का तेल, परिशोधित मूँगफली का तेल अथवा मार्गरीन पर कर, निर्माता अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर, 6 सितम्बर 1981 तक 9 प्रतिशत की दर से (1 प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) एवं 7 सितम्बर 1981 से 10 प्रतिशत की दर से देय है ।

बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ में एक व्यापारी द्वारा 1 अप्रैल 1981 से 6 सितम्बर 1981 तक व 7 सितम्बर 1981 से 31 मार्च 1982 तक क्रमशः 7.09 लाख रूपये तथा 8.60 लाख रूपये के आयातित परिशोधित नारियल के तेल की बिक्री पर, सही कर की दर, 9 प्रतिशत व 10 प्रतिशत के स्थान पर परिशोधित नारियल के तेल को "सभी प्रकार के तेल" के अन्तर्गत मानते हुये दोनों अवधियों में 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 87,061 रूपयों के कर का अवनिर्धारण हो गया ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1985) में इसे इंगित किये जाने वर विभाग ने बताया (अगस्त 1987) कि कर निर्धारण

आदेश संशोधित कर दिया गया है (जून 1986) और 87,061 रूपयो की मांग सृजित कर दी गयी है । उक्त की धनराशि परकर के जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज का भी लगाया जाना अपेक्षित था । कर एवं ब्याज की वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को यह प्रकरण जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 7 सितम्बर 1981 से रबर शीट की निर्माता अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 8 प्रतिशत की दर (अवर्गीकृत वस्तु की भांति) से कर देय है। केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रबर शीट की बिक्री पर (जो घोषणा प्रपत्र सी या डी से समर्थित न हो) 10 प्रतिशत की दर से कर देय है ।

बिक्री-कर मण्डल, वाराणसी के एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 की अवधि में स्व निर्मित रबर शीट की राज्य के अन्दर 4.37 लाख रूपये की व 5.40 लाख रूपयों की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री (निर्धारित घोषणा प्रपत्र सी व डी से असमर्थित) की ।"इस वस्तु को सभी प्रकार के वस्त्र" मानते हुये बिक्री को कर मुक्त प्रदान कर दी गयी (जनवरी 1987) । गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 88,986 रूपयों के कर का अवनिर्धारण हो गया । देय कर की राशि पर कर के जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1988) कि कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है और 88,986 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को प्रकरण जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

2.6. केन्द्रीय बिक्री-कर का अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा-प्रपत्र के समर्थन के अभाव में अघोषित वस्तुओं के अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर अथवा उक्त वस्तु की प्रान्तीय बिक्री पर कर की दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय होगा । उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कप (जय-पात्र), तमगों (मेडल्स) एवं विजयोपहारों (ट्राफीज़) की बिक्रियों पर 6 सितम्बर 1981 तक 5 प्रतिशत बिक्री-कर व 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर और 7 सितम्बर 1981 से 6 प्रतिशत बिक्री-कर देय है ।

बिक्री-कर मण्डल, मुरादाबाद में एक व्यापारी ने वर्ष 1981-82 की अवधि में कप, शील्ड एवं ट्राफी की 5.65 लाख रूपयों की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की । यद्यपि ये बिक्रियां विहित घोषणा प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से समर्थित नहीं थीं, फिर भी 10 प्रतिशत के सही दर पर करारोपण के स्थान पर 4 प्रतिशत

की दर से कर आरोपित किया गया (नवम्बर 1984)। इसके फलस्वरूप 33,911 रूपयों की राशि का कम कर आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1985) में इस चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जून 1987) कि कर-निर्धारण संशोधित कर दिया गया है (सितम्बर 1986) और 33,911 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को प्रकरण जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

2.7. छूटों की अनियमित स्वीकृति

(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 30 जून 1979 को जारी की गयी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग बम्बई द्वारा प्रमाणित संस्थायें, ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित उन वस्तुओं की बिक्री पर जो अनुलग्नक की सूची में दी गयी है, बिक्री-कर से मुक्त कर दी गयी हैं ।

बिक्री-कर मण्डल, लैंसडाउन में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग बम्बई द्वारा प्रमाणित एक ग्रामीण संस्था ने वर्ष 1982-83 की अवधि में 4.18 लाख रूपयों के लीसा (रोज़िन) तारपीन का तेल एवं वार्निश की बिक्री की । यद्यपि उक्त वस्तुयें सन्दर्भित सूची में सम्मिलित नहीं थीं, तथापि

इनकी विक्रय धनराशि (टर्न ओवर) को कर मुक्ति प्रदान कर दी गयी । अनियमित छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 34,392 रूपयों की राशि का कर आरोपित नहीं हुआ । चूंकि यह कर सर्व सम्मति से, देय था, संस्था से कर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज भी वसूली योग्य था ।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किये जाने पर (जून 1987) विभाग ने बताया (मार्च 1988) कि कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 33,400 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत रबड़युक्त अथवा सिन्थेटिक जल-रोधी (वाटर प्रूफ) वस्त्रों की बिक्री चाहे वह इकहरी अथवा दोहरी बुनावट की हो, कर से इस शर्त पर मुक्त की गयी है कि उस वस्तु पर लगने वाला अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अदा किया जा चुका हो और व्यापारी ने इस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया हो कि कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान हो जावे कि उक्त शुल्क अदा किया जा चुका है ।

बिक्री-कर मण्डल, हाथरस के एक व्यापारी ने वर्ष 1978-79 की अवधि में 2.35 लाख रूपयों का मैकिन्तोष

(रबड़युक्त कपड़ा) बनाकर बेचा । यद्यपि व्यापारी ने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा करने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री को कर से मुक्त कर दिया । उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 में मैकिन्तोष को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है। अत: उक्त बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तु पर लगने वाली दर अर्थात् 8 प्रतिशत (1 प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) से कर लगाना अपेक्षित था । छूट की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप 18,800 रूपये की धनराशि के कर का अवनिर्धारण हुआ । व्यापारी द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमास की दर से कर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय था ।

लेखापरीक्षा (अक्तूबर 1985) में इस चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्तूबर 1987) कि कर-निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 18,800 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित की जा चुकी है । कर की वसूली एवं ब्याज आरोपण हेतु की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को प्रकरण दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

2.8. अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना

(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 3-एफ के अनुसार 3 दिसम्बर 1979 तक यदि किसी

कर-निर्धारण वर्ष में व्यापारी का व्यापार (टर्न ओवर) 2 लाख रूपयों से अधिक हो जाता था तो उस पर सामान्य बिक्री-कर के अतिरिक्त 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था। 4 दिसम्बर 1979 से 6 सितम्बर 1981 तक अतिरिक्त कर आरोपण हेतु व्यापार (टर्न ओवर) की कोई सीमा नहीं थी। 7 सितम्बर 1981 से धारा 3-एफ को हटा दिया गया।

बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ में एक सरकारी प्रतिष्ठान के द्वारा निर्मित ट्रांसफार्मर, बिजली के तार व अन्य विजली के सामानों की बिक्री वर्ष 1975-76 में 1.60 करोड़ रूपये निर्धारित की गयी। उक्त व्यापार (टर्न ओवर) पर 14.20 लाख रूपये कर अरोपित किया गया (3 जून 1986)। किन्तु 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगने से रह गया। चूक के कारण 1.60 लाख रूपये अतिरिक्त कर लगने से रह गया।

लेखापरीक्षा (मई 1987) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 1988) कि कर-निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 1.60 लाख रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989)।

सरकार को प्रकरण जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 3-ई के अन्तर्गत 1 अक्तूबर 1983 से 31 अक्तूबर 1985 की

अवधि में सभी व्यापारी को जिनका सकल व्यापार (एग्रीगेट टर्न ओवर) 10 लाख रूपयों से अधिक था, देय बिक्री-कर के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देना था । 1 नवम्बर 1985 से सभी व्यापारियों द्वारा, बिक्री-कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देय हो गया था चाहे उनका व्यापार (टर्न ओवर) कुछ भी रहा हो ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर एक मामले में 10,270 रूपये ब्याज के साथ 12,131 रूपये अतिरिक्त कर वसूल कर लिया गया । एक अन्य प्रकरण निम्नवत् है:

बिक्री-कर मण्डल, इलाहाबाद में एक व्यापारी के कर-निर्धारण वर्षों 1983-84 (अक्तूबर 1983 से 31 मार्च 1984 तक) 1984-85 व 1985-86 (1 अप्रैल 1985 से 31 अक्तूबर 1985 तक) में समेकित व्यापार (टर्न ओवर) दस लाख रूपयों से अधिक थे किन्तु 1 अक्तूबर 1983 से 31 अक्तूबर 1985 तक की अवधि के बिक्री-कर के 5 प्रतिशत और 1 नवम्बर 1985 से 31 मार्च 1986 तक की अवधि में बिक्री-कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया । आरोपित न किये गये अतिरिक्त कर की सकल धनराशि 13,700 रूपये बनती थी ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1987) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मई 1988) कि कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 13,700 रूपये के अतिरिक्त कर

की मांग सृजित कर दी गयी है । वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को प्रकरण फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

2.9. क्रय-कर का आरोपित न किया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 3 क क क क के अन्तर्गत, ऐसी वस्तु जो उपभोक्ता को की गई बिक्री के बिन्दु पर कर देय है, जब किसी व्यापारी को बेची जाती है परन्तु अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत विक्रेता द्वारा बिक्री कर देय नहीं होता और क्रेता व्यापारी उस वस्तु को उसी रूप एवं अवस्था में जिसमें उसने उसे क्रय किया था, राज्य के भीतर या अन्तर्प्रान्तीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री नहीं करता है तो, क्रेता व्यापारी धारा 3 की शर्तों के अधीन, उक्त क्रय पर उसी दर से क्रय कर का देनदार होगा जिस दर पर वह वस्तु उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर कर योग्य है ।

(क) बिक्री-कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 के दौरान क्रमश: 1.18 लाख रूपये व 0.92 लाख रूपये की प्लास्टिक की रद्दी (उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर करयोग्य) बिना कर का भुगतान किये अपंजीकृत व्यापारियों से खरीद कर प्लास्टिक फुटवियर और साइकिल के सीट कवर का निर्माण किया । चूंकि व्यापारी ने प्लास्टिक की रद्दी की

उसी रूप एवं अवस्था में पुनः बिक्री नहीं की थी जिसमें उसने उसे क्रय किया था, वह 8 प्रतिशत की दर से 16,818 रूपये क्रय कर अदा करने का दायी हो गया था जो कि आरोपित किये जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1987) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1988) कि लेखा पुस्तकों की पुनः जांच करने पर दोनों वर्षों के कर-निर्धारण आदेश संशोधित कर दिये गये हैं और 25,934 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है (जुलाई 1988) । वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को प्रकरण मार्च 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ख) बिक्री-कर मण्डल, बरेली में एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 की अवधि में 6.32 लाख रूपये का खारिज किया गया रेलवे वैगन प्रपत्र 3 क के समर्थन से रेलवे विभाग से कर-मुक्त खरीदा था जो "पुरानी त्याज्य, अनुपयोज्य एवं अप्रचलित मशीनों, भण्डार अथवा वाहन" की श्रेणी में आता है[x]। उसने वैगनों को तोड़कर रद्दी लोहा (स्क्रैप) प्राप्त किया जिसकी प्रपत्र 3 ख के समक्ष लोहा एवं स्टील के निर्माताओं को कर-मुक्त बिक्री

---

x मेसर्स जिला भण्डारण नियंत्रक, आलमबाग, लखनऊ (एस.टी.आई. 1982 धारा 35 I-पी.एस.टी. 9.

की गयी थी। चूंकि वैगन जिस रूप एवं अवस्था में खरीदे गये थे, उसी रूप एवं अवस्था में नहीं बेचे गये अतः व्यापारी पर 8 प्रतिशत की दर से 50,530 रूपये क्रय कर लगना था जो लगाये जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1987) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1988) कि कर-निर्धारण अब संशोधित कर दिया गया है (फरवरी 1988) और 50,530 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को प्रकरण जून 1988 में प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

2.10. बिक्री-कर के गलत दर का आरोपण

एक प्रकरण में बिक्री-कर के गलत दर पर कर आरोपण के फलस्वरूप हुई कर की कमी को लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर ब्याज समेत 23,421 रूपयों की वसूली की गयी थी । कुछ अन्य प्रकरण निम्नवत् हैं:

(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 7 सितम्बर 1981 से सभी बिजली के सामान, उपकरण, यंत्र, विजली के मिट्टी एवं चीनी मिट्टी के सामान आदि तथा समस्त अन्य सहायक सामान और पुर्जों की बिक्री पर, चाहे उसे अलग-अलग या एक साथ बेचा जाता हो, 12 प्रतिशत की दर से कर देय है ।

बिक्री-कर मण्डल, राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) में एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में 5 लाख रूपयों के विद्युत्रोधी पदार्थ (इन्सुलेटिंग मैटीरियल) की बिक्री की । 12 प्रतिशत सही कर की दर के स्थान पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया (मार्च 1987) । गलत दर से कर लगाने के कारण 20,000 रूपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ । जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1987) कि प्रतिप्रेषित वाद पर पुनर्करनिर्धारण करके अक्तूबर 1988 में 20,000 रूपये की अतिरिक्त माँग सृजित कर दी गयी है ।

सरकार को प्रकरण अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत रूम कूलर और उसके पुर्जे व सहायक सामग्री पर 7 सितम्बर 1981 से 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

बिक्री-कर मण्डल, आगरा में वर्ष 1982-83 के दौरान एक व्यापारी की "कूलर बाडी" की बिक्री 25 लाख रूपये में निर्धारित की गयी थी । इन बिक्रियों पर (मार्च 1987) 12 प्रतिशत की दर के स्थान पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत दर से कर आरोपित किये जाने के कारण 99,510 रूपये का कर कम आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1987) में गलती के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (जनवरी 1987) कि कर निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया है एवं 99,510 रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है। ब्याज के लगाए जाने हेतु की गयी कार्यवाही एवं वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला मार्च 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(III) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत "मिल स्टोर्स एवं हार्डवेयर" की विक्रियों पर 7 सितम्बर 1981 से निर्माता अथवा आयातकर्ता के बिन्दु पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के निर्णय के अनुसार चक्की का पत्थर "मिल स्टोर्स" का एक मद है ।

बिक्री-कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 के दौरान क्रमश: 1.46 लाख रूपये एवं 5.80 लाख रूपये के चक्की के पत्थरों की बिक्री की । इन विक्रियों पर 8 प्रतिशत के बजाय 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया, जिसके फलस्वरूप 14,517 रूपये के कर का कम निर्धारण हुआ । व्यापारी पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1987) में इस गलती के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 1988) कि वर्ष

1982-83 का कर निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया है एवं 2,924 रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है और व्यापारी की प्रार्थना पर वर्ष 1983-84 का वाद कर निर्धारण हेतु पुन: खोल दिया गया है ।

वर्ष 1982-83 हेतु ब्याज सहित वसूली एवं वर्ष 1983-84 के कर-निर्धारण के परिणाम प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

सरकार को प्रकरण अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(IV) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 7 सितम्बर 1981 से सभी प्रकार की धातुओं एवं मिश्र-धातुओं (एलॉय) पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है और निर्धारित घोषणापत्रों के अभाव में इन वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

बिक्री-कर मण्डल, अल्मोड़ा में एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 के दौरान 6 लाख रूपयों का कांसा-पाउडर राज्य के अन्दर एवं 7 लाख रूपयों का कांसा-पाउडर की अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बिक्री (निर्धारित घोषणा-पत्रों से असमर्थित) की । इस बिक्री पर राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर दोनों स्थितियों में, (जो घोषणा-पत्रों से आच्छादित नहीं था) 3 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाये जाने के कारण 55,000 रूपयों के कर का कम

निर्धारण हुआ। कर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (जून 1988) कि कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया है एवं 55,000 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । देय ब्याज के साथ कर की वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को यह प्रकरण जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(v) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत "सभी प्रकार के खनिज,धातुकी (ओर), धातुयें, कतरने (स्क्रैप) और मिश्रित धातुऐं (एलॉय), जिसके अन्तर्गत पीतल के वर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली चादरें (शीट्स) एवं चक्के (सर्किल्स) भी आते हैं), की विक्रय-धनराशि पर 7 सितम्बर 1981 से 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था ।

बिक्री-कर मण्डल, मुरादाबाद में एक व्यापारी द्वारा 1 अक्तूबर 1981 से 31 मार्च 1982 के दौरान 14.18 लाख रूपयों की पीतल की सिलें, तांबे का चक्का, पीतल की चादरें एवं पीतल की कतरनों (स्क्रैप) की बिक्री पर 4 प्रतिशत की सही दर के बजाय 3 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । त्रुटिपूर्ण कर की दर लगाये जाने के कारण 14,183 रूपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ । इसके अतिरिक्त निर्धारित अवधि के अन्दर

कर का भुगतान न किये जाने के कारण 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1987) में इस भूल के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि कर-निर्धारण अब पुनरीक्षित कर दिया गया है और 14,183 रूपयों का कर आरोपित कर दिया गया है। करारोपण के साथ-साथ उस पर प्रभार्य ब्याज की वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को प्रकरण दिसम्बर 1987 एवं पुनः जुलाई 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(VI) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत लाउडस्पीकरों और उसके अतिरिक्त हिस्सों (स्पेयर पार्ट्स) पर 6 सितम्बर 1981 तक निर्माता अथवा आयातकर्ता के बिन्दु पर, एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित 13 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था ।

बिक्री-कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1981-82 (1 अप्रैल 1981 से 6 सितम्बर 1981) के दौरान 4.99 लाख रूपयों के, प्रान्त के बाहर से आयातित लाउडस्पीकरों की बिक्री की । इस बिक्री पर 13 प्रतिशत की सही दर के बजाय 10 प्रतिशत की दर से (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) कर आरोपित किया गया था । त्रुटिपूर्ण कर लगाये जाने के फलस्वरूप 14,957 रूपयों का कर कम आरोपित हुआ । क्योंकि कर सर्व

सम्मति देय था, 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से, जमा करने की तिथि तक ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1986) में, इस चूक के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 1987) कि कर निर्धारण आदेश अब पुनरीक्षित कर दिया गया है (अगस्त 1987) एवं 14,957 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

यह प्रकरण सरकार को, नवम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(VII) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा-पत्रों सी अथवा डी, से समर्थित न होने पर घोषित माल की अन्तर्राज्यीय विक्रियों पर राज्य के अन्दर उसके क्रय अथवा विक्रय पर लागू दर के दो गुनी दर से आरोपणीय है ।

बिक्री-कर मण्डल, मेरठ में एक व्यापारी ने वर्ष 1981-82 में (6 सितम्बर 1981 तक) 14 लाख रूपयों की खाण्डसारी-चीनी की अन्तर्राज्यीय बिक्री की। यद्यपि ये विक्रियां निर्धारित घोषणा-पत्र सी अथवा डी, से समर्थित नहीं थीं तथापि कर-निर्धारण दो गुनी दर अर्थात् 4 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत की साधारण दर से आरोपित किया गया । कर की गलत दर लगाये जाने के कारण 28,000 रूपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा (मार्च 1987) में इस गलती के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (मार्च 1988) कि कर-निर्धारण अब पुनरीक्षित कर दिया गया है और 28,000 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989)।

सरकार को यह प्रकरण सितम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल-1989)।

2.11. कच्चे माल की अनियमित कर-मुक्त खरीदों की स्वीकृति

31 दिसम्बर 1976 की अधिसूचना के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 4-ख के अन्तर्गत कुछ निर्माताओं (मान्यता प्रमाण-पत्र धारण करने वाले) को उनके द्वारा कुछ अधिसूचित माल के निर्माण हेतु (कागज, कत्था, दियासलाई, दियासलाइयों के खाली डिब्बे आदि को छोड़कर) अपेक्षित कच्चे-माल की खरीदों पर उत्तर प्रदेश के विनिर्दिष्ट पिछले जनपदों के लिये 5 वर्षों की अवधि के लिये तथा अन्य जनपदों में 3 वर्षों के लिये कुछ निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर, निर्माताओं को कर से विशेष छूट की एक योजना का प्रावधान किया गया है। निश्चित अवधि के बाद व्यापारी रियायती दर 4 प्रतिशत से कच्चा-माल क्रय करने का अधिकारी है। यदि माल उक्त अधिसूचना अथवा किसी अनुवर्ती अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नहीं है,

तो निर्माता 4 प्रतिशत के रियायती दर पर कच्चा-माल क्रय करने का अधिकारी है। उसी अधिनियम की धारा 3-ख के अन्तर्गत मिथ्या घोषणा-पत्र जारी करने की दशा में, जिसके कारण माल को विक्रय अथवा क्रय पर करारोपण समाप्त हो जाता है, व्यापारी कर के रूप में ऐसी धनराशि देने का भागी हो जाता है, जो घोषणा-पत्र जारी न किये जाने की दशा में इस व्यापार पर कर के रूप में देय होता । इसके अतिरिक्त यथा-कथित अधिनियम की धारा 15 क (1) (ठ) के अन्तर्गत व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में, इस प्रकार से बचाये गये कर का 50 प्रतिशत से कम किन्तु डेढ़ गुने से अनधिक धनराशि देने का उत्तरदायी होगा ।

(क) बिक्री-कर मण्डल, आगरा में स्वचालित वाहनों के पुरजे (आटो पार्ट्स) एवं ट्रैक्टर के पुरजों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में दी गयी घोषणा-पत्रों के आधार पर वर्ष 1979-80 और 1980-81 वर्षों के दौरान क्रमश: 3.74 लाख रूपये एवं 2.19 लाख रूपये का लोहा और इस्पात तथा लोहे की कतरने (स्क्रैप) की कर मुक्त खरीद की । चूंकि ट्रैक्टर के पुरजे और स्वचालित वाहनों के पुरजे (आटो पार्ट्स) 31 दिसम्बर 1976 की अधिसूचना अथवा किसी अनुवर्ती अधिसूचना के द्वारा अनुलग्नक I एवं III में विनिर्दिष्ट नहीं की गयी है, व्यापारी केवल 4 प्रतिशत की रियायती दर से कच्चा माल खरीदने का अधिकारी था, न कि कर-मुक्त । कर-निर्धारण के समय (मार्च 1984 एवं फरवरी 1985) कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अनियमितता नहीं देखी गयी ।

घोषणा-पत्र के दुरूपयोग के फलस्वरूप 23,627 रूपयों का करापवंचन कर लिया गया । व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में कर की धनराशि का कम से कम 50 प्रतिशत का देनदार था ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1987) में इस त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 1988) कि कर-निर्धारण आदेश अब पुनरीक्षित कर दिये गये हैं और 23,627 रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है। दण्ड आरोपित किये जाने एवं वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को यह प्रकरण मई 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(ख) बिक्री-कर मण्डल, वाराणसी में स्टील-ट्रंक के निर्माण हेतु, मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में की गयी घोषणा के आधार पर वर्ष 1984-85 में 5.16 लाख रूपयों की लोहे की चद्दर की कर-मुक्त खरीद की । चूँकि 31 दिसम्बर 1976 की अधिसूचना अथवा किसी अनुवर्ती अधिसूचना के अनुलग्नक में स्टील-ट्रंक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, व्यापारी कर-मुक्त कच्चा-माल खरीदने का अधिकारी नहीं था। वह फार्म 3-ख में की गयी घोषणा के आधार पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से कच्चा माल खरीद सकता था। फिर भी, चूंकि लोहे की चद्दर पर कर देयता 4 प्रतिशत की ही थी, इस मामले में व्यापारी द्वारा फार्म 3-ख जारी किया जाना आवश्यक नहीं था । इसलिये घोषणा-पत्रों के दुरूपयोग के फलस्वरूप व्यापारी कर के

बराबर 20,635 रूपये की धनराशि का दायी था और इसके साथ-साथ कम से कम कर का 50 प्रतिशत जो कि 10,318 रूपये होता था, के अर्थदण्ड का उत्तरदायी था। परन्तु कर एवं अर्थदण्ड आरोपित किये जाने से रह गया ।

यह प्रकरण विभाग को अप्रैल 1988 में एवं सरकार को सितम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ग) बिक्री-कर मण्डल, वाराणसी में पी.सी.सी. पोल्स के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में की गयी घोषणा के आधार पर वर्ष 1983-84 के दौरान 5.40 लाख रूपये के एच.टी. वायर और एम.एस.राउण्ड्स की कर-मुक्त खरीद की । चूँकि पी.सी.सी. पोल्स उक्त अधिसूचना अथवा किसी अनुवर्ती अधिसूचना के अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट नहीं थे, व्यापारी उक्त कच्चा माल 4 प्रतिशत की दर से खरीदने का अधिकारी था न कि कर-मुक्त । अत: व्यापारी घोषणा-पत्रों के दुरूपयोग द्वारा किये गये कर अपवंचन की धनराशि के समरूप 21,598 रूपये का कर देने का उत्तरदायी था। वह कम से कम 10,799 रूपयों के अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि 21,598 रूपये का कर आरोपित कर दिया गया है, कर की वसूली एवं अर्थदण्ड

आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

यह प्रकरण सरकार को सितम्बर 1988 में. प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(घ) बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ में एक व्यापारी को प्लास्टिक-उत्पाद के निर्माण हेतु जनवरी 1987 में मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था । चूंकि लखनऊ "विशिष्ट पिछड़े जनपदों की सूची में नहीं था, व्यापारी केवल 3 वर्षों के लिये कच्चे-माल की कर-मुक्त खरीद करने का अधिकारी था अर्थात् 31 दिसम्बर 1979 तक। फिर भी व्यापारी को फार्म 3-ख की घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान 6.74 लाख रूपये के कच्चा-माल कर-मुक्त खरीद के लिये अनुमति दे दी गयी (जनवरी 1986 में कर निर्धारण के समय)। अनियमित कर-मुक्त खरीद स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ब्याज की हानि के अतिरिक्त, जो कि 42,286 रूपये बनती थी (जुलाई 1988 तक) 26,947 रूपये की धनराशि का कर निर्धारण नहीं किया गया ।

विभाग को नवम्बर 1987 में एवं सरकार को सितम्बर 1988 में यह प्रकरण प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

(ङ.) बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी को 1972 में ट्रान्सफार्मर के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत

किया गया था । उसने फार्म 3-ख में की गयी घोषणा के आधार पर वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 के दौरान 6.41 लाख रूपये का कर मुक्त लोहा व इस्पात एवं कोरूगेटेड डिब्बों आदि की खरीद की। 31 दिसम्बर 1976 की अधिसूचना के अनुसार उक्त अवधि में व्यापारी 4 प्रतिशत की रियायती दर से कच्चा माल खरीदने का अधिकारी था परन्तु उसने फार्म 3-ख में घोषणायें जारी करके कच्चे-माल की कर मुक्त खरीद कर ली । फार्म 3-ख में मिथ्या घोषणाओं के फलस्वरूप व्यापारी कर के रूप में 25,659 रूपये के भुगतान का दायी था। इसके अतिरिक्त 38,488 रूपये तक का अर्थदण्ड भी लगाये जाने योग्य था । परन्तु विभाग कर एवं अर्थदण्ड लगाने में असफल रहा ।

लेखापरीक्षा (जून 1986) में इस भूल के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1989) कि अब कर निर्धारण आदेश पुनरीक्षित कर दिये गये हैं एवं 49,659 रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी (जिसमें अर्थदण्ड की धनराशि 24,000 रूपये सम्मिलित है) ।

यह प्रकरण सरकार को सितम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(च) बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी को 3 अगस्त 1979 से कागज के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था । उसने फार्म 3-ख में की गई घोषणाओं

के आधार पर वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 के दौरान क्रमश: 16.71 लाख रूपये एवं 43,170 रुपये का कच्चा-माल (रद्दी कागज और अन्य सामग्री) की कर-मुक्त खरीद की । चूंकि इस योजना के अन्तर्गत कागज के निर्माता लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे, अत: व्यापारी को मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना अनियमित था। इसके कारण 1.04 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुयी ।

यह प्रकरण विभाग को अक्तूबर 1987 में एवं सरकार को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

(छ) बिक्री-कर मण्डल, कानपुर में तीन व्यापारियों को "साइकिल सीट लेदर टाप्स" के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। इन तीन व्यापारियों ने फार्म 3-ख में की गयी घोषणा के आधार पर वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 वर्षों के दौरान क्रमश: 10.96 लाख रूपये, 15.47 लाख रूपये, 31.37 लाख रूपये और 12.60 लाख रूपये के कच्चे-माल की कर मुक्त खरीद की और उसका उपयोग साइकिल सीट लेदर टाप्स के निर्माण में किया । क्योंकि साइकिल सीट लेदर टाप्स (31 दिसम्बर 1976 की अधिसूचना में उल्लिखित) न तो साइकिल के पुरजे ही है और न ही उपकरण (एसेसरीज़) हैं ये व्यापारी लेदर टाप्स के निर्माण हेतु कर-मुक्त कच्चा माल खरीदने के अधिकारी नहीं थे वरन मात्र 4 प्रतिशत की रियायती दर पर ले सकते थे। कच्चे माल की कर-मुक्त खरीदों

की अनियमित छूट दिये जाने के फलस्वरूप 2.42 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1987) में इस त्रुटि के इंगित किये जाने पर, विभाग ने जून 1988 में बताया कि एक अधिसूचना जारी करके दिनांक 30 मार्च 1987 से साइकिल सीट टाप्स को साइकिल का पुरजा माना गया है। नवम्बर 1988 में विभाग को पुनः सूचित किया गया कि चूंकि अधिसूचना 30 मार्च 1987 से प्रभावी है, अतः लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 2.42 लाख रूपये की हानि यथावत् बनी ही रहती है । इसके बाद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को इस प्रकरण की जानकारी जनवरी 1988 में प्रतिवेदित की गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अपैल 1989) ।

2.12. अर्थदण्ड का न लगाया जाना

(क) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 4-ख में निर्माताओं को, अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित मालों के निर्माण में उपयोग किये जाने हेतु उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे-माल की खरीदों पर कुछ शर्तों के अनुपालन किये जाने पर विशिष्ट सहायता की एक योजना का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार निर्मित मालों का राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर बेचा जाना अपेक्षित है। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी हो जाता है, जो राज्य में ऐसे

अधिसूचित मालों के विक्रय मूल्य पर देय होने वाले कर से कम न हो और ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो ।

(i) बिक्री-कर मण्डल, वाराणसी में तेल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में की गयी घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1983-84 के दौरान रियायती दर से 14.59 लाख रूपये के महुआ के बीजों का क्रय किया । उससे व्यापारी ने तेल का निर्माण किया और, पारेषण (कन्साइनमेंट) के आधार पर 5.23 लाख रूपये का तेल राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया। अतः व्यापारी कम से कम 20,913 रूपये के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, परन्तु विभाग इस अनियमितता को पकड़ने और उस पर अर्थदण्ड लगाने में असफल रहा ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में इस त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1989) कि 21,960 रूपये का अर्थदण्ड अब आरोपित कर दिया गया है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को यह प्रकरण सितम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(ii) बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ में "एसबेस्टस शीट" के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख पर की गयी घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1981-82 में

कर की रियायती दर पर 96.65 लाख रूपये का सीमेण्ट क्रय किया और एसबेस्टस की चद्दरों का निर्माण किया । निर्मित चद्दरों से व्यापारी ने 39.45 लाख रूपये की एसबेस्टस की चद्दरों का हस्तान्तरण पारेषण (कन्साइनमेण्ट) के आधार पर राज्य के बाहर कर दिया। अनुबद्ध शर्त के उल्लंघन के फलस्वरूप 9.46 लाख रूपये अर्थात् एसबेस्टस शीट के विक्रय मूल्य पर देय कर की धनराशि के तीन गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था परन्तु विभाग द्वारा कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1986) में इस त्रुटि के इंगित किये जाने पर, विभाग ने दिसम्बर 1988 में बताया कि रियायती दर पर खरीदी गयी सीमेण्ट द्वारा निर्मित एवं व्यापारी द्वारा प्रदेश के बाहर हस्तान्तरित एसबेस्टस की चद्दरों का अनुपातिक मूल्य केवल 30 लाख रूपये बनता था जिस पर अब 3 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

यह प्रकरण सरकार को सितम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल-1989) ।

(III) बिक्री-कर मण्डल, वाराणसी में ट्रान्सफार्मर के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में की गयी घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1982-83 से

1984-85 के दौरान 4 प्रतिशत रियायती दर से 29.40 लाख रूपयों के तांबे के तार का क्रय किया एवं उसका उपयोग ट्रान्सफार्मर की मरम्मत में किया क्योंकि जिस उद्देश्य से व्यापारी को मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, उसने उससे अन्यथा उसका उपयोग किया था, उसके द्वारा प्राप्त की गयी रियायत के बराबर कम से कम 2.35 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिये था । किन्तु विभाग इस अनियमितता को पकड़ पाने एवं उस पर अर्थदण्ड लगाए जाने में असफल रहा ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में इस त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1989) कि 7,26,311 रूपये की धनराशि का अर्थदण्ड लगा दिया गया है ।

यह प्रकरण सरकार को सितम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(IV) बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में लोहा एवं इस्पात के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में की गयी घोषणा के आधार पर वर्ष 1981-82 के दौरान 71.36 लाख रूपयों के लोहे की रद्दी (आइरन स्क्रैप) की कर मुक्त खरीद की एवं उससे लोहे की सिल (आइरन इनगोट्स) का निर्माण किया। उसने 11.27 लाख रूपये के आइरन इनगोट्स का राज्य के बाहर परेषण के आधार पर स्थानान्तरित कर दिया । अत: व्यापारी कम से कम 45,092 रूपये के अर्थदण्ड

का दायी था, जो कि लगाये जाने से रह गया ।

यह प्रकरण विभाग को अक्तूबर 1987 में एवं सरकार को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

(v) बिक्री-कर मण्डल, आगरा में लोहा और इस्पात के निर्माण हेतु, मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में की गई घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1978-79 के दौरान 250.28 लाख रूपयों की लोहे की सिलें (आइरन इन्गोट्स) रोल की गयीं चादरें एवं पिण्डों (रोल्स एण्ड ब्लूम्स) की कर मुक्त खरीदें कीं । उसने 26.09 लाख रूपये मूल्य के निर्मित उत्पादन का राज्य के बाहर परेषण (कन्साइनमेण्ट) के आधार पर स्थानान्तरण कर दिया क्योंकि इतना निर्मित माल अपेक्षित शर्तों के अनुरूप नहीं बेचा गया था, व्यापारी निर्मित माल (लोहा और इस्पात) की राज्य के अन्दर बिक्री पर देय कर के समतुल्य कम से कम 1.04 लाख रूपये के अर्थदण्ड का देनदार था, परन्तु नवम्बर 1982 में कर-निर्धारण के समय अर्थदण्ड नहीं लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (मई 1988) कि 3.24 लाख रूपये का अर्थदण्ड अब लगा दिया गया है। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

यह प्रकरण सरकार को अगस्त 1988 में प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(VI) बिक्री-कर मण्डल, आगरा में लोहा और इस्पात के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में की गयी घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1978-79 से 1981-82 के बीच 20.83 लाख रूपये का ढलवां लोहे का स्क्रैप एवं कच्चा लोहा कर-मुक्त खरीदा और इससे डीजल इंजन एवं मीट्रिक बाट का निर्माण किया। चूँकि कच्चे माल का प्रयोग इस वस्तु के निर्माण के लिये नहीं किया गया जिसके लिये मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, व्यापारी कम से कम 83,332 रूपयों के अर्थदण्ड का देनदार था ।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (जून 1987 एवं दिसम्बर 1987) कि 2.29 लाख रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है । अभी तक वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

यह मामला सरकार को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(VII) बिक्री-कर मण्डल, नोयडा (जिला गाजियाबाद) में लोहा और इस्पात के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में की गयी घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1982-83 में 4.17 लाख रूपये के लोहे के तार की खरीद की और उसे तार की रस्सी बनाने में प्रयोग किया जो कि लोहा और इस्पात की परिभाषा में नहीं आता है। चूँकि व्यापारी ने लोहे के तार का प्रयोग लोहे एवं इस्पात के निर्माण के लिये नहीं

किया था वह कम से कम 16,680 रूपये अर्थदण्ड का देनदार था जो कि आरोपित करने से छूट गया ।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1987) विभाग ने सूचित किया (फरवरी 1988) कि अब 50,040 रूपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (सितम्बर 1987) । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989)।

सरकार को यह मामला जून 1988 में प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(VIII) बिक्री-कर मण्डल, आगरा में नट एवं बोल्ट के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1980-81 से 1982-83 की अवधि में घोषणा प्रपत्र 3-ख के आधार पर 11.15 लाख रूपये की कर मुक्त एच.बी.तार की खरीद की । इसमे से 3.93 लाख रूपये के तार का प्रयोग नट-बोल्ट के निर्माण हेतु न कर के अन्य प्रकार से निस्तारित कर दिया । अतः व्यापारी कम से कम 15,708 रूपयों के अर्थदण्ड का देनदार था जो कि आरोपित किये जाने से छूट गया ।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1987) विभाग ने सूचित किया (मार्च 1988) कि 47,124 रूपयों का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है (जनवरी 1988) । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(ix) बिक्री-कर मण्डल, आगरा में लोहा एवं इस्पात के निर्माण के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म 3-ख में की गयी घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में 2.37 लाख रूपये की कर मुक्त कच्चे लोहे की खरीद की। व्यापारी ने कच्चा माल (कच्चा लोहा) कपड़ा बनाने वाली मशीन के पुरजों के निर्माण में प्रयोग किया। उसके द्वारा कर में प्राप्त की गयी छूट के 3 गुने तक अर्थात् 28,494 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था किन्तु कर निर्धारण करते समय मई एवं दिसम्बर 1986 में वह आरोपित किये जाने से रह गया।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1987) विभाग ने बताया (अप्रैल 1988) कि अब दोनो वर्षों के कर निर्धारण आदेश पुनरीक्षित किये जा चुके हैं और व्यापारी पर 28,494 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989)।

सरकार को मामला सितम्बर 1988 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(x) बिक्री-कर मण्डल, बुलन्दशहर में स्टील ट्यूब के निर्माण के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष

1983-84 में घोषणा प्रपत्र 3-ख के आधार पर 6.15 लाख रूपये का कर मुक्त लोहा एवं इस्पात खरीदा । इसमें से 5.17 लाख रूपये का लोहा एवं इस्पात उसने स्टील ट्यूब बनाने के स्थान पर कृषि यंत्र निर्माण में प्रयोग किया । अतः व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में कम से कम 22,859 रूपये का देनदार था जो कि आरोपित किये जाने से छूट गया ।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1987) विभाग ने बताया (अक्तूबर 1988) कि अब कर-निर्धारण पुनरीक्षित किया जा चुका है और 45,718 रूपया अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(xi) बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में लोहा एवं इस्पात के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में घोषणा प्रपत्र 3-ख के आधार पर 5.06 करोड़ रूपये का कर मुक्त लोहा एवं इस्पात खरीदा । इसमें 5 लाख रूपये मूल्य का माल व्यापारी द्वारा लोहा एवं इस्पात के निर्माण में प्रयोग करने के स्थान पर प्रपत्र 3-ख की घोषणा के विरूद्ध वेच दिया गया । व्यापारी कम से कम 20,008 रूपयों के अर्थदण्ड का देनदार था जो कि आरोपित किये जाने से छूट गया ।

लेखापरीक्षा में इस छूट के इंगित किये जाने पर (जून 1986) विभाग ने बताया (अप्रैल 1988) कि अब 32,413 रूपया अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जून 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 15 ए(1)(सी) के अन्तर्गत यदि कर-निर्धारण अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि किसी व्यापारी अथवा दूसरे वयक्ति ने अपने विक्रय धन को छिपाया है अथवा जानबूझ कर विक्रय धन का गलत विवरण प्रस्तुत किया है तो वह (कर-निर्धारण अधिकारी) यह आदेश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में एक ऐसी रकम अदा करेगा जो इस प्रकार से बचाये गये कर की धनराशि के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा और डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगा ।

बिक्री-कर मण्डल, वाराणसी में एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में प्रपत्र 3-ख में की गई घोषणाओं के आधार पर 25.45 लाख रूपयों का लोहा एवं इस्पात, कानपुर स्थित भारत सरकार के एक उपक्रम से, कर-मुक्त खरीदा । लेखापरीक्षा में परस्पर सत्यापन के परिणामस्वरूप यह देखा गया (नवम्बर 1987) कि इसमें से 23.18 लाख रूपयों का माल उसके द्वारा लेखों में नहीं प्रदर्शित किया गया था । अपने विक्रय धन को कम

दिखाये जाने के लिये, बचाये गये कर के डेढ़ गुने तक अर्थात् 1.39 लाख रूपया अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था । किन्तु मार्च 1984 में कर निर्धारण करते समय कर-निर्धारण अधिकारी इस छिपाई गयी धनराशि को पकड़ पाने में असफल रहा ।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (जून 1988) विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि अब 3.40 लाख रूपये कर एवं 4.80 लाख रूपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचनी अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को यह मामला सितम्बर 198F में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(ग) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 28 ए के अन्तर्गत, जहां माल प्रान्त के बाहर से रेल द्वारा उत्तर प्रदेश में लाया जाता है, अर्थात् आयातकर्ता द्वारा माल प्राप्त करने के पूर्व निर्धारित घोषणा (प्रपत्र 31) की दो प्रतियां कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके पृष्ठांकन करा लिया जाना अपेक्षित है । उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर व्यापारी कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में बिक्री कर अधिनियम की यथा स्थित धारा 15 ए(1) के अन्तर्गत ऐसी धनराशि जो ऐसे माल की कीमत के 40 प्रतिशत मूल्य से अधिक न हो, अदा करने का भागी होगा ।

बिक्री-कर मण्डल, अलीगढ़ में एक व्यापारी ने 7.91 लाख रूपयों की खाद (जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने 8 लाख रूपये निश्चित किया) रेल द्वारा प्रदेश के बाहर से 16 मई और 17 मई 1985 को मंगाया किन्तु कर-निर्धारण अधिकारी को माल प्राप्त करने के पहले घोषणा प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किया। घोषणा प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी को 15 फरवरी 1986 को प्रस्तुत किये गये। माल छुड़ाने के पूर्व घोषणा प्रपत्र न प्रस्तुत किये जाने के कारण 3.20 लाख रूपये तक का अर्थदण्ड (आयातित माल की कीमत के 40 प्रतिशत के बराबर) आरोपणीय था किन्तु कुछ भी अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में भूल के इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1987) विभाग ने बताया (फरवरी 1988) कि व्यापारी पर 60,000 रूपया अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (नवम्बर 1987)। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989)।

सरकार को मामला अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। (अप्रैल 1989)।

(घ) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी रियायती दर पर प्रान्त के बाहर से फार्म सी में घोषणा-पत्र जारी करके माल खरीदता है और इस माल का उपयोग, जिसके लिये मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया है,

उसके लिये उपयोग न करके अन्यथा उपयोग करता है अथवा किसी माल के खरीदते समय गलत घोषणा करता है कि इस प्रकार का माल पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित है तो कर-निर्धारण अधिकारी यथा-स्थित धारा 8(2) के अन्तर्गत ऐसे खरीदे गये माल पर देय कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है ।

(1) बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में, केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत उपकरण खरीदने हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1980-81 में प्रपत्र सी में की गयी घोषणाओं के आधार पर 4.34 लाख रूपयों की केबिल की खरीद की । व्यापारी ने केबिल को घोषित माल के निर्माण में प्रयोग न कर के अभिलेख हस्तान्तरण (ट्रान्सफर आफ डाकूमेण्ट्स) द्वारा बेंच दिया । चूंकि व्यापारी द्वारा माल का उपयोग उस कार्य के लिये नहीं किया गया जिसके लिये व्यापारी को मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया था उस पर 65,160 रूपयों तक का अर्थदण्ड आरोपणीय था किन्तु कर-निर्धारण के समय (जनवरी 1985) कुछ भी अर्थदण्ड नहीं आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (मार्च 1987) विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 1988) कि 65,000 रूपया अर्थदण्ड फरवरी 1988 में आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(II) बिक्री-कर मण्डल, फरूखाबाद में एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में प्रपत्र सी में घोषणा पत्र जारी करके 4 प्रतिशत की रियायत दर पर प्रान्त के बाहर से 1.26 लाख रूपयों के टेलीफोन के अतिरिक्त पुरजे, गरी का तेल, धर्मकांटा और पत्थर की गिट्टी, गलत घोषणा करके, कि ये माल पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित थे, खरीद की, यद्यपि ये माल पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थे । अतः व्यापारी 19,618 रूपये अर्थदण्ड का देनदार था जो कि आरोपित किये जाने से छूट गया । प्रपत्र सी के आधार पर की गयी अनियमित खरीद को विभाग पकड़ पाने में असफल रहा ।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1987) विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 1988) कि अब 19,618 रूपया अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (नवम्बर 1987) और वसूली की जा चुकी है ।

सरकार को मामला जून 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । (अप्रैल-1989) ।

(III) बिक्री-कर मण्डल, मुरादाबाद में एक पंजीकृत व्यापारी ने वर्ष 1984-85 में प्रपत्र सी में घोषणा पत्र जारी करके कर की रियायती दर पर टेलीविजन सेट्स एवं गैस के चूल्हों की क्रमशः 3.76 लाख रूपये और 1.27 लाख रूपये की खरीद की, यद्यपि गैस का चूल्हा और टेलीविजन सेट्स उसके पंजीयन

प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थे । माल खरीदते समय गलत घोषणा के कारण उस पर 86,815 रूपया अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था किन्तु विभाग द्वारा कोई अर्थदण्ड नही आरोपित किया गया ।

लेखा परीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1987) विभाग ने बताया (नवम्बर 1988) कि मामले की जांच की गयी और यह पाया गया कि व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण-पत्र में टेलीविजन सेट्स एवं गैस के चूल्हे क्रमशः 9 अगस्त 1984 और 7 जनवरी 1985 से जोड़ दिये गये हैं और टेलीविजन सेट्स तथा गैस के चूल्हों की इससे पूर्व की गयीं खरीद क्रमशः 53,843 रूपये एवं 89,003 रूपये आती थी जिस पर अब 23,042 रूपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। जो भी हो तथ्य यही है कि अक्तूबर 1987 में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये पंजीयन प्रमाण-पत्र में यह वस्तुयें नहीं जोड़ी गयीं थी ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल-1989) ।

2.13. गणना की त्रुटि के कारण कम कर आरोपण

(1) बिक्री-कर मण्डल, इलाहाबाद में एक व्यापारी की, वर्ष 1980-81 के लिये केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उसकी दो यूनिटें, नैनी एवं मथुरा के लिये कर देयता क्रमशः 24,42,700 रूपये एव 5,09,217 रूपये निर्धारित की

गयी थी (जनवरी 1987) गणना की त्रुटि के कारण उपरोक्त दोनों यूनिटों की कर-देयता 29,51,917 रूपयों की सही धनराशि के स्थान पर 29,01,837 रूपये आकलित की गयी । गणना की त्रुटि के फलस्वरूप 50,080 रूपया कम कर आरोपित हुआ । कर जमा करने की तिथि तक इस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय था ।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1987) कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पुनरीक्षित कर दिया (अक्तूबर 1987) और 50,080 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी । कर एवं ब्याज की वसूली की सूचना नहीं प्राप्त हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 1989) ।

(ii) प्रपत्र सी अथवा डी के घोषणा-पत्र से आच्छादित न होने व माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर (घोषित माल के अतिरिक्त) 10 प्रतिशत की दर से अथवा प्रान्त में की गयी बिक्री पर देय कर की दर में से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय है। प्रान्त में की गयी सौन्दर्य प्रसाधन की विक्रियों पर कर 7.9.81 से 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में वर्ष 1982-83 में एक व्यापारी ने सौन्दर्य प्रसाधन की 1.20 लाख रूपयों की बिक्री की जो फार्म सी अथवा डी में निर्धारित घोषणाओं से आच्छादित

नहीं थी । इन विक्रियों पर 12 प्रतिशत की दर से 14,454 रूपये कर बनता है किन्तु यह गलती से 1,494 रूपये आगणित किया गया था । गणना की त्रुटि के फलस्वरूप 12,960 रूपये का कम कर आरोपित किया गया । कर जमा करने की तिथि तक इस पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय है ।

लेखापरीक्षा में भूल के इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1987) विभाग ने बताया (अगस्त 1988) कि कर-निर्धारण आदेश अब पुनरीक्षित कर दिया गया है और 12,960 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है। कर एवं ब्याज की वसूली की सूचना नहीं प्राप्त हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

2.14. व्यापार (टर्न ओवर) का कर निर्धारण से छूट जाना

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 2(1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण II के अनुसार भाड़े की रकम अथवा माल छुड़ाने का खर्च या अधिष्ठापन (इन्स्टालेशन) व्यय अथवा बिक्री-कर या क्रय कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि, जहां इस पर किया गया व्यय अलग से वसूल किया गया है, इनको छोड़कर बिक्री के समय अथवा माल छुड़ाने के पूर्व माल के सम्बन्ध

में क्रेता व्यापारी द्वारा किये गये किसी भी कार्य हेतु वसूल की गयी धनराशि व्यापार (टर्न ओवर) में शामिल कर ली जायेगी । न्यायिक निर्णय[×] के अनुसार करदाता द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने की दशा में कि माल को प्रान्त के बाहर ले जाने के पूर्व बिक्री की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी और उभय पक्षों के बीच किसी सुस्पष्ट शर्त के अभाव में कि माल ढोने का खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाना है, माल ढुलाई पर हुआ खर्च, विक्रेता व्यापारी के व्यापार (टर्न ओवर) में शामिल किया जायेगा ।

बिक्री-कर मण्डल, धामपुर (जनपद बिजनौर) में एक व्यापारी ने वर्ष 1980-81 में प्रपत्र सी में घोषणा जारी करके 43.26 लाख रूपये की स्पिरिट की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की, जिसमें 4.46 लाख रूपयों का माल भाड़ा शामिल नहीं था । चूँकि इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य देखने में नहीं आया था कि स्पिरिट की बिक्री माल वहन के पूर्व पूर्ण हो चुकी थी अथवा कोई प्रावधान नहीं था कि माल भाड़ा क्रेता व्यापारी के द्वारा देय है, अतः देय भाड़ा व्यापारी के विक्रयधन में जोड़ा जाना अपेक्षित था । विक्रयधन में माल भाड़ा के न जोड़े जाने के कारण 4.46 लाख रूपयों का विक्रयधन करारोपण से छूट गया और 17,849 रूपया कम कर आरोपित हुआ ।

[×] शा एण्ड वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड बनाम आन्ध्र प्रदेश प्रान्त (1983) 54 एस.टी.सी. 58 (ए.पी.) ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1985) विभाग ने बताया (जुलाई 1987) कि अब 17,849 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है (अप्रैल 1987) और वसूली कर ली गयी है (जुलाई 1987)।

सरकार को मामला दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल-1989)।

2.15. वास्तविक जमा से अधिक क्रेडिट दिया जाना

बिक्री-कर मण्डल, इलाहाबाद में कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 हेतु एक सरकारी उपक्रम का कर दायित्व केन्द्रीय बिक्री- कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 1,56,08,138 रूपये निर्धारित किया गया था और सरकारी उपक्रम द्वारा कर के प्रति अपने मासिक परिलेखों के साथ उसके द्वारा जमा किये गये बताये गये 1,52,60,743 रूपयों की क्रेडिट देने के बाद 3,47,395 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित की गयी। किन्तु यह देखा गया कि उपक्रम द्वारा वास्तव में जमा की गयी धनराशि 1,52,60,743 रूपये न होकर 1,52,45,375 रूपये थी। इसके फलस्वरूप 15,368 रूपयों की कम मांग सृजित की गयी। चूँकि कर सर्व सम्मति से देय था जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी देय था।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1987), विभाग ने बताया (जून 1988) कि कर-

निर्धारण संशोधित किया जा चुका है और 15,368 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है और वसूली हो गयी है। ब्याज की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989)।

सरकार को मामला दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

अध्याय 3

आबकारी विभाग

राज्य आबकारी

3.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987-88 के दौरान लेखापरीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा-अभिलेखों के जांच परीक्षण से 842 मामलों में 91.15 लाख रूपयों के शुल्क और फीस के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. लाइसेंस फीस का संग्रह न किया जाना या कम संग्रह किया जाना	7	4.65
2. स्पिरिट की छीजन/अधिक सान्द्रता पर आबकारी शुल्क का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	13	2.55
3. प्रशमन शुल्क का वसूल न किया जाना	740	0.29
4. सत्यापित पासों का प्राप्त न किया जाना	14	12.03
5. ब्याज का न लगाया जाना	10	4.27
6. निर्यात शुल्क का कम लगाया जाना	1	0.41
7. अन्य अनियमिततायें	57	66.95
योग	842	91.15

1987-88 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों तथा शीरे के उत्पादन एवं वितरण पर नियंत्रण की समीक्षा के जांच परिणामों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

3.2. शीरे के उत्पादन और वितरण पर नियन्त्रण

3.2.1 भूमिका

चीनी निर्माण प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण गौण उत्पादन (बाइ प्रेाडक्ट) के रूप में प्राप्त शीरा, बिना-रवेदार चाशनी है। यह शराब बनाने के काम में आती है । उत्तर प्रदेश राज्य में वैकुअम पैन प्रणाली से कार्य करने वाली 102 चीनी फैक्टरियों है । औसतन 100 मेट्रिक टन गन्ने की पेराई पर ये 4 मेट्रिक टन चीनी-फैक्टरी-शीरे का उत्पादन करती हैं। राज्य में ओपिन पैन प्रणाली पर कार्यरत 1,767 खाण्डसारी इकाइयां हैं, जिनमें 100 मेट्रिक टन गन्ने की पेराई पर शीरे का औसत उत्पादन लगभग 6 मेट्रिक टन होता है। रासायनिक विश्लेषण के अनुसार, चीनी फैक्टरियों द्वारा उत्पादित शीरे में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत किण्वन योग्य (फरमेटिबिल) चीनी के समक्ष खाण्डसारी शीरे में 58 प्रतिशत से 69 प्रतिशत किण्वनयोग्य चीनी होती है ।

उत्तर प्रदेश भारत वर्ष में गन्ने का एक बड़ा उत्पादक है। उत्पादन 1981-82 में 717 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 1986-87 में 846 मेट्रिक टन हो गया। राज्य में कुल पेरे गये गन्ने का 23 प्रतिशत से 32 प्रतिशत चीनी फैक्टरियां प्रयोग

करती हैं, जब कि खाण्डसारी इकाइयां लगभग 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत चीनी के उत्पादन में प्रयोग करती हैं और शेष गुड़ के उत्पादन में लग जाता है।

शीरे का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयोग पेय तथा आद्योगिक दोनो प्रकार के मद्यसार (ऐलकोहल) के निर्माण में होता है, विशेषतया मद्यसार आधारित रसायनों के लिये। यह पशु चारा, तम्बाकू पकाई, संधानशालाओं (फाउन्ड्री) और भट्ठियों में भी प्रयोग होता है । राज्य सरकार, कुल मिलाकर 37 करोड़ लीटर मद्यसार प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता वाली 28 आसवनियों में, मद्यसार के उत्पादन हेतु, चीनी मिल के शीरे का लगभग 65 प्रतिशत इस्तेमाल करती है । 1981-82 से 1985-86 की अवधि के दौरान मद्यसार का वार्षिक उत्पादन आसवनियों की कुल स्थापित क्षमता से बहुत कम था । अब तक अभिलिखित उच्चतम उत्पादन 1983-84 के दौरान हुआ था जब उत्पादन 18 करोड़ लीटर पहुंच गया था (अर्थात् स्थापित क्षमता का 48.6 प्रतिशत) । 1985-86 के दौरान यह घटकर 14.80 करोड़ लीटर हो गया । (स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत) ।

उत्तर प्रदेश चीनी फैक्टरियों द्वारा उत्पादित शीरे की आपूर्ति और वितरण उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 और उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य सरकार ने राज्य आबकारी आयुक्त को नवम्बर 1965 में शीरा नियन्त्रक नियुक्त किया था परन्तु उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु जुलाई 1974 तक कोई

नियम प्रकाशित नहीं किये। सरकार ने प्रत्येक चीनी फैकटरी द्वारा बेचे गये शीरे पर, शीरे के वर्ग के अनुरूप निर्धारित दरों से प्राप्त की गई धनराशि को जमा करके, जुलाई 1974 से "शीरा निधि" नामक एक निधि खोलने का प्रावधान किया था। उक्त निधि का समग्र नियन्त्रण शीरा नियन्त्रक के हाथों में रखा गया है; निधि, अन्य बातों के साथ साथ, उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, शीरा भण्डारण की पर्याप्त सुविधाओं के सृजन हेतु प्रयोग किया जाना था। परन्तु सरकार ने अभी तक (फरवरी 1989) खाण्डसारी इकाइयों द्वारा उत्पादित शीरे पर, जिसमें वास्तव में चीनी फैक्टरियों की अपेक्षा अधिक मद्यसार उत्पादन होता है, कोई नियन्त्रण लागू नहीं किया है, यद्यपि यह मामला अक्तूबर 1977 से सरकार के विचाराधीन चला आ रहा है ।

3.2.2. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

इस समीक्षा का लक्ष्य, चीनी फैक्टरियों/खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे के उत्पादन, भण्डारण, वर्गीकरण पर नियन्त्रण तथा इसकी आपूर्ति, वितरण और आसवनियों द्वारा इसके लाभप्रद प्रयोग पर नियमन के सम्बन्ध में अपनाई गई क्रिया-विधि का अध्ययन करना था । यह समीक्षा जुलाई 1987 से अप्रैल 1988 की अवधि के दौरान की गयी और इसमें उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय, 102 चीनी फैक्टरियों और 28 आसवनियों में से 24 चीनी फैक्टरियां और 14 आसवनियां देखी गयी थी । सामान्यतया, लेखापरीक्षा में 1982-83

से 1986-87 शीरा वर्ष की अवधि ली गयी थी; कुछ मामलों में, जहां आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्षों के अभिलेखों की भी छान-बीन की गयी ।

3.2.3. संगठनात्मक ढाँचा

चीनी फैक्टरियों द्वारा उत्पादित शीरे के उत्पादन, भण्डारण इत्यादि और उसके नियमन, आपूर्ति और वितरण पर नियन्त्रण रखने हेतु आबकारी आयुक्त पदेन शीरा नियन्त्रक होते हैं । उपरोक्त प्रयोजनों के लिये एक सहायक आबकारी आयुक्त मुख्यालय पर स्थित अपने स्टाफ के साथ आयुक्त की सहायता करता है । कार्य क्षेत्र स्तर पर, तीन सहायक आबकारी आयुक्तों के साथ तीन अधीक्षकों में से प्रत्येक पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय तीन शीरा क्षेत्रों में से एक के प्रभारी हैं । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चीनी फैक्टरी में एक आबकारी निरीक्षक/ उप निरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है ।

3.2.4. मुख्य-मुख्य बातें

(1) शीरा नियन्त्रक ने प्रत्येक चीनी फैक्टरी से, न तो शीरे की निकासी पर ही कोई नियन्त्रण रखा न ही सम्बन्धित आसवनियों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा यथावत् सत्यापित गेट पासों की वापसी पर । आठ चीनी फैक्टरियों में नमूना जांच से पता चला कि 1981-82 से 1986-87 की अवधि हेतु 30 प्रतिशत गेट पास (6,737) यथावत् सत्यापित होकर वापस प्राप्त नहीं हुये थे ।

(2) एक इकाई में दो तिथियों पर वास्तविक मापों में अधिक पाई गई शीरे की मात्रा 326 और 634 प्रतिशत के बीच थी, जब कि एक अन्य इकाई में, पांच तिथियों पर, अधिक मात्रा 123 से 1,962 प्रतिशत के बीच थी । ऐसे मामलों से निपटने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी है ।

(3) शीरे का उत्पादन वर्ष 1982-83 के दौरान 85.38 लाख कुन्तल से घट कर वर्ष 1985-86 के दौरान 73.36 लाख कुन्तल रह गया था। 1986-87 में हुई एकाएक वृद्धि से 132.40 लाख कुन्तल हो गया । शीरे के अनुपयुक्त भण्डारण के फलस्वरूप 53.56 लाख कुन्तल शीरा 1982-83 से 1986-87 की अवधि के दौरान आसवन हेतु अनुपयुक्त हो गया ।

(4) 1986-87 के दौरान शीरे के स्टाक का 35 प्रतिशत वितरण किये बिना चीनी फैक्टरियों में पड़ा रहा ।

(5) 1982-83 से 1986-87 के दौरान वितरण हेतु उपलब्ध शीरे का औसतन 65 प्रतिशत स्पिरिट और पावर अल्कोहल के निर्माण में प्रयोग किया गया था और लगभग 10 प्रतिशत आसवन हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था जो अन्ततः बहा दिया गया, त्याग दिया गया अथवा हटा दिया गया था ।

(6) 31 अक्तूबर 1987 को 58 (102 में से) चीनी फैक्टरियों में 10.61 लाख कुन्तल शीरे तक की भण्डारण क्षमता की कमी थी ।

(7) 14 चीनी फैक्टरियों में, 1981-82 से 1986-87 की अवधि के दौरान, दोषपूर्ण भण्डारण सुविधाओं के कारण 4.05 लाख कुन्तल शीरा आसवन हेतु अनुपयुक्त हो गया ।

(8) शीरा नियन्त्रक द्वारा 1974-75 से 1986-87 के दौरान शीरा निधि में जमा किये जाने हेतु अपेक्षित धनराशि तथा चीनी फैक्टरियों द्वारा वास्तव में जमा की गई धनराशि के सम्बन्ध में कोई नियन्त्रक अभिलेख (कन्ट्रोल रेकार्ड) नहीं रखे गये थे ।

(9) 21 चीनी फैक्टरियों की नमूना जांच से पता चला कि कुल भण्डारित मात्रा के 2 प्रतिशत से अधिक भण्डारण छीजन के वर्षवार अभिलेख नहीं रखे गये थे । इन दोषी इकाईयों के विरूद्ध निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी ।

(10) यद्यपि राज्य में उत्पादित खाण्डसारी शीरा, चीनी फैक्टरी शीरे के उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत था और उसमें किण्वनयोग्य चीनी की उच्चतर प्रतिशतता रहती है, जिससे राज्य के अल्कोहल उत्पादन को दुगना किया जा सकता था, सरकार ने अभी तक (फरवरी 1989) खाण्डसारी शीरे पर किसी प्रकार के नियन्त्रण का प्रावधान नहीं किया है, यद्यपि यह मामला अक्तूबर 1977 से सरकार के विचाराधीन चला आ रहा है । शीरे के भण्डारण पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट (1983) तथा पुनिया समिति की रिपोर्ट (सितम्बर 1987) में भी खाण्डसारी शीरे के मूल्य, प्रयोग तथा गति-विधि पर नियन्त्रण की संस्तुति की गयी है,

जैसा कि आन्ध्र प्रदेश और पंजाब रांज्यों में किया गया है।

(11) राज्य में आसवनियों से अल्कोहल की निकासी के दोषपूर्ण आयोजन के कारण 1981-82 से 1986-87 के दौरान इनके स्थापित क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता 40 से 53 रही ।

(12) दो औद्योगिक इकाईयों द्वारा, पश्चिम बंगाल में एक तथा बरेली में दूसरी, अल्कोहल के न उठाये जाने से आसवनियों में अनबिके अल्कोहल का स्टाक जमा हो गया। अल्कोहल पर सरकार द्वारा निर्धारित निर्यात पास शुल्क की उच्च दर के कारण निम्नतर मूल्य पर इस स्टाक को निर्यात करने के राज्य सरकार के प्रयत्न भी असफल रहे ।

(13) 1982-83 से 1984-85 के तीन वर्षों की अवधि के दौरान रासायनिक विश्लेषण हेतु राज्य आवसनियों से प्राप्त शीरे के 461 नमूने अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट द्वारा विश्लेषण करने से छोड़ दिये गये, जब कि 1985-86 से 1987-88 के बाद के तीन वर्षों के दौरान प्राप्त नमूनों का विश्लेषण कर दिया गया था । कोई समय बद्ध प्रोग्राम नहीं अपनाया गया ।

(14) 1982-83 से 1986-87 के दौरान अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट द्वारा 1,312 मिश्रित नमूनों के विश्लेषण से 199.93 लाख अल्कोहालिक लीटर स्पिरिट का कम उत्पादन होने का पता चला । इन मामलों में निहित शुल्क की हानि, न्यूनतम दर पर, लगभग 13.49 करोड़ रूपये होती थी । लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1981-82 के प्रस्तर 3.2 पर लोक लेखा समिति की संस्तुतियों के

बावजूद विभाग द्वारा दोषी इकाईयों के विरूद्ध कोई दण्डनीय कार्यवाही नहीं की गयी ।

जुलाई 1987 से अप्रैल 1988 के दौरान की गयी नमूना जांच के परिणामों का संक्षेप अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

3.2.5. प्रणाली और कार्य-विधि के दोष

3.2.5.1. चीनी फैक्टरियों से शीरे की निकासी और परेषितियों (कानसाइनीज़) द्वारा उसकी प्राप्ति पर प्रत्यक्ष-नियन्त्रण का अभाव

शीरा नियन्त्रक का न तो चीनी फैक्टरी से शीरे की निकासी पर, न ही परेषिती आसवकों/ अन्य औद्योगिक लाइसेन्सधारियों द्वारा उसकी प्राप्ति पर कोई सीधा नियन्त्रण है । उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रक नियमावली, 1974 के नियम 25 में चीनी फैक्टरी के पदाधिकारी द्वारा अथवा शीरा नियन्त्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा गेट पास (एम.एफ.4) जारी करनेका प्रावधान है, परन्तु शीरे की वास्तविक निकासी के पूर्व गेट पास की एक प्रति फैक्टरी में नियुक्त उप आबकारी निरीक्षक को दिया जाना अपेक्षित है । राज्य में 102 चीनी फैक्टरियों का कार्य देखने के लिये विभाग के पास केवल 59 उप-आबकारी निरीक्षक हैं, और प्राय: यह देखा जाता है कि अधिकतर मामलों में गेट पास का जारी किया जाना सम्पूर्णत: चीनी फैक्टरी के पदाधिकारी पर छोड़ दिया जाता है। यद्यपि नियमों में यह अपेक्षा की गयी है कि परेषती द्वारा गेट पास के पीछे वास्तविक प्राप्ति अभिलिखित की

जानी चाहिये और मार्गस्थ हानियां किसी भी मामले में (दुर्घना को छोड़कर) एक प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये, व्यवहार में प्रेषक द्वारा जारी की गयीं और परेषाती द्वारा प्राप्त की गयी शीरे की मात्राओं के बीच कोई मिलान नहीं किया जाता है । जहां तक एक प्रतिशत से अधिक मार्गस्थ हानियों के पता लगने पर अथवा सत्यापित गेट पासों के प्राप्त न होने पर की जाने वाली कार्यवाही का प्रश्न है, नियम में कुछ भी नहीं कहा गया है ।

जांच परीक्षण में यह देखा गया है कि 1981-82 से 1986-87 की अवधि के दौरान सात चीनी फैक्टरियों द्वारा जारी किये गये 21,586 गेट पासों में से 6,737 गेट पास (30 प्रतिशत) परेषितियों द्वारा विधिवत् सत्यापित किये जाने के उपरान्त वापस प्राप्त नहीं हुये थे । लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इनमें से 125 मामलों में 18,299.10 कुन्तल शीरा निहित था ।

गोला (लखीमपुर खीरी) के एक मामले में चीनी फैक्टरी ने जनवरी से मार्च 1982 के दौरान, पाइपलाइन द्वारा अपनी खुद की आसवनी इकाई को 19,676 कुन्तल शीरा भेजा था जिसने 22,801 कुन्तल अर्थात्, गेट पास पर उल्लिखित वास्तविक मात्रा से 3,125 कुन्तल अधिक की प्राप्ति स्वीकार की । विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित पासों की जांच हेतु नियमों में कोई प्रावधान न होने से, इस अन्तर का पता नही चल सका और चीनी फैक्टरी अथवा आसवकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की

गयी। 3,125 कुन्तलों का अधिक निर्गम, चीनी फैक्टरी द्वारा अपने शीरे के भण्डारण हानि में शामिल कर लिया गया ।

3.2.5.2. शीरा-लेखे के रखरखाव में अनियमिततायें

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली, 1974 के नियम 32 के अनुसार प्रत्येक चीनी फैक्टरी के पदाधिकारी से अपेक्षित है कि वह उत्पादित, भण्डारित, निश्कासित, बेचे गये अथवा बर्बाद किये गये शीरे का सही-सही दैनिक लेखा एक रजिस्टर (एम.एफ.5) में रखे और प्रत्येक माह की 15 तारीख तथा अन्तिम कार्य दिवस पर रजिस्टर (एम.एफ. 5 फार्म में) के समस्त कालमों का पाक्षिक योग करें एवं प्रत्येक माह के पहली तथा सोलहवीं तारीख को उसका सारांश निर्धारित प्रपत्र एम.एफ. 1 तथा 2 में शीरा नियन्त्रक को भेजें । किन्तु व्यवहारिक रूप में उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है । नमन-माप (डिप) के अनुसार भौतिक रूप से उपलब्ध अवशेष शीरे की वास्तविक मात्रा, शीरा नियन्त्रक/आबकारी आयुक्त को भेजे जाने वाले पाक्षिक/ मासिक विवरण पत्रों में सीधे अंकित कर दिया जाता है ।

दो चीनी मिल (रायबरेली तथा देवरिया) में यह देखा गया (अक्तूबर 1987 तथा मार्च 1988) कि रायबरेली में 31 दिसम्बर 1982 तथा 16 जून 1984 को लिये गये वास्तविक मापों के अनुसार, अधिक पाये गये शीरे की मात्रा 326 और 364 प्रतिशत के बीच आती थी, जब कि देवरिया में 24 मार्च 1985

और 9 नवम्बर 1987 के बीच पांच तिथियों पर वास्तविक माप के आधार पर अधिक पायी गयी मात्रा 123 से 1,962 प्रतिशत रही जैसा कि नीचे दी गयी तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

इकाई का नाम/ दिनांक	शीरे की मात्रा		वास्तविक माप के अनुसार अधिक उत्पादित शीरा की मात्रा (3-2)	आकलित अधिक मात्रा	
	लेखानुसार	वास्तविक माप के अनुसार		पेरे गये गन्ना की	उत्पादित चीनी की
1	2	3	4	5	6
	(कुन्तलों में)			(लाख कुन्तलों में)	
रायबरेली-					
31 दिसम्बर 1982	4932.90	21026.50	15093.60 (326)	4.02	0.38
16 जून 1984	7231.45	53088.45	45857.00 (634)	11.45	1.15
देवरिया-					
24 मार्च-1985	80.00	500.00	420.00 (525)	0.11	0.01
5 अप्रैल-1985	19.00	392.00	373.00 (1962)	0.10	0.01
14 नवम्बर-1986	762.00	1700.00	938.00 (123)	0.23	0.26
23 नवम्बर-1986	98.00	313.00	215.00 (221)	0.05	

1	2	3	4	5	6
		(कुन्तलों में)			(लाख कुन्तलोंमें)
9 नवम्बर-1987	1120.00	3927.00	2807.00 (250)	0.70	0.07
			योग	16.67	1.88

(कालम 5 में, कोष्ठकों के अन्दर के अंक कालम 4 का 2 से प्रतिशत दर्शाते हैं)

उपरोक्त मात्र दो मामलों मे ही गन्ना की अनुमानित पेराई पर देय क्रय कर तथा अनुमानित अधिक उत्पादित चीनी पर देय आबकारी अभिकर की धनराशि क्रमशः 16.67 लाख रूपया (एक रूपया प्रति कुन्तल की दर से) और 97.76 लाख रूपया (न्यूनतम 52 रूपया प्रति कुन्तल चीनी की दर से) बनती थी ।

अभिलेखों की जांच परीक्षण में यह भी पाया गया कि इस विषय में चीनी मिलों में नियुक्त आबकारी उप निरीक्षकों द्वारा एक समान पद्धति नहीं अपनायी गयी । किसी समय तो वास्तविक भौतिक माप के अनुसार पाया गया अन्तर को प्रपत्र एम.एफ. 5 में दिखाई गये शीरे की मात्रा को बढ़ाकर लेखों में समावेश कर लिया गया था और इस पर अतिरिक्त आबकारी अभिकर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) वसूल कर लिया गया था जब कि बहुत से मामलों में देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा प्रशासनिक शुल्क वसूल किये बिना अधिक पायी गयी मात्रा का लेखों में समावेश किये बिना ही पड़ा रहने दिया गया

था । इसके अतिरिक्त किसी भी मामले में लेखों में पेरा गया गन्ना एवं उत्पादित चीनी का तदनुसार संशोधन नहीं किया गया ।

विभाग नियमित रूप से इन प्रपत्रों को प्राप्त करता रहा किन्तु उपरोक्त अवधि में वास्तविक भौतिक मापों के फलस्वरूप प्रकाश में आये इन असाधारण अन्तरों के विषय में, जो 123 से 1962 प्रतिशत के बीच रहा, कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी ।

चीनी मिल पदाधिकारियों का कथन था कि भण्डारण की भिन्नता का कारण अधिक झाग (फेन) पैदा होने की वजह थी, किन्तु झाग (फेन) के नियमित अनुमन्य छूट के लिये किसी भी प्रकार के मानक न होने की दशा में यह दलील मानने योग्य नहीं है ।

3.2.6.1. चीनी मिलों में शीरा का उत्पादन तथा इसका वितरण

1986-87 में समाप्त होने वाले विगत पांच शीरा वर्षों में उत्पादित शीरा एवं आसवनियों, औद्योगिक इकाईयों तथा औरो में इसके वितरण के आंकड़े नीचे दी गयी तालिका में दर्शाये गये हैं :

शीरा वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर)	गत वर्ष से लाई गई मात्रा	वर्ष के दौरान उत्पादन	योग (2+3)	छीजन	शुद्ध मात्रा जो वितरण के लिये उपलब्ध थी (4-5)
1	2	3	4	5	6
		(लाख	कुन्तल में)		
1982-83	30.45	85.38	115.83	2.15	113.68
1983-84	37.12	76.42	113.54	2.50	111.04
1984-85	13.40	67.99	81.39	0.74	80.65
1985-86	4.81	73.36	78.17	0.35	77.82
1986-87	9.16	132.40	141.56	0.41	141.15
योग	94.94	435.55			523.74

आसवनियों द्वारा उठाई गई मात्रा	औरों द्वारा उठाई गई मात्रा			कुल वितरित की गई/उठाई गई मात्रा	वितरण के लिये अनुपयोगी घोषित मात्रा (बहा दी गई छोड़ दी गई अथवा हटा दी गयी)	भण्डार में बची हुई शीरा की मात्रा
	निर्यात हेतु	अन्य इकाईयां	योग (8+9)	(7+10)		6-(11+12
7	8	9	10	11	12	13
			(लाख कुन्तल में)			
59.86 (53)	0.83	0.10	0.93	60.79	15.77 (14)	37.12 (33)
68.95 (52)	8.42	4.47	12.89	81.84	15.80 (14)	13.40 (12)
65.92 (82)	0.47	1.56	2.03	67.95	7.89 (10)	4.81 (6)
65.49 (84)	...	0.90	0.90	66.39	2.27 (3)	9.16 (12)
77.96 (55)	...	2.58	2.58	80.54	11.83 (8)	48.78 (35)
योग 338.20				357.61	53.56	

(कालम §7§, §12§ तथा §13§ में कोष्ठक के अन्दर के अंक प्रत्येक मामले में कालम §6§ के सम्बन्ध में प्रतिशतता का संकेत करते हैं।)

(1) उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 1982-83 में हुआ 85.38 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन वर्ष 1985-86 में घट कर 73.36 लाख कुन्तल रह गया । वर्ष 1986-87 में उत्पादन बढ़कर 132.40 लाख कुन्तल हो गया । (अर्थात् गत वर्ष के उत्पादन में 80 प्रतिशत की वृद्धि)। शीरा वर्ष 1986-87 के अन्त में वितरित न किये गये शीरे के अवशेष भण्डार की मात्रा 48.78 लाख कुन्तल तक पहुंच गई अर्थात् वितरण हेतु उपलब्ध मात्रा के 35 प्रतिशत तक। वर्ष 1982-83 से 1986-87 की अवधि के दौरान शीरे के अनुपयुक्त भण्डारण के फलस्वरूप 53.56 लाख कुन्तल शीरा आसवन (डिस्टलेशन) के लिये अनुपयुक्त हो गया ।

आवंटन नियमों के विपरीत एक मामले में (देवरिया) शीरा नियंत्रक के आदेश के बिना 2,026 कुन्तल शीरा सरदार नगर आसवनी (गोरखपुर) को (अप्रैल 1986) भेज दिया गया ।

3.2.6.2. अपर्याप्त भण्डारण सुविधा के कारण हानि

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार शीरा के उचित तथा वैज्ञानिक ढ़ंग से भण्डारण की जिम्मेदारी चीनी मिलों की होती है। चूने, रिसने, बह निकलने (ओवर फ्लो) अथवा अन्य किसी प्रकार की दुर्घटनाओं के विरूद्ध, जिनसे मिल में रखे गये शीरे के गुण में गिरावट आने की सम्भावना होती हो, मिल के पदाधिकारी सुरक्षा

प्रदान करेंगे। शीरे को ढके हुये (कवर्ड) स्थान में रखने की आवश्यकता है और यह स्थान ऐसा होना चाहिये जिसमें मिल की पूर्ण पेराई की अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार 140 कार्य दिवसों में पेरी गई कुल गन्ना की मात्रा के 4 प्रतिशत के आधार पर अथवा गत चार वर्षों में अधिकतम उत्पादित शीरे के 50 प्रतिशत के आधार पर, जो भी अधिक हो, आगणित किये गये कुल उत्पादित शीरे का कम से कम 50 प्रतिशत किसी भी समय भण्डारण किया जा सके ।

पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं का प्रावधान किये जाने एवं रख-रखाव के लिये "शीरा निधि" के नाम से एक अलग निधि बना दी गयी है जिसमें शीरा नियन्त्रक द्वारा निर्धारित एवं विज्ञापित (अप्रैल 1975) शीरा की बिक्री की धनराशि का एक हिस्सा मिल के पदाधिकारियों द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित है । वर्तमान दरे निम्नप्रकार हैं:

शीरे का ग्रेड	दर
I	33 पैसा प्रति 100 किलोग्राम
II	23 पैसा प्रति 100 किलोग्राम
III	20 पैसा अवकारक शर्करा (रिड्यूसिंग शुगर) की मात्रा के प्रत्येक 40 किलोग्राम के लिये

इस विषय में लेखापरीक्षा में पायी गयी कुछ अनियमिततायें नीचे इंगित की गयी है:

(क) विभाग द्वारा दिये गये (मार्च 1988) आंकड़ों के अनुसार 31 अक्तूबर 1987 को 102 चीनी मिलों में से 58 चीनी

मिलों (57 प्रतिशत) के पास करीब 10.61 लाख कुन्तल शीरे के आच्छादित (कवर्ड) भण्डारण क्षमता की कमी थी (64.18 लाख कुन्तल वांछित क्षमता के विरूद्ध उपलब्ध क्षमता 53.57 लाख कुन्तल)। भण्डारण क्षमता की कमी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार, औद्योगिक अल्कोहल पर निर्यात फीस के रूप में 1.40 करोड़ रूपयों के सम्भावित राजस्व (न्यूनतम 50 पैसे प्रति बल्क लीटर की दर से) से वंचित रही जो 11.83 लाख कुन्तल शीरे के आसवन से प्राप्त की जा सकती थी जिसे मात्र शीरा वर्ष 1986-87 में आसवन के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था अथवा बहा दिया गया था या निम्न श्रेणी (ग्रेड) के होने के कारण हटा दिया गया था । इसके अलावा वे मिलें, जो प्राय: घाटे में चल रही थीं अथवा आर्थिक कठिनाइयां अनुभव कर रही थीं, इस कीमती सह उत्पादन (बाई प्रोडक्ट) के योगदान से वंचित रह गयी ।

(ख) अधिनियम/नियम के अनुसार चीनी मिल का कोई पदाधिकारी, उत्पादित या स्टाक में रखे शीरे में न तो मिलावट करेगा और न मिलावट करने की अनुमति प्रदान करेगा । चीनी मिल के स्टोरेज टैंक में 40 प्रतिशत से कम शर्करा की मात्रा वाले शीरे का पाया जाना, इस बात को मान लेने के लिये पर्याप्त कारण समझा जायेगा कि चीनी मिल के पदाधिकारी ने या तो शीरे में मिलावट की है या करने की अनुमति दी है ।

(I) उपरोक्त प्रावधानों के अतिक्रमणस्वरूप यह पाया गया कि चार चीनी मिलों में वर्ष 1982-83 का 0.36 लाख क्विंटल एवं 1986-87 में उत्पादित

0.29 लाख क्विंटल शीरे को पूर्ववर्ती वर्षों के कच्चे गड्ढे/ खुले टैंकों मे रखे हुये न्यून श्रेणी के शीरे में मिला जाने दिया गया था। इस प्रकार समस्त 0.65 लाख क्विंटल शीरा आसवन के लिये अनुपयुक्त हो गया ।

एक दूसरी फैक्टरी (बदायूँ) के मामले में यह पाया गया कि वर्ष 1987-88 का "अ" श्रेणी का 0.12 लाख क्विंटल शीरा, पूर्ववर्ती वर्षो के "ब" श्रेणी के 0.04 लाख क्विंटल शीरे में मिलाया गया था जिससे शीरे की सम्पूर्ण मात्रा आसवन हेतु अनुपयुक्त हो गया ।

उपर्युक्त मामलों में मिलावट के कारण 9.59 लाख रूपयों के सम्भावित राजस्व की हानि हुयी जो शीरे से उत्पादित होने वाले औद्योगिक अल्कोहल से निर्यात शुल्क के रूप में प्राप्त किया जा सकता था ।

(II) 14 चीनी मिलों में वर्ष 1981-82 से 1986-87 की अवधि का 4.05 लाख क्विंटल शीरा बरसाती पानी के मिलने व कच्चे गड्ढों/पक्के खुले टैंको से रिसाव के कारण आसवन के योग्य नहीं रह गया जिसके कारण 47.96 लाख रूपयों के सम्भावित राजस्व की हानि हुयी ।

(ग) दो चीनी मिलों में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 से सम्बन्धित 0.26 लाख क्विंटल शीरा, जिसे अवर श्रेणी का बताया गया है, शीरा नियन्त्रक के अनुमति के बिना बहा दिया गया ।

(घ) मेरठ स्थित एक चीनी मिल में 0.10 लाख क्विंटल शीरा मार्च 1988 तक मिल से बाहर नहीं किया था यद्यपि शीरा नियन्त्रक द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार इसे अप्रैल 1984 तक हटा दिया जाना था ।

(ड.)(I) अपर्याप्त भण्डारण सुविधा/सम्बन्धित आसवनियों द्वारा आवंटित शीरे की मात्रा न उठाये जाने के कारण, एक चीनी मिल द्वारा (फैजाबाद) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से आदेश प्राप्त करके, 1981-82 से 1986-87 की अवधि से सम्बन्धित 2.24 लाख क्विंटल शीरा, मिल से हटाकर खुले बाजार में बेच दिया गया । इसके कारण 26.53 लाख रूपयों के सम्भावित राजस्व की हानि हुयी ।

(II) सुरक्षा हेतु उचित निर्धारित प्रक्रिया अर्थात् चीनी मिल के पदाधिकारियों द्वारा रासायनिक देख-भाल न किये जाने के कारण नौ चीनी मिलों में वर्ष 1980-81 से 1986-87 की अवधि से सम्बन्धित 3.82 लाख क्विंटल शीरा रासायनिक प्रक्रिया की स्वतः ज्वलन रीति से (आटो कम्बश्चन प्रासेस) नष्ट हो गया । भविष्य में इस प्रकार की क्षति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये शीरा नियन्त्रक दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध की जाने वाली विहित दण्डात्मक कार्यवाही करने में असफल रहे ।

शीरा निधि

(च) (I) 1974-75 से वर्ष 1986-87 के दौरान राज्य समस्त चीनी मिलों द्वारा जमा की जाने वाली व वास्तव में जमा

की गयी राशि के सम्बन्ध में शीरा नियन्त्रक द्वारा कोई नियन्त्रक अभिलेख नहीं रखे गये थे । जाँच-परीक्षण के दौरान चीनी मिलों द्वारा रखे गये शीरा निधि लेखा रजिस्टर को देखने से यह विदित हुआ कि 10 चीनी मिलों द्वारा वर्ष 1974-75 से 1986-87 की अवधि में उक्त निधि में 68.99 लाख रूपये जमा करने के स्थान पर केवल 38.52 लाख रूपये जमा किये थे ।

(II) एक चीनी मिल (बस्ती) में शीरे की भण्डारण क्षमता 20,000 क्विंटल कम थी। जनवरी 1988 तक मिल के शीरा निधि में 5.80 लाख रूपये उपलब्ध थे । यद्यपि मिल का पदाधिकारी सितम्बर 1986 से अतिरिक्त स्टील टैंक / ढका हुआ पक्का टैंक बनाने के लिये उक्त राशि की स्वीकृति हेतु लगातार दबाव डाल रहा था, परन्तु सम्परीक्षा की तिथि तक (मार्च 1988) उक्त स्वीकृति नहीं मिली थी ।

(छ) विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार चीनी मिलों ने वर्ष 1982-83 से 1986-87 की अवधि में, भण्डारण क्षति के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये (चीनी मिल/ आसवनी में भण्डार की गई सम्पूर्ण मात्रा के 2 प्रतिशत से अनधिक) 3 क्विंटल से लेकर 1,66,000 क्विंटल तक शीरे की ज्यादा हानि हुयी थी। किन्तु 21 चीनी मिलों की लेखा परीक्षा में जांच के दौरान यह पाया कि किसी भी मिल में भण्डारण क्षति के वर्षवार अभिलेख नहीं रखा गया था । जैसा कि नियमों में अपेक्षित है, दोषी पाये जाने वाली इकाईयों के विरूद्ध विभाग ने कोई दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी ।

लेखापरीक्षा में जांच की गयी, 6 आसवनियों में वर्ष 1981-82 से 1986-87 की अवधि में 2 प्रतिशत से अधिक भण्डारण क्षति, 1.27 लाख क्विंटल थी ।

3.2.7. खाण्डसारी शीरे के क्रय, प्रयोग एवं आवागमन पर कोई नियन्त्रण न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश राज्य, देश में खाण्डसारी शीरे का मुख्य उत्पादक है । खाण्डसारी इकाईयों में 100 मेट्रिक टन गन्ने को पेरने से लगभग 6 मेट्रिक टन खाण्डसारी शीरा उत्पन्न होता है जब कि चीनी मिलों में 100 मेट्रिक टन गन्ना पेरने से 4 मेट्रिक टन शीरा उत्पन्न होता है । वर्ष 1981-82 से 1985-86 की अवधि में राज्य में 28 लाख टन खाण्डसारी शीरे का उत्पादन होने का अनुमान किया जाता है जो कि उसी अवधि में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे का लगभग 70 प्रतिशत होता है । खाण्डसारी शीरे में लगभग 60 प्रतिशत किण्वीय शर्करा होती है जब कि चीनी मिल उत्पादित शीरे में लगभग 40 से 50 प्रतिशत किण्वीय शर्करा होती है । इस प्रकार राज्य में यदि खाण्डसारी शीरे के समस्त उत्पादन को नियन्त्रित कर दिया जाय और उसका आसवन किया जाय तो अल्कोहल का उत्पादन प्रायः दूना किया जा सकता है ।

निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राज्य में अनुमानित खाण्डसारी शीरा से अल्कोहल का उत्पादन चीनी मिल के शीरे से उत्पादित अल्कोहल के लगभग समान आता है।

वर्ष	चीनी मिल का शीरा		अनुमानित खाण्डसारी शीरा ×		कालम 3 से कालम 5 की प्रतिशतता
	शीरा का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन में)	प्राप्त अल्कोहल (लाख लीटर में)	शीरा का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन में)	प्राप्त अल्कोहल (लाख लीटर में) (300 लीटर प्रति मेट्रिक टन शीरे से)	
1	2	3	4	5	6
1981	10.849	1578.46	4.83	1449	92
1982-83	8.538	1598.65	5.41	1623	102
1983-84	7.542	1792.62	5.84	1752	98
1984-85	6.700	1632.87	5.46	1638	100
1985-86	7.330	1475.70	6.13	1839	125

लेखापरीक्षा में खाण्डसारी की इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरा को नियन्त्रण में लाने की आवश्यकता को इंगित किया था । (वर्ष 1976-77 की राजस्व प्राप्तियों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तर 4.13) । शीरा भण्डारण पर कार्य समिति के प्रतिवेदन में

× सितम्बर 1987 में प्रकाशित पुनिया समिति के प्रतिवेदन से प्राप्त आंकड़े

भी दिसम्बर 1983 में सुझाव दिया है कि जिन राज्यों में अभी तक खाण्डसारी शीरा पर नियंत्रण नहीं किया गया है वे अब ऐसा कर लें जैसा कि पंजाब व आन्ध्र प्रदेश सरकार ने किया है।

राज्य सरकार द्वारा श्री पी.एल.पुनिया, प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक औद्योगिक एवं विनियोग निगम, लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, की अध्यक्षता में गठित (24 मार्च 1987 को) एक उच्च अधिकार युक्त समिति ने भी खाण्डसारी शीरे के आवागमन और प्रयोग, मूल्य तथा उत्पादन पर नियन्त्रण हेतु सबल संस्तुति की (सितम्बर 1987) है । अक्तूबर 1977 में लोक लेखा समिति की टिप्पणी पर दिये गये स्पष्टीकरण में राज्य सरकार ने कहा था कि राज्य में फैली हुयी लगभग 5000 इकाईयों पर नियन्त्रण की बात उनके विचाराधीन है । पुनिया समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार के कदम की आवश्यकता पर बल इस तथ्य के परिपेक्ष में दिया गया था कि खाण्डसारी शीरे के रूप में चीनी मिल का शीरा भी प्रान्त बाहर निर्यात किया जाता रहा है । कुछ खाण्डसारी शीरा अवैध शराब बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिरभी अभी तक कोई भी नियंत्रण राज्य में लागू नहीं किया गया है ।

इस सम्बन्ध में यह देखा गया है कि राज्य की लगभग 40 प्रतिशत खाण्डसारी इकाईयाँ सफेद खाण्डसारी चीनी बनाने में सल्फर प्रक्रिया का प्रयोग कर रही हैं तथा खाण्डसारी इकाईयों द्वारा गन्ने की कुल पेराई की लगभग 70 प्रतिशत पेराई कर रही

थीं । इस प्रकार की इकाईयों द्वारा उत्पादित अखाद्य शीरा केवल अल्कोहल उत्पादन में ही प्रयोग किया जा सकता था । अखाद्य शीरे के आसवन से चीनी मिल के शीरे से उत्पादित वर्तमान अल्कोहल का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन किया जा सकता था।

3.2.8.1. आसवनियों में अल्कोहल का स्टाक जमा हो जाने के कारण पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का प्रयोग न किया जाना

(I) उत्तर प्रदेश राज्य देश में अल्कोहल का सबसे बड़ा उत्पादक है । इसकी आसवनियों की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता प्रति[illegible] 720.7 लाख लीटर अल्कोहल है । आसवनियां राज्य [illegible] 102 चीनी मिलों द्वारा बाई-प्रडक्ट के रूप में उत्पादित शीरा का प्रयोग करती है । राज्य में अल्कोहल का उत्पादन अर्ध्द 1974-75 में 120 लाख लीटर से (32.5 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 1984-85 में 160 लाख लीटर हो गया । 1981-82 में उपयोग मूल्य आधार पर अल्कोहल के वितरण ढांचे (पैटर्न) में 194.1 लाख लीटर राज्य में अल्कोहल पर आधारित औद्योगिक इकाईयों द्वारा, 370 लाख लीटर पेय शराब हेतु तथा 570 लाख लीटर राज्य के बाहर निर्यात किया गया था। वर्ष 1983-84 में राज्य ने 592.7 लाख लीटर अल्कोहल निर्यात किया था जो अधिकतम निर्यात का आंकड़ा था । परन्तु 1984-85 में निर्यात गिर कर 280.9 लाख लीटर रह गया ।

(II) 13 आसवनियों की लेखापरीक्षा में जांच करने पर पाया गया कि 1981-82 से 1986-87 के बीच अधिष्ठापित

क्षमता का 60 और 47 प्रतिशत इस्तेमाल नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादित उल्कोहल की मात्रा	प्रयुक्त न की गई अधिष्ठापित क्षमता का प्रतिशत
1	2	3	4
	(लाख लीटरों में)		
1981-82	2993.12	1578.9	50.0
1982-83	3164.94	1599.5	49.5
1983-84	3380.42	1795.9	47.0
1984-85	3589.00	1592.2	55.6
1985-86	3720.00	1475.7	60[illegible]
1986-87	3720.00	1724.41	[illegible]

13 आसवनियों में से चार, नामत: [illegible] हरगांव, दौराला और स्योहारा केवल औद्योगिक अल्को[illegible] का उत्पादन कर रही है जो मुख्यतया प्रान्त बाहर निर्यात किया जाता है । गोला आसवनी (खीरी) के मामले में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग वर्ष 1981-82 में 52 प्रतिशत से घटकर 1986-87 में 37 प्रतिशत रह गया जब कि दौराला के मामले में उपयोग की गयी क्षमता 1981-82 में 44 प्रतिशत से घटकर 1986-87 में 25 प्रतिशत रह गयी ।

पूर्ण क्षमता का उपयोग न करने का मुख्य कारण, जैसा कि एक आसवक ने बताया, राज्य में अल्कोहल पर निर्भर

औद्योगिक इकाईयों द्वारा औद्योगिक अल्कोहल का न उठाना और साथ ही साथ महाराष्ट्र व आन्ध्र प्रदेश, जो भारत के दो अन्य मुख्य अल्कोहल उत्पादक राज्य हैं, उनकी तुलना में ऊंची निर्यात शुल्क का होना था । बाद में यह भी बताया गया कि वर्तमान वर्ष (1987-88) में शीरे के साथ साथ अल्कोहल की फिर बहुतायत हो गयी है और जब तक कुल खरीद (आफ टेक) की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती शीरे के उपभोग की समस्या सुलझायी नहीं जा सकती ।

इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीरा और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों, आसवनियों (डिस्टिलरियों), सुरा कर्मशालाओं (ब्रुअरियों) के विकास के सापेक्ष-महत्त्व पर एक दीर्घकालीन योजना तैयार करने के लिये श्री पी.एल.पुनिया की अध्यक्षता में नियुक्ति की गयी समिति ने, शासन को सितम्बर 1987 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि मूल्य की अस्थिरता, कर ढांचे में फेर-बदल व स्पष्ट दीर्घकालीन नीति के अभाव के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य में अल्कोहल का भण्डार बढ़ता (डम्प होता) जा रहा है। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ अन्य राज्य जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने अपने अल्कोहल की मांग की पूर्ति हेतु चुकन्दर व मक्का पर आधारित संयंत्र की स्थापना करके अपनी आसवन क्षमता बढ़ाने के लिये पहले ही कदम उठा लिया है । राजस्थान भी चुकन्दर पर आधारित आसवनी लगा रहा है तथा हिमांचल प्रदेश

ने नीबू फलादि से अल्कोहल पैदा करने का प्रस्ताव किया है। समिति ने यह आशंका व्यक्त की है कि एक बार इन राज्यों ने अपनी स्वत: उत्पादन सुविधा स्थापित कर ली तो फिर वे अल्कोहल की आपूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश पर आश्रित नहीं रहेंगे और इससे उत्तर प्रदेश राज्य में अल्कोहल के एकत्र होने की समस्या और गम्भीर हो जायेगी ।

3.2.8.2. रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गये मिश्रित नमूनों का परीक्षण न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी आसवनी कार्य पद्धति (संशोधन) नियमावली 1978 में प्रावधान है कि शीरा में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से, कम से कम 52.5 लीटर अल्कोहल उत्पादित होना चाहिये । इस उद्देश्य के लिये आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे का मिश्रित नमूना तैयार करके उसे रासायनिक परीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन, आगरा के पास अथवा हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट (एच.वी.टी.आई.) कानपुर के टेक्नालाजिस्ट को शर्करा की मात्रा निर्धारित करने हेतु भेजा जाना अपेक्षित है। विभाग द्वारा निर्धारित समयानुक्रम (शेड्यूल टाइम) के अनुसार नमूनो की जांच रिपोर्ट, सम्बन्धित आसवनी के प्रभारी अधिकारी के पास नमूना प्राप्ति के एक माह के अन्दर वापस कर दी जानी चाहिये । उपयोग किये गये शीरे से अल्कोहल का न्यूनतम उत्पादन करने में असफल रहने पर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत जो भी दण्ड देय हो

उसके साथ-साथ सम्बन्धित आसवक के अनुज्ञापत्र का जब्ती किया जाना व जमानत की धनराशि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक हो जाता है ।

आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये अभिलेख व आंकड़ों की जांच पर (मार्च 1988) पाया गया कि अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट द्वारा परीक्षण कराये जाने हेतु आसवनी-वार एवं वर्ष-वार निकाले गये नमूनों और जांच किये गये नमूनों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई नियन्त्रक आंकड़े नहीं रखे गये थे । फिर भी आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्ष 1982-83 से 1987-88 से सम्बन्धित सूचनाओं / आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1982-83 से वर्ष 1984-85 तक के कुल 461 नमूनों की जांच, जो रासायनिक जांच हेतु भेजे गये थे, उनकी जांच नहीं की गयी थी जब कि वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के नमूनों के लिये बताया गया कि वे जांचोपरान्त वापस कर दिये गये थे ।

3.2.8.3. दोषी पाये जाने वालो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का न किया जाना

विभाग द्वारा दिये गये वर्ष 1982-83 से 1986-87 से सम्बन्धित आंकड़े के अनुसार ज्ञात हुआ कि रासायनिक परीक्षण की जांच रिपोर्ट के आधार पर 1312 मिश्रित नमूनों में न्यूनतम सम्भावित उत्पादन की अपेक्षा 199.92 लाख लीटर अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ था । इन मामलों में निर्धारित न्यूनतम उत्पादन न बनाये रखने के कारण राजस्व की हानि हुयी जो 13.49 करोड़ रूपये बनती थी ।

वर्ष 1981-82 की राजस्व प्राप्तियों के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.2 में नमूनों को जांच हेतु भेजने, जांच पूरी करने व जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही शुरू करने के लिये समय निर्धारित किये जाने के लिये उल्लेख किया गया था। लोक-लेखा-समिति ने इस प्रस्तर पर विचार-विमर्श करते समय आसवकों की प्रतिभूति राशि को जब्त किये जाने और उनके लाइसेन्स रद्द किये जाने की संस्तुति की थी (विधायिका के समक्ष माह अगस्त-सितम्बर 1986 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में)। इस संस्तुति के बावजूद विभाग ने दोषी आसवकों के विरूद्ध लेखापरीक्षा की तिथि (मार्च-1988) तक कोई कार्यवाही नहीं की थी।

उपरोक्त आपत्तियां शासन व विभाग को जुलाई 1988 में प्रतिवेदित की गयी थीं; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989)।

3.3. सादी स्पिरिट के निर्यात पर शुल्क की कम वसूली

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत आबकारी शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ, मदिरा या तो देशी शराब अथवा विदशी मदिरा वर्गीकृत की जाती है। आसवन प्रणाली द्वारा निर्मित देशी शराब की श्रेणी में आने वाली शराब या तो सादी स्पिरिट, मसालेदार स्पिरिट अथवा भभका से उत्पादित मदिरा (आउट स्टिल लिकर), हो सकता है और विदेशी मदिरा की श्रेणी में आने वाली शराब व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, परिशोधित स्पिरिट अथवा विकृत स्पिरिट हो

सकती है। 60 अंश ओ.पी. से कम सान्द्रता (स्ट्रेन्थ) वाली स्पिरिट, अर्थात् आयतन में 91.27 प्रतिशत कम अल्कोहल वाली स्पिरिट, सादी स्पिरिट कहलाती है तथा 60 अंश ओ.पी. और उससे ऊपर की सान्द्रता वाली स्पिरिट, परिशोधित या विकृत स्पिरिट कहलाती है । ये स्पिरिट, अर्थात् 60 अंश ओ.पी. से कम सान्द्रता की सादी स्पिरिट और आयतन में 42.8 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से ऊपर की सान्द्रता वाली परिशोधित अथवा विकृत स्पिरिट, मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त है। 60 अंश ओ.पी. से कम सान्द्रता वाली सादी स्पिरिट, शीरे के अलावा माल्ट, अंगूर व सेब से भी निर्मित होती है।

राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांकित 28
... ...86 में देशी मदिरा (ताड़ी और किण्वित होने वाले मादक
जांच (
...ड़कर) तथा विदेशी मदिरा (बियर और मानव उपभोग
1987
...क्त स्पिरिट को छोड़कर) के निर्यात हेतु शुल्क की दरें
स्पिरिट
...0.65 रूपये और 7.50 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर
से तैय
किया था ।
2,03
गयी थ। नवाबगंज (गोण्डा) में एक ...सवनी में यह देखा

गया (मई 1987) कि मई 1986 से अप्रैल 1987 की अवधि के दौरान 60 अंश ओ.पी. से कम की सान्द्रता वाली 2,00,901.8 अल्कोहलिक सादी स्पिरिट (माल्ट से तैयार की गयी), जो मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त थी और देशी मदिरा की श्रेणी में आती थी उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात की गयी थी । माल्ट स्पिरिट की इस मात्रा पर निर्यात शुल्क 10.65 रूपये प्रति ए.ल. की सही दर के बजाय आबकारी

आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विभिन्न आदेशों के अनुसार 7.50 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से वसूल किया गया । 60 अंश ओ.पी. से कम की सान्द्रता वाली उक्त सादी माल्ट स्पिरिट के निर्यात पर शुल्क की गलत दर लगाने से 6.33 लाख रूपयों तक के शुल्क की कम वसूली हुयी ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (जुलाई 1987), विभाग ने बताया (नवम्बर 1987) कि माल्ट स्पिरिट केवल विदेशी मदिरा बनाने के लिये निर्मित की जाती है, जो 60 अंश ओ.पी. से कम की सान्द्रता की सादी स्पिरिट होने पर भी, विदेशी मदिरा समझी जाती है। आगे भी कहा गया है जैसा कि 28 अप्रैल 1986 की अधिसूचना में दिया गया है, 60 अंश ओ.पी. से कम की सान्द्रता की माल्ट स्पिरिट (जो कि विदेशी मदिरा ... य हैं गयी थी) के निर्यात पर 7.50 रूपये प्रति अल्कोहलिक ली. दर पर ही निर्यात शुल्क देय था ।

पूली

विभाग का कथन इसलिये तर्कसंगत नहीं है कि उसके का वर्गीकरण उसके स्वरूप और अल्कोहलकी मात्रा के आधार के किया जाता है, न कि उस प्रयोजन के आधार पर जिस हेतु वर्गीकृत उपयोग किया जाना होता है । शीरे अथवा माल्ट से ... पर 60 अंश ओ.पी. से कम की सान्द्रता और मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त स्पिरिट सादी स्पिरिट होती है और देशी मदिरा की श्रेणी में आती है । अनुवर्ती लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आबकारी आयुक्त के 14 अक्तूबर 1988 के आदेशानुसार विभाग ने

60 अंश ओ.पी. से कम की सादी माल्ट स्पिरिट के निर्यात पर 10.65 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से निर्यात शुल्क लगाना प्रारम्भ कर दिया है ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ख) इसी प्रकार, गाजियाबाद में एक आसवनी में यह देखा गया (अगस्त 1986) कि मई 1986 से जुलाई 1986 की अवधि के दौरान 60 अंश ओ.पी. से कम की सान्द्रता वाले माल्ट से तैयार की गयी 1,18,656 अल्कोहलिक लीटर सादी स्पिरिट राज्य के बाहर निर्यात की गयी थी, जो मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं थी और देशी शराब की श्रेणी में आती थी । पुनः जांच (जुलाई 1987) से यह पता चला कि अगस्त 1986 से जून 1987 के दौरान उसी प्रकार की 1,95,274.5 अल्कोहलिक लीटर स्पिरिट (माल्ट से तैयार 1,92,091.5 अल्कोहलिक लीटर, अंगूर से तैयार 1,146.0 अल्कोहलिक लीटर तथा सेब से तैयार 2,037.0 अल्कोहलिक लीटर) राज्य के बाहर फिर निर्यात की गयी थी । उपरोक्त समस्त 3,13,930.9 अल्कोहलिक लीटर सादी स्पिरिट पर निर्यात शुल्क 10.65 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की सही दर के बजाय 7.50 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से वसूल किया गया । शुल्क की गलत दर लगाने के फलस्वरूप 9.89 लाख रूपयों के शुल्क की कम वसूली हुई ।

विभाग को मामला अक्तूबर 1986 में तथा सरकार को मार्च 1987 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

3.4. आबकारी दूकानों का ठेका विलम्ब से तय किये जाने के कारण लाइसेंस फीस और निर्गम मूल्य की हानि

उत्तर प्रदेश देशी शराब ठेका (टेण्डर सह नीलाम) नियमावली 1985 के अन्तर्गत देशी शराब की फुटकर बिक्री हेतु लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल स्वरूप लाइसेंस फीस (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के अन्तर्गत देय शुल्क के अतिरिक्त) दो तरीकों से वसूल की जाती है, आंशिक रूप से समय समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित दरों पर आगणित शराब के निर्गम मूल्य के रूप में और आंशिक रूप से नीलाम में लगाई गई बोली की धनराशि के रूप में । किसी आबकारी वर्ष के लिये नीलामी से पूर्व आबकारी आयुक्त कम से कम उठायी जाने वाली शराब की प्रत्याभूत (गारण्टीड) मात्रा तथा निर्गम मूल्य की दर सुनिश्चित कर दी जाती है । बोली स्वीकार किये जाने पर लाइसेंसी को लगाई गयी बोली के 1/4 भाग की धनराशि प्रतिभूति (जमानत) के रूप में जमा करनी होती है ।

जिला आबकारी कार्यालय, प्रतापगढ़ में फुटकर बिक्री के लिये बाबूगंज ग्रुप की देशी मदिरा और भांग की चार दूकानों का नीलाम आबकारी वर्ष 1987-88 हेतु 26 मार्च 1987 को किया गया और 56,000 रुपयों की उच्चतम बोली आई, जो उपरोक्त

दूकानों के ग्रुप की गत वर्ष की लाइसेंस फीस के बराबर थी । यह बोली कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर दी गयी । नीलाम पुनः 27 मार्च 1987 को हुआ जिसमें उच्चतम बोली वही रही । यह भी कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर दी गयी । आबकारी आयुक्त को अपने 27 मार्च 1987 के पत्र में कलेक्टर ने इन दूकानों के नीलामी के निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव यह कहते हुये दिया था कि बोली लगाने वालो द्वारा जो विगत वर्ष का एक लाइसेंसी था, उसके द्वारा दी गयी उच्चतम बोली यथेष्ट नहीं थी और दूकाने रद्द करने में निहित राजस्व की हानि नगण्य थी । अपने उत्तर (2 अप्रैल 1987) में आबकारी आयुक्त ने निर्गम मूल्य की हानि को बचाने के लिये सबसे अधिक उपलब्ध बोली पर दूकानों के तय कर दिये जाने पर बल दिया । बाद में नीलाम 9 अप्रैल 1987 को सम्पन्न हुआ जो कलेक्टर द्वारा पुनः अस्वीकार कर दिया गया । सरकारी राजस्व की हानि को बचाने हेतु 14 मई 1987 को आबकारी आयुक्त ने एक बार फिर सबसे अच्छी उपलब्ध बोली पर दूकानों के तय कर दिये जाने पर बल दिया । दूकाने अंतिम रूप से 7 अगस्त 1987 को नीलाम की गयीं जिसमें आई उच्चतम बोली 36,855 रूपये थी (36,600 रूपये देशी मदिरा हेतु और 255 रूपये भांग हेतु) । जैसा कि नियमों में प्रावधान है पहली अप्रैल 1987 से 7 अगस्त 1987 के दौरान दिन प्रति दिन के आधार पर अथवा विभागीय रूप से दूकान चलाने के लिये कोई व्यवस्था नही की गयी ।

इसके अतिरिक्त दूकानों के विलम्ब से (अगस्त 1987) तय करने के कारण देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत

मात्रा (72.130 बल्क लीटर) जिसमें 6.83 लाख रूपयों का निर्गम मूल्य निहित था, घट कर 41.420 बल्क लीटर रह गयी जिससे केवल 4.55 लाख रूपयों का निर्गम मूल्य प्राप्त हुआ ।

आबकारी आयुक्त के परामर्श के बावजूद कहीं अधिक मूल्य वाली पूर्व की बोलियां स्वीकार न करने के कारण 2.47 लाख रूपयों (लाइसेंस फीस : 19,145 रूपये तथा निर्गम मूल्य : 2.28 लाख रूपये) के राजस्व की हानि हुयी ।

विभाग को मामला नवम्बर 1987 में और सरकार को जनवरी 1988 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

3.5. मूल लाइसैंसी से अन्तरीय हानि का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, जैसा कि वह वर्ष 1985 में संशोधित किया गया था, देशी शराब की दूकान के लाइसैंसी से अपेक्षित है कि वह मदिरा की निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्गम मूल्य उस माह की 5 तारीख तक जमा कर दे । यदि किसी माह का निर्गम मूल्य नियत तिथि तक पूरा जमा नहीं किया जाता तो कम भुगतान की गयी धनराशि, सार्वजनिक नीलाम में दूकान का ठेका दिये जाने के समय भूगतान की गयी प्रतिभूति (सेक्युरिटी) से काट ली जायेगी और कम निर्गम मूल्य के समक्ष समायोजित कर ली जायेगी । सेक्युरिटी से इस प्रकार काटी गयी

धनराशि को लाइसैंसी से उसी माह की 20 तारीख तक जमा कर देने के लिये कहा जायेगा जिसमें निर्गम मूल्य के भुगतान में चूक हुयी है। यदि लाइसैंसी प्रतिभूति से समायोजित की गयी धनराशि निर्धारित समय के अन्दर जमा करने में असफल रहता है तो उसका लाइसैंस निरस्त किया जा सकता है और मूल बोली लगाने वाले की जोखिम और जिम्मेवारी पर दूकान चलाने की कुछ और व्यवस्था की जानी होती है। यदि कोई बोली लगाने वाला आगे नहीं आता है और दूकान पुन: नीलाम नहीं की जा सकती, तब भी वित्तीय हानि, यदि कोई होती है, पुराने लाइसैंसी से भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल की जानी होती है ।

हमीरपुर में सुरहा की एक देशी मदिरा की दूकान वर्ष 1986-87 के लिये 12,500 रूपयों की उच्चतम बोली पर नीलाम में तय की गयी । आबकारी आयुक्त द्वारा इस दूकान का वार्षिम न्यूनतम प्रत्याभूत कोटा, पूरे वर्ष के लिये, 21,290 बल्क लीटर निर्धारित किया गया था । कोटे का निर्गम मूल्य 1.44 लाख रूपये होता था, जो लाइसैंसी द्वारा, उपरोक्त बोली की धनराशि के अतिरिक्त जमा किया जाना अपेक्षित था । परन्तु वर्ष के प्रारम्भ से ही अर्थात्, अप्रैल 1986 से लाइसैंसी निर्गम मूल्य जमा करने में असफल रहा । कलेक्टर द्वारा लाइसैंस जून 1986 में रद्द कर दिया गया । परन्तु बोली लगाने वालों के न मिलने के कारण दूकान पुन: नीलाम मे तय नहीं की जा सकी । लाइसैंस की शेष अवधि हेतु दूकान दैनिक आधार पर चलाने की व्यवस्था की गयी और उन लाइसैंस धारियों द्वारा, जो दूकान को दैनिक व्यवस्था के

आधार पर चला रहे थे, केवल 3899 बल्क लीटर देशी मदिरा उठायी गयी जिससे 25,390 रूपयों का निर्गम मूल्य प्राप्त हुआ। मूल लाइसेंसी द्वारा जमा की गयी 6,500 रूपये की प्रतिभूति, बकाया लाइसेंस फीस के समक्ष समायोजित कर ली गयी। किन्तु अन्तर के 1.25 लाख रूपये (लाइसेंस फीस : 6,000 रूपये, निर्गम मूल्य : 1.19 लाख रूपये) की कमी पूरी करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (मई 1987), विभाग ने बताया (अप्रैल 1988) कि अन्तरीय धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में की जा रही है और यह कि इसको शीघ्र करने के लिये जिला आबकारी अधिकारी, हमीरपुर को निदेशित किया जा रहा है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार ने, जिसे मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया था, विभाग के उत्तर का यह कहते हुये समर्थन कर दिया (जून 1988) कि वसूली की प्रगति से अवगत कराया जायेगा ।

3.6. लाइसेंस फीस का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बंधित गोदाम नियमावली, 1983 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित भारतीय संघ के अन्दर किसी स्थान से शुल्क का भुगतान किये बिना उत्तर प्रदेश में ले आयी गयी अथवा आयात की गयी

बोतल में भरी मदिरा की प्राप्ति एवं भण्डारण हेतु विदेशी मदिरा बंधित गोदाम चलाने के लिये आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को जो विदेशी मदिरा की निर्माता हो, लाइसेंस दे सकता है । बंधित गोदाम में इस प्रकार भण्डारित विदेशी मदिरा की बिक्री या तो विदेशी मदिरा के थोक विक्रेताओं को शुल्क के भुगतान पर की जा सकती है अथवा, राज्य में किसी अन्य बंधित गोदाम को बाण्ड के अन्तर्गत भेजी जा सकती है। लाइसेंस 25,000 रूपयों की प्रतिभूति (सिक्युरिटी) जमा करने और लाइसेंस देने की तिथि से 31 मार्च को समाप्त होने वाली एक वर्ष से अनधिक अवधि हेतु लाइसेंस फीस के रूप में 30,000 रूपयों के भुगतान पर दिया जाता है । ऐसा लाइसेंस 30,000 रूपयों की लाइसेंस फीस के भुगतान पर वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर नवीकृत किया जा सकता है ।

मोहन मीकिन डिस्टीलरी, लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान में यह देखा गया (अप्रैल 1986) कि वहां निर्मित और बोतलों में भरी गयी विदेशी मदिरा बरेली के एक बंधित गोदाम में भण्डारण हेतु शुल्क के भुगतान बिना बाण्ड में जारी की गयी जिसके लिये मोहन मीकिन डिस्टीलरी, मोहन नगर, गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किया गया था । यह लाइसेंस पहली अप्रैल 1983 से 31 मार्च 1934 की अवधि हेतु दिया गया था । बाद में 17 फरवरी 1984 को लाइसेंस पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित "केवल मोहन मीकिन उत्पादनों के विक्रय हेतु" शब्द ऊपर से अंकित

कर दिये गये । बाद में लाइसेंस 1984-85 और 1985-86 वर्षों के लिये नवीकृत कर दिया गया ।

यह देखा गया कि लखनऊ की मोहन मीकिन डिस्टीलरी को जो कि एक पृथक इकाई थी और एक पृथक लाइसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा का निर्माण और बोतल-भराई कर रही थी, उसके आबकारी अधिकारी द्वारा मोहन मीकिन डिस्टीलरी, गाजियाबाद को दिये गये लाइसेंस के समक्ष बरेली स्थित बंधित गोदाम में बाण्ड के अधीन (शुल्क का भुगतान किये बिना) लखनऊ इकाई द्वारा निर्मित भारत में बनी विदेशी मदिरा का पास जारी किया गया था जो अनियमित था । इसके फलस्वरूप 90,000 रूपयों की लाइसेंस फीस की हानि हुयी । चूँकि लखनऊ की मोहन मीकिन डिस्टीलरी के नाम में 1983-84 से 1985-86 वर्षों हेतु एक पृथक लाइसेंस जारी किया जाना अपेक्षित था ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (मई 1986), विभाग ने बताया (अगस्त 1988) कि 90,000 रूपये लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि आसवकों से, स्टिल हेड शुल्क व निर्यात शुल्क के प्रति, उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि को विनियोजित करके, पहली अगस्त 1988 को वसूल कर ली गयी ।

सरकार को मामला अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

3.7. लाइसेंस फीस और उस पर ब्याज का भुगतान न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत आसवनी चलाने के लिये लाइसेंस फीस का भुगतान एक वर्ष अथवा उसके भाग हेतु, जिसके लिये लाइसेंस दिया जाता है, आसवनी की वार्षिक प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता पर, निर्धारित दर से अग्रिम देय होता है। आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन अथवा वृद्धि अथवा ऐसे भभकों तथा अन्य स्थाई संयंत्रों में कोई वृद्धि, नहीं की जा सकती है ।

मेरठ की एक आसवनी की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता दिसम्बर 1982 में 25,500 किलोलीटर से बढा कर 45,000 किलोलीटर कर दी गयी । अतः आसवक को वर्ष 1982-83 हेतु 19,500 किलोलीटर (45,000-25,500) के अन्तर पर 2.50रु.प्रति किलोलीटर की दर से लाइसेंस फीस का भुगतान करना था जो 48,750 रूपये होता था परन्तु यह वसूल नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1982) विभाग ने बताया (जुलाई 1987) कि उक्त धनराशि आसवक द्वारा फरवरी 1987 में जमा कर दी गयी थी ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गयी धारा 38-ए के अन्तर्गत आसवक 29 मार्च 1985

से 20 फरवरी 1987 (भुगतान की तिथि) की अवधि के लिये 16,640 रूपयों के ब्याज का भी देनदार था । ब्याज न लगाये जाने की चूक जनवरी 1986 में विभाग की जानकारी में लायी गयी । विभाग ने ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि अप्रैल 1988 में वसूल कर ली ।

3.8. विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न किया जाना

29 मार्च 1985 से यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अनुसार जहां कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं कर दिया जाता वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक के लिये 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है। उक्त संशोधन के प्रारम्भ होने की तिथि, अर्थात् 29 मार्च 1985, के पूर्व देय होने वाले आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में यदि आबकारी राजस्व का भुगतान संशोधन की तिथि के तीन माह के अन्दर नहीं किया जाता है तो उक्त दर पर ब्याज 29 मार्च 1985 से प्रभारित किया जाता है ।

(1) लखनऊ में निर्धारित शुल्क (एसेस्मेन्ट फीस) और लाइसेंस फीस के रूप में 7.54 लाख रूपयों का आबकारी राजस्व, जो विभिन्न लाइसेंसियों द्वारा 29 मार्च 1985 से पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में देय था, 29 मार्च 1985 से लगभग पांच माह से लेकर

दो वर्षों तक के विलम्ब से अदा किया गया । इन विलम्बित भुगतानों पर 1.25 लाख रूपयों का ब्याज लगना था परन्तु लगाया और वसूल नहीं किया गया ।

विभाग को मामला सितम्बर 1987 में और सरकार को जनवरी 1988 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

(11) गोण्डा जिले में 1977-78, 1978-79 तथा 1982-83 वर्षों से सम्बन्धित 2.35 लाख रूपयों की लाइसेंस फीस के बकाये तीन लाइसेंसियों से प्राप्य थे । इस धनराशि में से 82,916 रूपयों की धनराशि का भुगतान, 29 मार्च 1985 से मान कर, 138 दिनों से लेकर 696 दिनों के विलम्ब से किया गया था । इन विलम्बित भुगतानों पर 25,485 रूपयों का ब्याज लगना था परन्तु यह लगाया और वसूल नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (जून 1987), विभाग ने बताया (जुलाई 1988) कि एक लाइसेंसी से 2,201 रूपयों का ब्याज जुलाई 1987 में वसूल कर लिया गया और दूसरे लाइसेंसी के विरूद्ध 18,037 रूपयों की मांग नोटिस जारी कर दी गयी, जब कि तीसरे लाइसेंसी के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय नें 1.52 लाख रूपयों के मूलधन की वसूली स्थगित कर दी जिसके फलस्वरूप मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं की जा सकी । 18,037 रूपयों की वसूली की सूचना तथा तीसरे लाइसेंसी के सम्बन्ध में (जिसके मामले में 1.52 लाख रूपयों की

वसूली स्थगित कर दी गयी थी) अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

3.9. औषधीय और श्रृंगार साधनों में प्रयुक्त अल्कोहल की अधिक मात्रा पर शुल्क का वसूल न किया जाना

फार्मेसियों में निर्मित औषधीय तथा श्रृंगार साधनों पर आबकारी शुल्क, ऐसे साधनों के प्रत्येक बैच के सम्बन्ध में निर्माताओं द्वारा यथाघोषित उसके अल्कोहलिक अंशों के आधार पर प्रभारित किया जाता है । प्रत्येक बैच के तैयार किये जाने के पश्चात् उसका नमूना (सैम्पिल) रासायन परीक्षक को उसके अल्कोहलिक अंशों के विश्लेषण हेतु भेजना अपेक्षित हैं । यदि वास्तविक अल्कोहलिक अंश घोषित अंश से 2.00 प्रूफ डिग्री (1.2 प्रतिशत बाई वाल्यूम) से अधिक पाया जाता है तो निर्माण की तिथि और रासायन परीक्षक की रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि के बीच बेचे गये स्टाक पर लगने योग्य अतिरिक्त शुल्क निर्माताओं से वसूल किया जाना होता है तथा वसूली आबकारी आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् की जानी होती है ।

गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ तथा कानपुर जिलों में स्थित बंधित फार्मेसियों के सम्बन्ध में, रासायन परीक्षक की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार दवाओं के विभिन्न बैचों में अल्कोहलिक अंशों की अधिक मात्रा के विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

को 52,885 रूपयों के आबकारी शुल्क की वसूली हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिये नवम्बर 1968 और जनवरी 1987 के बीच भेजे गये थे। परन्तु यह देखा गया (दिसम्बर 1985 तथा नवम्बर 1987 के बीच) कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सम्बन्धित आबकारी अधिकारी द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किये जाने के नौ माह से उन्नीस वर्षों की अवधि के बाद भी आबकारी शुल्क की वसूली हेतु आबकारी आयुक्त के आदेश जारी नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि रासायन परीक्षण हेतु नमूने भेजने, रासायन परीक्षक से रिपोर्ट की प्राप्ति तथा रासायन परीक्षक से रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् मांग निकालने के लिये नियमों में किसी समय सूची का प्रावधान नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1985 और नवम्बर 1987 के बीच), विभाग ने बताया (जुलाई 1988) कि 52,998 रूपयों की धनराशि इन फार्मेसियों द्वारा जमा किये गये अग्रिमों से समायोजित कर ली गयी है। किन्तु इस प्रसंग से पता चलता है कि आबकारी आयुक्त के कार्यालय में, अपूर्ण आबकारी शुल्क की वसूली हेतु आदेश (सैक्शन) पारित किये जाने के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था एवं नियंत्रण का अभाव था।

सरकार को मामले की सूचना मार्च 1988 में दी गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

3.10. प्रशमन शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों में प्रावधान है कि लाइसेंस रद्द करने अथवा निलम्बित किये जाने के मामलों अथवा अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति के अभियोजन के मामलों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी आबकारी अधिकारी, प्रत्येक मामले में 5,000 रूपयों से अनधिक प्रशमन शुल्क के भुगतान पर, प्रशमन कर सकता है ।

प्रतापगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ तथा गोण्डा जिलों में 706 अपराधों का सम्बन्धित आबकारी अधिकारियों द्वारा मई 1982 तथा अक्तूबर 1987 के बीच प्रशमन किया गया और 27,255 रूपयों का प्रशमन शुल्क लगाया गया, परन्तु प्रशमन शुल्क वसूल किये बिना चूककर्ताओं/ अपराधियों को छोड़ दिया गया। शुल्क सात माह से साढ़े सात वर्षों तक की अवधि के पश्चात् भी वसूल किये बिना पड़े रहे ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (जनवरी 1988), विभाग ने बताया (अगस्त 1988) कि अब तक 19,125 रूपयों की धनराशि वसूल कर ली गयी है। शेष धनराशि की वसूल की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

अध्याय 4

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

4.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987-88 के दौरान लेखापरीक्षा में परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की की गई जांच-परीक्षा से 187 मामलों में 68.27 लाख रूपयों के कर कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. अतिरिक्त यात्री-कर सहित यात्री-कर का कम लगाया जाना	87	44.67
2. मार्ग-कर का अवनिर्धारण	24	5.43
3. माल-कर का कम लगाया जाना	13	4.89
4. शुल्क का कम लगाया जाना	25	4.08
5. अन्य मामले	38	9.20
योग	187	68.27

कुछ महत्वपूर्ण मामले उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

4.2. **शुल्क का कम लगाया जाना**

राज्य सरकार ने 30 मार्च 1987 को जारी की गयी अधिसूचना के द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1940 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपणीय शुल्कों की दरें बढ़ा दी। बढ़ी हुयी दरें अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी थीं। उक्त अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 1987 के असाधारण गजट में प्रकाशित की गयी।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय, चार सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (वाराणसी, बरेली, कानपुर और गोरखपुर) तथा नौ उप-सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (इटावा, मिर्जापुर, सीतापुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आजमगढ़, रायबरेली और लखीमपुर-खीरी) में 31 मार्च 1987 और 28 जुलाई 1987 के बीच 3,406 मामलों में जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों, लाइसेंसों उपयुक्तता प्रमाण-पत्रों आदि के सम्बन्ध में शुल्कों की वसूली 30 मार्च 1987 को यथा विज्ञापित बढ़ी हुयी दरों के बजाय पुरानी दरों पर की गयी थी। त्रुटि के फलस्वरूप 3.35 लाख रूपयों के शुल्क कम वसूल हुये।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1987 और अक्तूबर 1987 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि शुल्क की कम वसूली सरकारी अधिसूचना के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुयी थी।

सरकार को मामला फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

4.3. ट्रैक्टरों पर रजिस्ट्रेशन फीस का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1940 के अन्तर्गत केवल कृषीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान से मुक्त थे। जून 1978 की सरकारी अधिसूचना द्वारा यह छूट वापस ले ली गयी, जिसके बाद ऐसे ट्रैक्टरों पर 29 मार्च 1987 तक 25 रूपये और तत्पश्चात् 75 रूपये प्रति वाहन की दर से रजिस्ट्रेशन फीस आरोपणीय थी।

कानपुर सम्भाग में, अप्रैल 1987 से जुलाई 1987 की अवधि के दौरान कृषीय प्रयोजनों हेतु पंजीकृत 383 ट्रैक्टरों पर 28,725 रूपयों की रजिस्ट्रेशन फीस आरोपित नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1987) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने रजिस्ट्रेशन फीस की वसूली प्रारम्भ की और 28,725 रूपयों की फीस की वसूली हेतु नोटिसें जारी की गयीं (अगस्त 1987)।

सरकार को मामला दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

4.4. अनुबन्धित वाहनों पर यात्री-कर का न वसूल किया जाना/कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत

1 मई 1979 से यात्री-कर अनुबन्धित वाहन के परिचालक को देय किराये के 16 प्रतिशत की दर से आरोपणीय है । इस प्रयोजन हेतु, अनुबन्धित वाहन के किराये के सम्बन्ध में देय धनराशि को किराया माना जाता है ।

रायबरेली उप-सम्भाग में, निजी परिचालकों के सोलह वाहनों का सितम्बर 1986 से फरवरी 1987 तक की अवधि हेतु रायबरेली स्थित इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ स्टाफ के सदस्यों को उनके निवास से फैक्टरी तक लाने व ले जाने हेतु अनुबन्ध था । उक्त इण्डस्ट्री के पत्र दिनांक 20 मार्च, 1987 जो उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रायबरेली को सम्बोधित था, के अवलोकन से पाया गया कि परिचालको को उपर्युक्त अवधि हेतु 10.92 लाख रूपयों की अनुबन्ध धनराशि का भुगतान किया गया था । किन्तु परिचालकों ने उस अवधि हेतु न तो कोई परिलेख प्रस्तुत किये और न ही इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, रायबरेली के साथ हुये एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री-कर का भुगतान किया । विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 8(1) के अन्तर्गत परिचालकों द्वारा उक्त अवधि में कर के रूप में देय धनराशि को सुनिश्चित किये जाने के लिये ही किसी प्रकार की कार्यवाही भी चालू नहीं की । इसके फलस्वरूप सितम्बर 1986 से फरवरी 1987 के दौरान 1.83 लाख रूपयों का यात्री-कर वसूल नहीं हुआ ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में इसके इंगित किये

जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 1987) कि कर वसूल करने के लिये मांग नोटिसें जारी कर दी जायेंगी । इसके बाद की प्रगति प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

4.5. अनुबन्धित वाहन पर यात्री-कर का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1940 के अन्तर्गत निजी प्रक्रम वाहन का अर्थ किसी ऐसे मोटर वाहन से है जो 9 से अधिक व्यक्तियों (ड्राइवर को छोड़कर) को लाने और ले जाने के लिये निर्मित अथवा रूपान्तरित (एडेप्टेड) किया गया हो और स्वामी द्वारा स्वयं अथवा उसकी ओर से उसके वाणिज्य अथवा व्यापार या निजी प्रयोजनों के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता हो, किन्तु किराये अथवा प्रतिफल (रिवार्ड) के लिये प्रयोग न किया जाता हो । निजी प्रक्रम वाहन यात्री-कर के भुगतान से मुक्त हैं । राज्य सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर 1962 की अपनी अधिसूचना के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के स्वामित्व वाले उन प्रक्रम वाहनों को भी यात्री-कर के भुगतान से मुक्त कर दिया, जो विद्यार्थियों को संस्था तक ले जाने व वहां से ले आने के एकमात्र उद्देश्य से प्रयुक्त किये गये हों । किन्तु किराये अथवा प्रतिफल हेतु चलने वाले वाहनों पर यात्री-कर आरोपणीय है ।

बुलन्दशहर उप-सम्भाग में, 9 से अधिक व्यक्तियों (ड्राइवर को छोड़कर) को लाने व ले जाने के लिये रूपान्तरित एक

वाहन 23 अगस्त 1984 को एक व्यक्ति के नाम अनुबन्धित वाहन के रूप में पंजीकृत किया गया । खुरजा (जिला बुलन्दशहर) में स्थित एक संस्था के साथ किये गये अनुबन्ध के अन्तर्गत यह वाहन स्कूल के बच्चों को संस्था तक ले जाने तथा वहां से ले आने हेतु चल रहा था । क्योंकि वाहन पर किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था का स्वामित्व न होकर एक व्यक्ति का था और किराये पर चलाया गया था, वह यात्री-कर के भुगतान का दायी थी । किन्तु इस वाहन के सम्बन्ध में यात्री-कर का न तो भुगतान अथवा आरोपण ही किया गया । 23 अगस्त 1984 से 31 अक्तूबर 1987 तक की अवधि हेतु आरोपणीय यात्री-कर 72,047 रूपये हुआ ।

मामला विभाग को दिसम्बर 1987 में और सरकार को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

4.6. नगर बसों के किराये की पुनरीक्षित दरों के नियत किये जाने / कार्यान्वयन में विलम्ब

राज्य सरकार ने दिनांक 3 फरवरी 1986 की अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकारी को बसों (नगर पालिका सीमाओं के अन्दर तथा नगरों के ग्रामीण अंचलों में चलने वाली) के किराये की दरें पुनरीक्षित करने तथा नियत करने हेतु निदेशित किया था । किन्तु परिवहन आयुक्त ने सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को नगर बसों के किराये की पुनरीक्षित दरें नियत/ कार्यान्वित करने हेतु निर्देश 6 दिसम्बर 1986 को जारी

किये। आदेशों के कार्यान्वयन में विलम्ब के फलस्वरूप केवल दो सम्भागों में ही, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है, 1,37,350 रूपयों के यात्री-कर की हानि हुयी :

(I) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान (जून 1987) यह देखा गया कि गाजियाबाद - उत्तर प्रदेश सीमा (स्थानीय रूट) पर चलने वाली 12 नगर बसों के सम्बन्ध में कर का निर्धारण 1.20 रूपये (पुनरीक्षित दर) प्रति यात्री के बजाया 85 पैसे प्रति यात्री के किराये के आधार पर ही दिसम्बर 1986 तक किया जाता रहा, जिसके फलस्वरूप फरवरी 1986 से दिसम्बर 1986 तक की अवधि के दौरान 72,576 रूपयों के यात्री-कर की हानि हुयी ।

(II) देहरादून सम्भाग में, देहरादून-कैण्ट मार्ग पर चलने वाली 9 नगर बसों के सम्बन्ध में, आदेशों का कार्यान्वयन 12 मार्च 1987 से किया गया। 85 पैसे से 1.20 रूपये प्रति यात्री किराया पुनरीक्षित करने में विलम्ब के फलस्वरूप 3 फरवरी 1986 से 11 मार्च 1987 तक 64,774 रूपयों के यात्री-कर की हानि हुयी ।

मामले विभाग को क्रमशः जुलाई 1987 और अप्रैल 1987 में तथा सरकार को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

4.7. परिवहन वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम,

1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, यात्री-कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रक्रम वाहनों द्वारा मार्ग पर किसी निर्धारित अवधि के दौरान प्राधिकृत किये गये एकतरफा फेरों की संख्या तथा सम्पूर्ण मार्ग हेतु देय किराया पर निर्भर करता है ।

कानपुर सम्भाग में, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नियन्त्रण के अधीन बड़ा चौराहा-श्रवन खेरा मार्ग पर चलने वाली 7 मिनी बसें 23 अक्तूबर 1986 से प्रतिदिन 5 एकतरफा फेरे करने और सम्पूर्ण मार्ग हेतु किराये के रूप में 3.25 रूपये प्रभारित करने के लिये प्राधिकृत थीं । किन्तु इन वाहनों पर यात्री-कर, मिनी बसों को प्रक्रम वाहनों के बजाय अनुबन्धित वाहन मानते हुये, 4,000 किलोमीटर की दूरी, 80 प्रतिशत भार कारक तथा 2.80 रूपये प्रति किलोमीटर के किराये के आधार पर अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया । परिवहन वाहनों के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप नवम्बर 1986 से अगस्त 1987 की अवधि के दौरान 57,477 रूपये के यात्री-कर की हानि हुयी ।

विभाग को मामला सितम्बर 1987 में और सरकार को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

4.8· एक मुश्त यात्री-कर का गलत संगणन

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत एकमुश्त अनुबन्ध की अधीन यात्री-कर का

निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रक्रम वाहन द्वारा जिस अवधि के लिये अनुबन्ध निष्पादित किया गया है उस अवधि के दौरान किये जाने वाले एकतरफा फेरों की संख्या अथवा उनकी प्रत्याशित संख्या पर निर्भर करता है । लोक लेखा समिति ने 1981-82 के अपने प्रतिवेदन के प्रस्तर 167 में संस्तुति दी थी (वर्ष 1978-79 के लिये राजस्व प्राप्तियों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.3 के सन्दर्भ में एक तिमाही में 90 दिनों के बजाय 75 दिनों के आधार पर फेरों की संख्या संगणित करने के फलस्वरूप यात्री-कर के कम लगाये जाने के सम्बन्ध में) कि भविष्य में सम्पूर्ण राज्य में एक माह में 30 दिन के आधार पर यात्री-कर की परिगणना की जानी चाहिये ।

उक्त संस्तुतियों के बावजूद एकमुश्त यात्री-कर की संगणना में अनियमिततायें होती रहीं । वर्ष 1984-85 के लिये राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.3(क) में 1.52 लाख रूपयों के कर के कम आरोपण की अनियमितता पुनः इंगित की गयी थी जिसमें सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों को ब्रेक-डाउन तथा वाहनों की मरम्मत के लिये छूट देते हुये उनके द्वारा एक तिमाही में कम दिनों (78 से लेकर 82 दिनों तक) में किये गये फेरों के आधार पर यात्री-कर का भुगतान अनुमन किया था यद्यपि एक तिमाही में 90 दिनों के आधार पर फेरों की गणना की जानी चाहिये थी ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1985 और फरवरी 1987 के बीच) में यह और देखने में आया कि इलाहाबाद सम्भाग और

गाजीपुर उप-सम्भाग में यात्री-कर 90 दिनों के बजाय कम दिनों (72 से लेकर 81 दिनों तक) में किये गये फेरों के आधार पर संगणित किया गया । यह प्रणाली नियमों का उल्लंघन भी करती थी और लोक लेखा समिति द्वारा पूर्व में की गयी सुस्तुतियों के भी विरूद्ध थी । संगणना की गलत विधि ने दो मार्गों पर (इलाहाबाद-शमशाबाद तथा औड़िहार-मऊ) चलने वाले छः प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में सरकार को 25,660 रूपये के यात्री-कर (फरवरी 1983 और फरवरी 1987 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु) से वंचित रखा ।

विभाग को मामला फरवरी 1986 में और अप्रैल 197 के बीच तथा सरकार को अगस्त 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

4.9. यात्री-कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी प्रक्रम वाहन द्वारा ले जाये गये प्रत्येक यात्री पर यात्री-कर परिचालकों को देय कर की निर्धारित प्रतिशतता पर आरोपित किया जायेगा और उत्तर प्रदेश में उसकी यात्रा के सम्बन्ध में उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा ।

इटावा उप-सम्भाग में इटावा-विधूना-कचौराघाट मार्ग हेतु यात्री-कर अधीक्षक की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किराया करों सहित 6 रूपया सूचित किया गया था (अक्तूबर 1983)/

शुद्ध (नेट) किराया 5.05 रूपया हुआ जिस पर यात्री-कर वसूल किया जाना था, किन्तु विभाग ने केवल 5 रूपये के शुद्ध किराये पर कर वसूल किया । इसके फलस्वरूप अक्तूबर 1983 से जुलाई 1987 की अवधि के दौरान 22,837 रूपयों के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1987) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्तूबर 1988) कि भेदमूलक (डिफरेन्शियल) कर 22,678 रूपये हुआ जिसमें से 15,009 रूपयों की वसूली कर ली गयी है और अवशेष धनराशि वसूल करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

सरकार को मामला फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

4.10 अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों की प्रचलन अवधि हेतु यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत यात्री-कर के भुगतान हेतु प्रक्रम वाहन के परिचालक द्वारा किया गया एकमुश्त अनुबन्ध 90 दिनों अथवा अनुज्ञा-पत्र की प्रचलन अवधि की असमाप्त अवधि हेतु, जो भी कम हो, मान्य होगा ।

बुलन्दशहर उप-सम्भाग में चार महीनों हेतु अस्थायी अनुज्ञा-पत्र धारक 19 प्रक्रम वाहन सयाना-दनकौर मार्ग पर चल रहे थे और एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री-कर का भुगतान कर रहे थे। उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत मार्ग पर

वाहनों का परिचालन रोक दिया गया था और अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों को भी अभ्यर्पित कर दिया जाना अपेक्षित था । किसी भी अनुज्ञा-पत्र धारक ने अनुज्ञा-पत्रों को अभ्यर्पित नहीं किया और इसीलिये सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी, मेरठ ने अनुज्ञा-पत्रों की प्रचन अवधि हेतु यात्री-कर का निर्धारण करने और उसे वसूल करने के आदेश दिये (मार्च 1987) । किन्तु, यात्री-कर, मार्ग पर चलने वाले केवल 12 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में ही निर्धारित और वसूल किया गया । शेष 7 वाहनों के सम्बन्ध में उनके अनुज्ञा-पत्रों की प्रचलन अवधि हेतु यात्री-कर का निर्धारण न किये जाने के फलस्वरूप मार्च 1986 और सितम्बर 1986 के बीच की अवधि के दौरान 21,758 रूपये का राजस्व वसूल नहीं हुआ ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1987) में इसके इंगित किये जाने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बुलन्दशहर मांग नोटिसें जारी करके धनराशि वसूल करने के लिये सहमत हो गये । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

4.11. राज्य कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि के दौरान चलने वाले प्रक्रम वाहनों पर यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना अथवा गलत निर्धारण किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत किसी प्रक्रम वाहन द्वारा ले जाये गये प्रत्येक

यात्री पर ऐसे यात्री द्वारा राज्य में उसकी यात्रा के सम्बन्ध में प्रक्रम वाहन के परिचालक को देय किराये के सोलह प्रतिशत के समतुल्य दर पर कर आरोपित किया जायेगा और राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान यातायात का सामान्य प्रवाह बनाये रखने के लिये विज्ञापित मार्गों पर परिचालन हेतु निजी परिचालकों को अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी करके स्थानीय प्रबन्ध किये गये ।

(1) सीतापुर उप-सम्भाग में राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान वैकल्पिक प्रबन्ध करने के लिये 14 नवम्बर 1986 से 28 नवम्बर 1986 तक निजी परिचालकों को 131 विशेष अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये । इन 131 विशेष अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों में से 6 दिनों के लिये मान्य 30 अनुज्ञा-पत्रों के सम्बन्ध में यात्री-कर निर्धारित नहीं किया गया, और 2 से 7 दिनों के लिये मान्य शेष 101 अनुज्ञा-पत्रों के सम्बन्ध में यात्री-कर कम निर्धारित किया गया । यात्री-कर के निर्धारण न किये जाने/कम निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप 51,950 रूपयों के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1987) में इसके इंगित किये जाने पर उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सीतापुर ने गलती स्वीकार की (अप्रैल 1987) और सम्बन्धित परिचालकों को मांग नोटिसें जारी करके धनराशि वसूल करने के लिये सहमत हो गये । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(11) इटावा उप-सम्भाग में 18 नवम्बर 1986 और 30 नवम्बर 1986 के बीच वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के वाहनों के स्थान पर विज्ञापित मार्गों पर परिचालन हेतु 2 दिनों की मान्यता वाले 26 अस्थाई प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्र निजी परिचालकों को जारी किये गये थे । किन्तु, विभाग ने गलती से इन वाहनों को प्रक्रम वाहनों के बजाय अनुबन्धित वाहन मानते हुये इन पर यात्री-कर निर्धारित कर दिया । यात्री-कर के गलत निर्धारण के फलस्वरूप 10,312 रूपयों के राजस्व की हानि हुयी ।

मामला विभाग को सितम्बर 1987 में और सरकार को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

4.12. एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रक्रम वाहनों पर यात्री-कर का कम निर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी निर्दिष्ट मार्ग पर किसी प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्री-कर, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्पूर्ण मार्ग हेतु देय कुल किराया, प्रक्रम वाहन द्वारा किये जाने वाले एकतरफा फेरों की

अनुमत संख्या अथवा उनकी प्रत्याशित संख्या और भार कारक के आधार पर परिगणित होता है । मार्ग, फेरों की संख्या, बैठने की अथवा खड़े होने की क्षमता या किराये में कोई भी परिवर्तन, एकमुश्त अनुबन्ध को ऐसे परिवर्तन की तिथि से निष्प्रभावी कर देता है और तत्पश्चात् अनुबन्ध की असमाप्त अवधि के सम्बन्ध में एक नया अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अपेक्षित हो जाता है ।

(I) वाराणसी सम्भाग में वाराणसी से बारा तक के सम्पूर्ण मार्ग हेतु 16 अनुज्ञा-पत्र 8 मई 1985 से स्वीकृत किये गये। यात्री-कर 12 प्रक्रम वाहनों पर सम्पूर्ण मार्ग के किराये पर निर्धारित किया गया किन्तु शेष 4 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में कर केवल अंश-मार्ग (वाराणसी-गाजीपुर) के किराये पर ही निर्धारित किया गया । सितम्बर 1986 से यह गलती सुधार ली गयी और कर सभी 16 प्रक्रम वाहनों पर सम्पूर्ण मार्ग के किराये पर निर्धारित किया गया। मई 1985 से अगस्त 1986 की अवधि के दौरान 4 वाहनों के सम्बन्ध में अंश-मार्ग के किराये के आधार पर कर की संगणना के फलस्वरूप 73,908 रूपये के राजस्व की हानि हुयी ।

मामला विभाग को जुलाई 1987 में और सरकार को दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

(II) कानपुर सम्भाग में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी ने छिबरामऊ-इन्दरगढ़ वाया तलग्राम मार्ग पर 12 प्रक्रम वाहनों

का परिचालन प्राधिकृत किया। सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित मार्ग 36 किलोमीटर लम्बा था, किन्तु यात्री-कर अधिकारी/सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने 36 किलोमीटर के किराये (3.45 रूपये) के बजाय 32 किलोमीटर के किराये (3.05 रूपये) पर ही, जैसा कि परिचालकों द्वारा सूचित किया गया, यात्री-कर वसूल किया। मार्ग के आंशिक भाग हेतु किराये पर कर की संगणना के फलस्वरूप मई 1985 से अगस्त 1987 की अवधि के दौरान 42,801 रूपये की हानि हुयी।

मामला विभाग को सितम्बर 1987 में और सरकार को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989)।

(III) रायबरेली उप-सम्भाग में एक नये निर्मित मार्ग अर्थात् रायबरेली-परसादपुर ननौती पर वाहनों को चलाने के लिये परिचालकों को 11 मार्च 1987 से 10 जुलाई 1987 की अवधि के लिये मान्य आठ अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये। वाहन प्रतिदिन 24 एकाकी फेरे (सिंगिल ट्रिप्स) करने के लिये प्राधिकृत थे। किन्तु, उक्त वाहनों के सम्बन्ध में मार्च 1987 से जुलाई 1987 की अवधि हेतु 93,555 रूपये का यात्री-कर वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बकाया कर की वसूली हेतु सम्बन्धित पक्षों को नोटिसें जारी कीं (जुलाई 1989)।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(IV) इटावा उप-सम्भाग में बिधूना-संदोस मार्ग पर चलने वाले 10 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत 11 वाहनों की, जिनके लिये अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये थे, समय-सारिणी के अनुसार प्रतिदिन बिधूना-लखना के बीच 7 वापसी फेरों तथा लखना-संदोस के बीच 2 वापसी फेरों के आधार पर यात्री-कर 23 जुलाई 1985 से प्रति सीट प्रति तिमाही 65.40 रूपये निर्धारित किया गया। क्योंकि मार्ग पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों की वास्तविक संख्या केवल 10 थी, विभाग द्वारा यात्री-कर उसी तिथि से, प्रति सीट प्रति तिमाही पुन: गणना करके 71.62 रूपये कर दिया गया। किन्तु एकमुश्त अनुबन्ध पुनरीक्षित नहीं किये गये और यात्री-कर पूर्व पुनरीक्षित दरों पर ही वसूल किया जाता रहा। इसके फलस्वरूप जुलाई 1985 से जुलाई 1987 की अवधि के दौरान 35,920 रूपये कम वसूल हुआ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1987) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 1988) कि जांच पर कम वसूले गये कर का वास्तविक अन्तर 40,299 रूपये था जिसे वसूल कर लिया गया है।

मामला सरकार को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989)।

(V) काठगोदाम सम्भाग में, यद्यपि किच्छा-शक्तिफार्म मार्ग (27 किलोमीटर) का किराया बस स्वामियों की यूनियन द्वारा 2.15 रूपये (6 अक्तूबर 1981 से प्रभावी) सूचित किया गया था, एकमुश्त आधार पर यात्री-कर निर्धारण के प्रयोजन से मार्ग पर चलने वाले 9 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में किराया 6 अक्तूबर 1981 से 30 सितम्बर 1984 तक 2.06 रूपया ही लिया जाता रहा । पहली अक्तूबर 1984 से उक्त मार्ग के लिये 2.15 रूपये के पुनरीक्षित किराये के आधार पर एकमुश्त देय यात्री-कर 30.50 रूपये प्रति सीट प्रति माह विभाग द्वारा निश्चित किया गया किन्तु इस मार्ग पर चलने वाले दो प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में पहली अक्तूबर 1984 से 30 सितम्बर 1986 की अवधि हेतु 24.25 रूपये प्रति सीट प्रति माह की दर से यात्री-कर वसूल किया गया। इन गलतियों के फलस्वरूप 25,623 रूपये का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (अक्तूबर 1986) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 1987) कि सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जा चुकी है ।

मामला सरकार को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(VI) बांदा उप-सम्भाग में, बांदा अजयगढ़ मार्ग पर चलने वाले निजी परिचालकों के सात प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में एकमुश्त आधार पर यात्री-कर की संगणना करते समय, आवर्तन के क्रम में

उसी मार्ग पर चलने वाले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वाहनों द्वारा प्रभारित 6.10 रूपये के किराये के समक्ष 5.60 रूपये का किराया 20 सितम्बर 1983 से परिगणना में लिया गया। गलत किराये पर यात्री-कर की संगणना के फलस्वरूप सितम्बर 1983 से जुलाई 1985 की अवधि के दौरान 15,808 रूपये के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1986) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने 15,224 रूपये की मांगे सृजित कर दी और परिचालकों से 13,101 रूपये की धनराशि वसूल कर ली (जुलाई 1987) । शेष 2,123 रूपये की धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(VII) रायबरेली उप-सम्भाग में सलवान-खरौती मार्ग पर चलने वाले एक वाहन (59 करयोग्य सीटों वाले) के सम्बन्ध में एकमुश्त यात्री-कर की धनराशि अप्रैल 1983 तथा नवम्बर 1986 के बीच विभिन्न अवधियों में 913.35 रूपये प्रतिमाह की दर के बजाय 547 रूपये, 685 रूपये तथा 708 रूपये की दरों से गलत परिगणित और वसूल की गयी । इसी प्रकार, रायबरेली-ऊंचाहार मार्ग पर चलने वाले दूसरे वाहन (59 कर योग्य सीटों वाले) के सम्बन्ध में एकमुश्त यात्री-कर 1,132.80 रूपये प्रतिमाह के बजाय 824 रूपये प्रति माह (फरवरी 1985 से जनवरी 1986 के

दौरान) और 582 रूपये प्रति माह (फरवरी 1986) से दिसम्बर 1986 के दौरान) की दरों से वसूल किया गया । उपर्युक्त दोनों मामलों में यात्री-कर के गलत आरोपण के फलस्वरूप 14,616 रूपये कम वसूल हुये ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने वाहन स्वामियों को मांग नोटिसें भेज कर 1,428 रूपये वसूल कर लिये । शेष 13,188 रूपये की धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अप्रैल 1989) ।

(VIII) वाराणसी सम्भाग मे, जमीपुर-बिजेथुअन और जौनपुर-समदपुर मार्गों पर चलने वाले सभी ग्यारह प्रक्रम वाहनों हेतु एकमुश्त अनुबन्ध पहली मार्च 1986 से 15.22 रूपये से पुनरीक्षित कर 18.89 रूपये प्रति सीट प्रति माह कर दिया गया, किन्तु 4 प्रक्रम वाहनों हेतु यात्री-कर पूर्व पुनरीक्षित दर पर वसूल किया गया और एक प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में पहली मार्च 1986 के बजाय 27 दिसम्बर 1986 से पुनरीक्षित दर पर भुगतान लिया गया । इस प्रकार, मार्च 1986 से मई 1987 के दौरान 18,296 रूपये का यात्री-कर कम निर्धारित एवं संग्रहीत हुआ ।

लेखापरीक्षा (मई 1987) में इसके इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने गलती स्वीकार की और वसूली हेतु मांग नोटिसें जारी करने को सहमत हो गये (जून 1987) । इसके

बाद की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ix) वाराणसी सम्भाग में, वाराणसी-केराकत वाया सिनधौरवा मार्ग पर चलने वाले 22 प्रक्रम वाहनों हेतु एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री-कर 50.18 रूपये प्रति सीट प्रति तिमाहीकी सही दर के बजाय 48.96 रूपये प्रति सीट प्रति तिमाही की दर पर संगणित किया गया । गलती के फलस्वरूप 21 मई 1982 से 20 मई 1987 की अवधि के दौरान 38,750 रूपये का यात्री-कर कम वसूल हुआ ।

विभाग को मामला जुलाई 1987 में और सरकार को दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

(x) अलीगढ़ उप-सम्भाग में अलीगढ़-रामघाट मार्ग पर पहली अप्रैल 1987 से भार कारक 89 प्रतिशत से बढ़ाकर 93 प्रतिशत कर दिया गया और पहली जुलाई 1987 से किराया 30 प्रतिशत बढ़ा दिया । किन्तु, इस मार्ग पर चलने वाले 30 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबन्धों के अन्तर्गत देय यात्री-कर पहली अप्रैल 1987 से वसूली योग्य 24.19 रूपये प्रति सीट प्रति माह तथा पहली जुलाई 1987 से 30.17 रूपये प्रति सीट प्रति माह के विपरीत 23.15 रूपये प्रति सीट प्रति माह की दर से परिगणित होता रहा । गलत कर-निर्धारण के फलस्वरूप अप्रैल

1987 से जुलाई 1987 की अवधि के दौरान 23,623 रूपये का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (अक्तूबर 1987) में इसके इंगित किये जाने पर उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़ ने उक्त धनराशि वसूलने के लिये मांग नोटिसें जारी कर दीं । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

(xi) लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर के दो उप-सम्भागों में, 51 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में, जो लखीमपुर खीरी उप सम्भाग के 3 मार्गों (लखीमपुर - मंगलगंज, पलिया - अरिया और लखीमपुर - मोहम्मदी) और मिर्जापुर उप-सम्भाग के एक मार्ग (बरडिया-बलियारी) पर चल रहे थे, यात्री-कर के भुगतान हेतु एकमुश्त अनुबन्ध, उपर्युक्त मार्गों पर चलने के लिये अनुमत वाहनों की कुल संख्या के आधार पर निष्पादित किये गये थे, यद्यपि उनमें से पांच जुलाई 1983 से अगस्त 1987 की अवधि के दौरान अपरिचालित रहे। क्योंकि प्रक्रम वाहन किसी विशिष्ट मार्ग पर एक निश्चित समय-सारिणी के अनुसार अपनी बारी (रोटेशन) से चलते हैं, किये गये एकतरफा फेरो अथवा पूरे किये जोने वाले प्रत्याशित फेरों की परिगणना मार्गों पर चलने वाले वाहनों की वास्तविक संख्या पर करनी पड़ती है न कि परिचालन के लिये प्राधिकृत उनकी कुल संख्या पर। पांच प्रक्रम वाहनों के मार्ग पर अपरिचालित होने

के कारण उन पर परिचालकों की प्राप्तियां शेष प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में बढ़ गयी थीं किन्तु एकमुश्त अनुबन्ध पुनरीक्षित नहीं किये गये और यात्री-कर शेष प्रक्रम वाहनों द्वारा किये गये वास्तविक फेरों की अपेक्षा फेरों की कम संख्या पर परिगणित किया गया । इसके फलस्वरूप 79,013 रूपयों का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

मामले विभाग को पहली जुलाई 1987 में (मिंर्जापुर इकाई) तथा सितम्बर 1987 में (लखीमपुर खीरी इकाई) प्रतिवेदित किये गये । नवम्बर 1988 में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, खीरी ने सूचित किया कि 36,221 रूपये (58,654 रूपयों में से) वसूल कर लिये गये हैं और अवशेष धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है । मिर्जापुर उप-सम्भाग के मामले में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल-1989) ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(xii) रायबरेली उप-सम्भाग में 3 मार्गों पर (रायबरेली-मोहनगंज वाया अमावन, रायबरेली-ऊंचाहार-सलवान और सलवान-खरौली) प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में परिचालको द्वारा, कुछ वाहनों के मार्ग पर अपरिचालित होने के कारण, फेरों की संख्या बढ़ा दी गयी थी, किन्तु एकमुश्त अनुबन्ध पुनरीक्षित नहीं किया गया यद्यपि इसके प्रभाव से परिचालकों की प्राप्तियां बढ़ गयी थीं । परिचालकों

द्वारा किये गये फेरों की वास्तविक संख्या से अपेक्षाकृत कम संख्या पर यात्री-कर की परिगणना के फलस्वरूप 22,062 रूपये का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने गलती मान ली और सम्बन्धित परिचालकों से 14,094 रूपयों की धनराशि वसूल कर ली । अवशेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

4.13. उत्तर प्रदेश में चलने वाले दूसरे राज्य के वाहनों पर मालकर का न लगाना

उत्तर प्रदेश राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली के बीच परिवहन वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये तथा उनके परिचालने को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु दोनों ने 26 नवम्बर 1985 को एक पारस्परिक अनुबन्ध किया । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के परिवहन वाहनो द्वारा अपने अपने गृह राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश में वहां लागू दर पर मार्ग-कर का भुगतान करना अपेक्षित है। किन्तु, माल-कर अथवा यात्री-कर के सम्बन्धा में एक स्तरीय कराधान (सिंगल प्वाइन्ट टैक्सेशन) के लिये न तो अनुबन्ध में और न ही उत्तर प्रदेश राज्य के अधिनियम और नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान है। अतः, पारस्परिक अनुबन्ध के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चलने

वाले केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली के सभी परिवहन वाहनो का यह दायित्व है कि वे उत्तर प्रदेश में अपने रूकने की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश राज्य को माल-कर या यात्री-कर का भुगतान करें ।

बरेली सम्भाग में, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के चार सार्वजनिक वाहन (माल वाहन), जिनके पास सम्भागीय परिवहन अधिकारी बरेली द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित स्थायी अनुज्ञा-पत्र थे, उत्तर प्रदेश में चल रहे थे । किन्तु, बरेली सम्भाग के परिवहन अधिकारियों द्वारा दिसम्बर 1984 और मार्च 1987 के बीच की विभिन्न अवधियों हेतु उक्त वाहनों के सम्बन्ध में माल -कर अरोपित नहीं किया गया । आरोपित न किया गया माल-कर 28,554 रूपये हुआ ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल - मई 1987) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि सम्बद्ध वाहनों के अनुज्ञा-पत्रों की जांच के बाद वसूली की जायगी । इसके बाद की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

4.14. मार्ग-कर का निर्धारण न किया जाना/ कम निर्धारण किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत किसी भी वाहन का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके स्वामी ने, उसके

उसके समबन्ध में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयुक्त दर पर मार्ग(कर का भुगतान न कर दिया हो। किसी प्रक्रम वाहन द्वारा देय मार्ग-कर मार्ग की श्रेणी जिस पर चलने के लिये वह प्राधिकृत है और उसकी प्राधिकृत बैठने की क्षमता पर निर्भर करता है। बिना अनुज्ञा-पत्र के चलते हुये पाये गये किसी वाहन के सम्बन्ध में मार्ग-कर उसी प्रकार प्रभारित किया जाता है जिस प्रकार स्पेशल श्रेणी के मार्ग हेतु प्रभारित होता है ।

बरेली सम्भाग में एक प्रक्रम वाहन तथा रायबरेली उप-सम्भाग में 4 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में अक्तूबर 1985 और जून 1987 के बीच की विभिन्न अवधियों हेतु, विभाग के अभिलेखों के अनुसार, मार्ग-कर का भुगतान न तो स्वामियों द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा निर्धारण तथा वसूल किया गया । आरोपणीय मार्ग-कर 32,833 रूपये हुआ ।

और, बरेली सम्भाग में 5 प्रक्रम वाहनों तथा रायबरेली उप-सम्भाग में 8 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में मार्ग-कर या तो निम्नतर श्रेणी के मार्ग हेतु या प्राधिकृत बैठने की क्षमता से कम पर निर्धारित हुआ, फलस्वरूप जनवरी 1985 से जून 1987 के दौरान 18,267 रूपये का कम निर्धारण हुआ ।

विभाग को मामला जून1987 तथा सितम्बर 1987 में और सरकार को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

4.15. गलत दरों को लागू किये जाने के कारण मार्ग-कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत किराये अथवा यात्री को ले जाने हेतु चलने वाले मोटर वाहन पर यात्री-कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, मार्ग की श्रेणी जिस पर वह चलता है, निर्भर करता है । मार्ग-कर आरोपित करने के प्रयोजन से मार्गों को चार श्रेणियों में अर्थात् स्पेशल "ए", "बी" और "सी" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और स्पेशल श्रेणी के मार्गों के लिये कर की दर उच्चतम है और "ए", "बी" तथा "सी" श्रेणी के मार्गों हेतु कर की दर अपेक्षाकृत निम्नतर है । यदि कोई वाहन एके से अधिक श्रेणी के मार्गों पर चलता है तो सम्पूर्ण मार्ग हेतु उच्चतम श्रेणी के लिये लागू मार्ग-कर प्रभारित किया जाना अपेक्षित होता है ।

गोरखपुर सम्भाग में, फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के साथ अनुबन्ध के आधार पर एक परिचालक के तीन वाहन निगम के स्टाफ के सदस्यों तथा उनके बच्चों को गोरखपुर में उनके निवास स्थानों से फैक्टरी/स्कूल ले जाने और वापस लाने हेतु परिचालित थे । गोरखपुर नगर से फैक्टरी का मार्ग गोरखपुर-सोनौली मार्ग का एक अंश है जिसका जनवरी 1982 से "स्पेशल" श्रेणी के मार्ग में उन्नयन कर दिया गया था । इस प्रकार, गोरखपुर नगर और फैक्टरी के बीच चलने वाले वाहन "स्पेशल" श्रेणी के लिये लागू दर पर मार्ग-कर का भुगतान करने के दायी थे और न कि "बी" श्रेणी मार्ग के लिये लागू दर पर जो

उनसे प्रभारित किया जा रहा था । निम्नतर श्रेणी के मार्ग के लिये लागू दर पर मार्ग-कर के भुगतान के फलस्वरूप जनवरी 1982 से सितम्बर 1987 की अवधि के दौरान 43,437 रूपये के राजस्व की हानि हुयी ।

मामला विभाग को सितम्बर 1987 में और सरकार को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

4.16. मार्ग-कर के भुगतान से अनियमित छूट

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत किसी परिवहन के सम्बन्ध में मार्ग-कर चार समान किस्तों में दिया जा सकता है जो प्रति वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबरर के पन्द्रहवें दिन अथवा उससे पहले अग्रिम देय होता है । वाहन के प्रयोग न किये जाने वाली अवधि के लिये अधिनियम/नियम में कर मुक्ति का प्रावधान नहीं है । उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली 1935 के नियम 33 के अन्तर्गत जब किसी मोटर वाहन का स्वामी किसी कारणवश अपने वाहन को तीन महीने से अधिक की अवधि हेतु प्रयोग में लाये जाने से हटा लेता है तो उसके द्वारा वाहन के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र तथा टोकन कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जाना अपेक्षित होता है, अन्यथा यह मान लिया जाता है कि वाहन का प्रयोग किया जा रहा है। व्यवहार में, विभाग जब अभ्यर्पण (सरण्डर) की अवधि तीन माह से अधिक हो जाती है,

कर के देय न होने पर मुक्ति प्रदान करता है ।

कानपुर सम्भाग और रायबरेली उप-सम्भाग में वाहन के स्वामियों द्वारा अप्रैल 1985 और जून 1987 के बीच तीन महीनों से कम की विभिन्न अवधियों हेतु 40 परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में जारी किये गये रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र और टोकन अभ्यर्पित कर दिये गये थे, विभाग ने वाहनों को इन अवधियों हेतु कर के भुगतान से विमुक्त कर दिया । यह देखा गया कि प्रयोग न किये जाने की अवधि के लिये विभाग ने इन वाहनों को कर के भुगतान से मुक्त किया यद्यपि अधिनियम/नियमों में इस प्रकार की कर मुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है । वाहनों के प्रयोग न किये जाने के आधार पर अनियमित छूट के फलस्वरूप 23,270 रूपये के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987 तथा अगस्त 1987) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली (जुलाई 1987 तथा अगस्त 1987) और मुक्त किये गये कर को वसूल करने के लिये सहमत हो गया । वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

4.17. मार्गों के पुनः वर्गीकरण में विलम्ब के कारण राजस्व-हानि

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली,

1935 के अनुसार किसी मार्ग का वर्गीकरण करते समय नियन्त्रक अधिकारी तीन बातों अर्थात् (I) सम्भावित आय जो उस मार्ग पर सार्वजनिक सेवा वाहनों के प्रयोग द्वारा प्राप्त होगी (II)

सड़क अथवा सड़कों या किसी सड़क या सड़कों के भाग अथवा मार्गों जो उस मार्ग में समाविष्ट होते हों, के रख-रखाव का मूल्य तथा (III) सार्वजनिक हित में प्रस्तावित मार्ग के विकास की आवश्यकता द्वारा पथ प्रदर्शित होगा । माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीलावती बनाम राज्य परिवहन अधिकारी उत्तर प्रदेश (1981 एस.सी.सी. 6.65) के वाद में निर्णीत किया है कि नियमावली में उल्लिखित बातों का अवश्य पालन किया जाना चाहिये । जिन मामलों में सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखे बिना वर्गीकरण किया था, अधिकारी द्वारा किया गया पुनः वर्गीकरण विधिक रूप से अवांछनीय माना गया ।

कुमायूं सम्भाग में, दो मार्गों (किच्छा- सितारगंज-नानक सारग-खटीमा तथा किच्छा-सिरसा-शक्ति फार्म) का "ए" श्रेणी से "स्पेशल श्रेणी" में पुनर्वर्गीकरण तथा उन्नयन सितम्बर 1978 में कुमायूँ सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी की संस्तुति पर राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा किया गया था । इन मार्गों पर अपने वाहन चलाने वाले 44 परिचालकों को "स्पेशल श्रेणी" मार्गों का मार्ग-कर वसूल करने के लिये मांग नोटिसें जारी की गयीं थी (अक्तूबर 1978) । परिचालकों ने उपरोक्त दो मार्गों के पुनर्वर्गीकरण को चुनौती देते हुये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट

याचिकायें (1979 की नोटिस संख्या 348) दाखिल कीं । उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई 1983 को उनके पुनर्वर्गीकरण तथा मांग की सूचनायें निरस्त की तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी को विधि के अनुसार तथा सर्वोच्च न्यायालय के शीलावती वनाम राज्य परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मामले में दिये गये निर्णय के प्रकाश में मार्गों के पुनर्वर्गीकरण पर पुनर्विचार करने के लिये निर्देश दिये। किन्तु विभाग ने उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त कथन के प्रकाश में पुनः जांच के लिये कोई कार्यवाही नहीं की ।

विभाग को मामला दिसम्बर 1987 में तथा सरकार को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

अध्याय 5

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस

5.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987-88 के दौरान लेखापरीक्षा में जिला निबन्धकों तथा सब रजिस्ट्रारों के लेखे और सम्बद्ध अभिलेखों की जांच-परीक्षा से 121 मामलों में 20.09 लाख रूपये के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयो में)
1. सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम लगाया जाना	76	13.43
2. प्रलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण कम कराधान	24	3.48
3. अन्य मामले	21	3.18
योग	**121**	**20.09**

वर्ष 1987-88 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

5.2. सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम लगाया जाना

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख के विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है । जुलाई 1974 के सरकारी आदेशों के अन्तर्गत किसी जिले में स्थित विभिन्न वर्गों की भूमि की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्ग-दर्शन हेतु सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित तथा अधिसूचित की जानी है ।

(1) वाराणसी, फतेहपुर तथा देवरिया के तीन जिलों में 17 प्रपत्रों में भूमि एवं भवन वाली सम्पत्तियां सम्बन्धित कलेक्टरों द्वारा अधिसूचित उस इलाके में प्रचलित बाजार दरों की अपेक्षा कम दरों पर मूल्यांकित की गयीं थी । इसके फलस्वरूप 74,081 रूपयों का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस कम आरोपित हुआ।

मार्च1984 तथा मई 1985 के बीच लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जून 1986 तथा दिसम्बर 1988) कि 4395 रूपयों के अर्थदण्ड के साथ-साथ 44,697 रूपयों का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस 11 मामलों में लगायी जा चुकी है जिसमें से 5,950 रूपयों की वसूली कर ली गयी । शेष मामलों में की गयी कार्यवाही पर सूचना प्राप्त

नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला मार्च 1988 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ii) दादरी (जिला गाजियाबाद) में 5 जनवरी 1987 तथा 15 जनवरी 1987 के बीच निष्पादित और पंजीकृत किये गये औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि की बिक्री से सम्बन्धित दो विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस कृषीय प्रयोजनार्थ भूमि की दरों पर निश्चित सम्पत्तियों के मूल्यांकन पर आधारित करके आरोपित किया गया । ये दरें गाजियाबाद के कलेक्टर द्वारा औद्योगिक / आवासीय प्रयोजनार्थ सुस्पष्ट भूमि के मामले में निश्चित और अधिसूचित दर (70 रूपये प्रति वर्ग गज) से कम थीं । सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु गलत दरें अपनाने के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क का 1.89 लाख रूपये कम कराधान हुआ ।

विभाग को मामला अगस्त 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(iii) दादरी (जिला गाजियाबाद) में पुन: 23 बीघे और 14 बिसवे माप वाली भूमि की बिक्री के सम्बन्ध में दो प्रपत्र, भूमि को दो समान भागों में बांटते हुये तैयार किये गये । इन दो प्रपत्रों जो महर्षि वेद विद्यापीठ, महर्षिनगर, गाजियाबाद के पक्ष में 9 जनवरी तथा 23 जनवरी 1986 के बीच निष्पादित एवं पंजीकृत

किये गये, में विभिन्न मूल्यांकन अर्थात् 8.74 लाख रूपये तथा 10.69 लाख रूपये अपनाया गया । एक ही किस्म की तथा एक ही समय पर बेची गयी भूमि के लिये विभिन्न बाजार मूल्य के अपनाये जाने के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क का 22,540 रूपये कम कराधान हुआ ।

विभाग को मामला अगस्त 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(IV) नाकुर (जिला सहारनपुर) में 6 मई 1986 को निष्पादित एवं पंजीकृत, औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि की बिक्री सम्बन्धी, एक प्रपत्र पर स्टाम्प शुल्क कृषीय भूमि हेतु अधिसूचित दरों पर निश्चित सम्पत्ति के मूल्यांकन पर आरोपित किया गया । ये दरें आवासीय / औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित भूमि के मामले में सहारनपुर के कलेक्टर द्वारा निश्चित और अधिसूचित दर (255 रूपये प्रति वर्ग मीटर) से कम थीं । सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु गलत दरें अपनाने के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क का 61,845 रूपये कम कराधान हुआ ।

विभाग को मामला अक्तूबर 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला अप्रैल 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ख) उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अनुसार एक भवन,जो हस्तान्तरण,विनिमय, उपहार, व्यवस्थापन, पंचाट अथवा न्यास विलेख का विषय-वस्तु है, के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान हेतु न्यूनतम बाजार मूल्य, वास्तविक अथवा निर्धारित वार्षिक किराये मूल्य, जो भी अधिक हो, के 25 गुना निर्धारित मूल्य से कम नहीं स्वीकार किया जायेगा ।

सब रजिस्ट्रार, मसूरी (जिला देहरादून) के कार्यालय में जून 1986 में दस्तावेज संख्या 69/86 द्वारा पंजीकृत एक हस्तान्तरण विलेख (जिसमें भवन और खाली भूमि सम्मिलित थी) के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क विक्रय विलेख में निर्दिष्ट 13.50 लाख रूपये के विक्रय प्रतिफल पर आधारित लगाया गया था । अपनाया गया मूल्यांकन गलत था क्योंकि, देहरादून के कलेक्टर द्वारा निर्धारित 300 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 6365.52 वर्ग मीटर माप वाले केवल आवासीय भूखण्ड का मूल्य 19.10 लाख रूपये बनता था । वास्तविक वार्षिक किराया अथवा कल्पित किराया अथवा नगरपालिका द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया, अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपेक्षित होने के बावजूद, प्रपत्र में निर्दिष्ट नहीं था । नियम 343 से 346 के अन्तर्गत जैसा अपेक्षित है, सम्पत्ति का उचित मूल्यांकन करने की भी सब रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी । मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, देहरादून द्वारा स्वीकृत (फरवरी 1984) भवन निर्माण कार्य की दरों की अनुसूची के आधार पर भवन का मूल्यांकन 3.91 लाख रूपये तथा खुले स्थल का मूल्य 18.12 लाख रूपये बनता था। 8.53 लाख

रूपये (22.03 लाख रूपये - 13.50 लाख रूपये) से भवन के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप 98,095 रूपये का स्टाम्पशुल्क कम लगा ।

लेखापरीक्षा में त्रुटि के इंगित किये जाने पर (जून 1987) विभाग ने बताया (जून 1987) कि उचित मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु मामला कलेक्टर, स्टाम्प को सन्दर्भित किया जायेगा । आगे हुयी प्रगति सूचित नहीं की गयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

5.3. कृषि -इतर भूमि के गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपित होना

यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अनुसार कृषि-इतर भूमि, जिस पर राजस्व नहीं निर्धारित किया गया और जिससे प्रपत्र के निष्पादन के दिनांक से तुरन्त पूर्व के तीन वर्षों की अवधि के दौरान कोई लाभ नहीं हुआ, का न्यूनतम बाजार मूल्य भूमि के कल्पित वार्षिक किराये के 400 गुने से कम नहीं होगा ।

(क) सब-रजिस्ट्रार, मोहम्मदाबाद, गोहना (जिला आजमगढ़) के कार्यालय में कृषि-इतर भूमि सम्बन्धी चार हस्तान्तरण विलेख मई 1984 में पंजीकृत किये गये, जिन पर

स्टाम्प शुल्क विलेखों में निर्दिष्ट भूमि के कल्पित वार्षिक किराये मूल्य के 400 गुने से बहुत कम दरों पर, प्रश्नगत भूखंडों का बाजार मूल्य लेते हुये, लगाया गया था । सही दर पर कृषि-इतर भू-खण्डों के मूल्यांकन में हुयी चूक के फलस्वरूप 21,835 रूपयों से स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुयी ।

(ख) इसी प्रकार सब-रजिस्ट्रार, मनकापुर (जिला.गोण्डा) के कार्यालय में जनवरी 1985 में पंजीकृत एक हस्तान्तरण विलेख के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस क्रमश: 17,043 रूपये और 45 रूपये से कम वसूल किये गये ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (फरवरी 1985 और जनवरी 1986 के बीच), विभाग ने बताया (अगस्त 1986) कि दस्तावेजों की प्रतियां कलेक्टर, स्टाम्प को स्टाम्प शुल्क के निर्धारण और वसूली के लिये भेज दी गयी थीं । आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

5.4, अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क का गलत आरोपित किया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत 14 जनवरी 1982 को जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 20 जनवरी 1982 से मेमोरेण्डम, इकरारनामा या

दिये गये प्रतिभूति बन्धपत्र अथवा ठेकेदार क्षरा उसको सौंपे गये कार्य के सम्पादन हेतु किया गय: अनुबन्ध अथवा किसी विभाग से किये गये किसी अनुबन्ध के समुचित निष्पादन के लिये किये गये विलेखों पर, स्टाम्प शुल्क आरोपणीय हो गया। ऐसे विभागों में से उद्योग एक विभाग था । उपायुक्त, स्टाम्प, मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 8 मार्च 1983 में स्पष्ट किया कि ठेके जिनके उचित निष्पादन के लिये सरकार के पास प्रतिभूति नकद या सावधि जमा प्राप्तियों के अनुसार जमा की जाती है, पर स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 40(ए) अथवा 40(बी) की सूची 1-बी के अन्तर्गत आरोपणीय है । इस प्रकार स्टाम्प शुल्क 85 रूपये अथवा 42.50 रूपये (17 अक्तूबर 1985 से 95 रूपये अथवा 47.50 रूपये) प्रति हजार की दर से जैसी भी स्थिति हो, आरोपणीय है ।

जाँच के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1987) कि अस्थाई संरचनाओं को गिरा देने और प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु एक नये मण्डप के निर्माण के लिये 88.64 लाख रूपये का एक ठेका एक ठेकेदार को उद्योग निदेशक द्वारा जून 1985 में दिया गया । ठेकेदार के चालू और अन्तिम बिलों से 8.86 लाख रूपये की प्रत्याभूति जमा काट ली गयी । उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ठेके पर स्टाम्प शुल्क आरोपित करने के बजाय कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्ध केवल 5 रूपये के स्टाम्प कागज पर निष्पादित किया गया । प्रतिभूति जमा धनराशि पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण की चूक के फलस्वरूप 75,348 रूपये का स्टाम्प शुल्क (8.86 लाख रूपये की प्रत्याभूति

जमा पर परिकलित) आरोपित नहीं किया गया ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1987 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

5.5. एक प्रपत्र में दो सुस्पष्ट मामलों के लिये स्टाम्प शुल्क न मिलाये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना

उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत अनेक सुस्पष्ट मामलों वाले किसी प्रपत्र पर स्टाम्प शुल्कों की कुल धनराशि प्रभारित की जायेगी जैसे अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक मामले वाले भिन्न-भिन्न प्रपत्रों पर प्रभार्य होगा ।

मई 1981 में भदोही (जिला वाराणसी) में पंजीकृत एक विलेख के सम्बन्धा में, विलेख को केवल "पट्टे का समर्पण" मानते हुये, स्टाम्प शुल्क के रूप में केवल 38 रूपयों की धनराशि लगायी गयी, जब कि भूमि पर अधिकार तथा प्रथम पार्टी द्वारा उस पर निर्मित भवन (लागत 2.04 लाख रूपये) दूसरी पार्टी को हस्तान्तरित कर दिये गये थे । इस प्रकार विलेख पट्टे के समर्पण हेतु ही नहीं था अपितु प्रथम पार्टी द्वारा भूमि पर निर्मित भवन (लागत 2.04 लाख रूपये) के दूसरी पार्टी को हस्तान्तरण हेतु भी था । विलेख पर स्टाम्प शुल्क "पट्टे का समर्पण" तथा "विक्रय विलेख" की भांति प्रभारित किया जाना चाहिये था । भवन के

विक्रय के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क प्रभारित न करने की चूक के फलस्वरूप 21,382 रूपये के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुयी ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1982), विभाग ने बताया (अगस्त 1985) कि 21,382 रूपये का स्टाम्प शुल्क और 21,382 रूपये का अर्थदण्ड लगा दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला मई 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

अध्याय 6

भू–राजस्व

6.1. लेखा परीक्षा के परिणाम

198`-88 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच–परीक्षण से 80 मामलों में 6.98 लाख रूपयों के भू–राजस्व का न लगाया जाना/कम लगाया जाना, संग्रह प्रभारों की कम वसूली, जोत बहियों के मूल्य की वसूली न करना आदि का पता चला जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. भू–राजस्व का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	25	4.06
2. संग्रह प्रभारों की कम वसूली	20	1.13
3. जोत बहियों के मूल्य की वसूली न करना	11	1.48
4. अन्य मामले	24	0.31
योग	**80**	**6.98**

कुछ महत्त्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित किये गये हैं ।

6.2. भू-राजस्व की गलत छूट

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार नियमावली, 1952 के अन्तर्गत, नियमावली के परिशिष्ट 1 में दिये अनुपात में भू-राजस्व दो किस्तों में देय है । किसी क्षेत्र में फसलों की उपज को प्रभावित करने वाली कृषीय आपदा के होने पर, राजस्व में राहत उस अनुपात के अनुसार, जिसमें भू-राजस्व की किस्तें देय हैं, परिकलित की जानी है । राबर्ट्सगंज तहसील में कृषीय आपदा से प्रभावित खरीफ की फसलों के लिये भू-राजस्व के 40 प्रतिशत की दर से राहत अनुमन्य थी ।

राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) तहसील में 1386 फसली (जुलाई 1978 से दिसम्बर 1978) की खरीफ फसलों के लिये (जो कृषीय आपदा द्वारा प्रभावित हुयीं थीं) राजस्व में राहत 40 प्रतिशत के बजाय वार्षिक भू-राजस्व की 50 प्रतिशत की दर से परिकलित की गयी थी । अधिक स्वीकृत भू-राजस्व की राहत 55,309 रूपये थी ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (फरवरी 1984), तहसीलदार, राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) ने बताया (नवम्बर 1988) कि सरकार द्वारा 40 प्रतिशत से राहत पुनः स्वीकृत कर दी गयी (जुलाई 1985) ।

सरकार को मामला फरवरी 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

6.3. भूमि विकास-कर की गलत छूट

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर अधिनियम, 1972, 1385 फसली (पहली जुलाई 1977) से निरस्त कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पहली जुलाई 1977 से भूमि विकास-कर हेतु न तो कोई नई मांग उठायी जानी थी और न कोई छूट दी जानी थी ।

देवरिया जिले में 1385 फसली (जुलाई 1977 से जून 1978) से पूर्व की अवधि के दौरान निकाली गयी भूमि विकास-कर में छूट 1385 फसली की कृषीय आपदा के कारण राजस्व विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 42 (के.एच.)-85 एफ.(35)/78-313/78 दिनांक 19 मार्च 1986 में, गलती से दी गयी थी । गलती से स्वीकृत छूट 23,541 रूपये थी ।

लेखापरीक्षा में त्रुटि के इंगित किये जाने पर (अगस्त 1986) कलेक्टर भू-राजस्व संग्रह, देवरिया ने बताया (अगस्त 1986) कि तहसीलदार, पडरौना से पूछताछ करके उचित कार्यवाही की जायेगी । जुलाई 1987 में सरकार द्वारा कलेक्टर, देवरिया को भूमि विकास-कर में अनियमित रूप से दी गयी छूट की धनराशि को वसूल करने के लिये निर्देशित किया गया ।

6.4. संग्रह प्रभारों की वसूली न करना

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, के अनुसार राजस्व प्राधिकारियों से यह अपेक्षित

है कि वे अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी संगठनों तथा स्थानीय निकायों की ओर से सम्बन्धित प्राधिकारियों से वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर, देयों की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में करें। वसूल किये गये देयों के 10 प्रतिशत की दर से राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संग्रह प्रभार सेवा प्रभार के रूप में वसूल किये जाने हैं। राजस्व परिषद् ने अपने परिपत्र दिनांक 30 जून 1975 में निर्देशित किया था कि वसूली प्रमाण-पत्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिये कि संग्रह प्रभार की वसूली बकायादारों द्वारा वहन किया जाना है अथवा उन प्रमाण-पत्रों को जारी करने वाले विभाग द्वारा । वसूली प्रमाण-पत्र में कोई संकेत न होने पर परिषद् ने निर्देशित किया कि संग्रह प्रभार घटाने के बाद केवल निवल धनराशि का भुगतान सम्बन्धित विभाग अथवा निकाय को किया जाना होता है ।

बांसडीह (बलिया) और शिकोहाबाद (मैनपुरी) की दो तहसीलों में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान अर्द्ध सरकारी संगठनों तथा स्थानीय निकायों आदि की ओर से भू-राजस्व के बकायों की भांति राजस्व प्राधिकारियों द्वारा की गयीं वसूलियों के सम्बन्ध में संग्रह प्रभार की कटौती न तो किये गये संग्रहों से की गयी न ही ये प्रभार सम्बन्धित चूककर्ताओं से वसूल किये गये । चूक के फलस्वरूप 35,141 रूपयों का राजस्व वसूल होने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किये जाने पर (मई 1987 तथा अगस्त 1987), तहसीलदार, शिकोहाबाद (जिला मैनपुरी) ने बताया (अगस्त 1987) कि 2,090 रूपयों की वसूली कर ली गयी है । शिकोहाबाद से सम्बन्धित 16,678 रूपयों की शेष धनराशि की वसूली पर सूचना तथा तहसील बांसडीह (जिला बलिया) के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल-1989) ।

सरकार को मामले क्रमशः मई 1987 और अगस्त 1987 में सूचित किये गये; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

6.5. सेवा प्रभारों का जमा न किया जाना

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख के अन्तर्गत जहां गांव सभा में निहित कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त या अपयोजित हो जाती है, ऐसी भूमि की क्षति, अपयोजन अथवा गलत दखल हेतु क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में की जायेगी। इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि उक्त अधिनियम की धारा 124 के अनुसार समेकित गांव निधि को क्रेडिट की जानी थी । अपने परिपत्र दिनांक 17 जून 1975 में राजस्व परिषद् ने निर्देशित किया कि क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली का कार्य अमीनों को सुपुर्द किया जाना चाहिये, जिसमें से 10 प्रतिशत कोषागार में सेवा प्रभार के रूप में और शेष समेकित गांव निधि में जमा किया जाना था ।

पडरौना तहसील (जिला देवरिया) में 3.66 लाख रूपयों की क्षतिपूर्ति 1983-84 से 1985-86 वर्षों के दौरान वसूल की गयी थी, जिसमें से 36,590 रूपयों की धनराशि (क्षतिपूर्ति धनराशि का 10 प्रतिशत) घटाकर कोषागार में सेवा प्रभार के प्रति जमा की जानी अपेक्षित थी, किन्तु लेखापरीक्षा की तिथि (अक्तूबर 1986) तक ऐसा नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1986), तहसीलदार, पडरौना ने बताया (जुलाई 1988) कि कोषागार अधिकारी, देवरिया से अनुरोध किया गया है कि सेवा प्रभारों की धनराशि का समायोजन समेकित गांव निधि से सरकारी लेखे में कर दिया जावे ।

सरकार को मामला अगस्त 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियां

क–विद्युत शुल्क

7.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987–88 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये सहायक विद्युत निरीक्षकों/नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों के जांच-परीक्षण में 15 मामलों में 19.37 लाख रूपयों के विद्युत शुल्क और निरीक्षण फीस के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. विद्युत शुल्क/निरीक्षण फीस का भुगतान न किया जाना	12	4.52
2. विद्युत शुल्क का कम लगाया जाना	3	14.85
योग	**15**	**19.37**

कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

7.2. विद्युत शुल्क देयों का संचयन

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत लाइसेंसधारी, परिषद् राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोक्ता को बेची गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क लगाया जाता है और राज्य सरकार को उसका भुगतान किया जाता है । जहाँ ऊर्जा लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्तित अथवा उपभुक्त की जाती है, विद्युत शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा उस माह की समाप्ति के बाद, जिसमें मीटर रीडिंग अभिलिखित की जाती है, दो कलेण्डर माह के अन्दर कर दिया जाना है । जहां विद्युत शुल्क की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है, लाइसेंसधारी भुगतान न की गई विद्युत शुल्क की धनराशि पर, जब तक कि उसका भुगतान नहीं कर दिया जाता, 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का उत्तरदायी होगा ।

यह देखा गया (सितम्बर 1986) कि भारतीय उर्वरक निगम (गोरखपुर इकाई), राज्य सरकार के एक लाइसेंसधारक ने वित्तीय दबावों के कारण दिसम्बर 1985 से जून 1986 की अवधि हेतु अपने द्वारा उपभुक्त तथा अपने उपभोक्ताओं को आपूर्तित ऊर्जा पर 1.07 करोड़ रूपयों के विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया । बाद की जांच (अगस्त 1987) पर यह पता चला कि मार्च 1987 के अन्त में नवम्बर 1986 से जनवरी 1987 माह को छोड़कर जिनके हेतु भुगतान नियत तिथियों पर कर दिये

गये थे। विद्युत शुल्क की भुगतान न की गयी धनराशि 2.03 करोड़ रूपये हो गयी । उपरोक्त बकायों की धनराशि में से फरवरी 1986 और जून 1986 माह की धनराशियों के भुगतान इतने विलम्ब से किये गये कि वे भुगतान क्रमशः मई 1987 तथा जुलाई 1987 में हुये ।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, नियत तिथियों पर विद्युत शुल्क का भुगतान न करने के लिये लाइसेंस धारक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी देनदार हो गया, जो, 31 जुलाई 1987 तक आंकलित करने पर, 34.44 लाख रूपये बना ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (अक्तूबर 1986 तथा अगस्त 1987) विभाग ने तथ्यों की पुष्टि कर दी (नवम्बर 1987)। विद्युत शुल्क और ब्याज की वसूली हेतु विभाग द्वारा उठाये गये कदम यदि कोई थे, सूचित नहीं किये गये (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

7.3. विद्युत शुल्क का कम लगाया जाना

सरकारी अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर 1986 के अनुसार, विद्युत शुल्क मध्यम, उच्च अथवा अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पर, जहां उपभोक्ता के परिसर में अनुबन्धित भार 75 किलोवाट (100 बी.एच.पी.) से अधिक है, औद्योगिक अथवा प्रेरक

शक्ति प्रयोजनार्थ उपभोक्ता को बेची गयी ऊर्जा पर 6 पैसे प्रति यूनिट की दर से और, जहां ऊर्जा राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त होती है अथवा राज्य सरकार को उसके द्वारा उपभोग हेतु बेची जाती है, 3 पैसे प्रति यूनिट की दर से देय है ।

मिर्जापुर में एक लाइसेंसधारक (उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड की इकाई) ने जनवरी 1987 से जुलाई 1987 के दौरान औद्योगिक प्रयोजनार्थ 4,62,55,235 यूनिट ऊर्जा का उपभोग किया और विद्युत शुल्क 6 पैसे प्रति यूनिट की सही दर की अपेक्षा 3 पैसे प्रति यूनिट की दर से जमा किया । शुल्क की गलत दर लगाने के फलस्वरूप 13.88 लाख रूपयों के शुल्क की कम वसूली हुयी ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1987), फैक्टरी मैनेजर ने बताया (नवम्बर 1987) कि सितम्बर 1987 से औद्योगिक उपभोग हेतु विद्युत शुल्क 6 पैसे प्रति यूनिट की सही दर से जमा की जायेगी । अन्तरीय शुल्क और उस पर (2.50 लाख रूपये प्रति वर्ष की दर से) देय ब्याज के भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा गया ।

विभाग को मामला अक्तूबर 1987 में और सरकार को फरवरी 1988 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

ख – गन्ने के क्रय पर कर

7.4, लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987–88 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये चीनी मिलों और खाण्डसारी इकाईयों के लेखों और सम्बद्ध अभिलेखों के जांच–परीक्षण में 23 मामलों में 4.01 लाख रूपयों के गन्ने के क्रय पर कर के न लगाये जाने/कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. क्रय कर का भुगतान किये बिना चीनी की निकासी	19	3.23
2. ब्याज और अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना	1	0.25
3. नियमों के अनुपालन न किये जाने के कारण कम निर्धारण	2	0.48
4. अन्य अनियमिततायें	1	0.05
योग	**23**	**4.01**

एक महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तर में किया गया है ।

7.5. क्रय-कर का भुगतान किये बिना चीनी का निष्कासन

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत कोई चीनी मिल मालिक मिल में उत्पादित कोई भी चीनी, चाहे वह घर के उपभोग हेतु हो अथवा विक्रय हेतु अथवा मिल के अन्दर या बाहर किसी अन्य वस्तु के निर्माण हेतु हो, तब तक नहीं हटायेगा जब तक कि उसने चीनी के निर्माण में उपभुक्त गन्ने की खरीद पर लगने वाले कर का भुगतान न कर दिया हो । इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर मालिक, देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में एक और धनराशि इस प्रकार देय धनराशि का एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं, के भुगतान का उत्तरदायी होगा ।

फर्रूखाबाद जिले में एक चीनी मिल ने 1985-86 मौसम के दौरान 8.02 लाख कुन्तल गन्ना खरीदा । उक्त मौसम के दौरान उत्पादित चीनी की कुल मात्रा पर 10,02,838 रूपयों के क्रय-कर (1.25 रूपये प्रति कुन्तल गन्ना की दर से) का भुगतान किया जाना था । यह देखा गया कि 1985-86 मौसम के दौरान उत्पादित समस्त चीनी (मार्च 1987 तक) हटा दी गयी जिसके विरूद्ध केवल 9,52,925 रूपयों के क्रय-कर का भुगतान किया गया । इस प्रकार, 49,913 रूपयों तक के क्रय-कर की वसूली कम हुयी ।

लेखापरीक्षा में अनियमितता के इंगित किये जाने पर (मई 1987) विभाग ने बताया (अप्रैल 1989) कि कम प्राप्त

किया गया कर अर्थदण्ड समेत वसूल करके कोषागार में दिनांक 30 जनवरी 1989 को जमा किया जा चुका है ।

सरकार को मामला मई 1987 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

ग – मनोरंजन एवं पणन कर

7.6. मनोरंजन-कर की कम वसूली के कारण राजस्व की हानि

सरकारी अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर 1983 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सिनेमा (नियमन) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वीडियो प्रदर्शन "भीतरी सिनेमा" की भांति वर्गीकृत किये गये हैं । तद्नुसार, अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 1981 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मनोरंजन एवं पणन कर अधिनियम, 1979 की धारा 4(1) में जैसा प्रावधानित है, एकमुश्त कर, अग्रिम में सार्वजनिक विडियो मालिकों से निम्न प्रकार प्रभार्य है:

(I)	10,000 तक की जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्र में	:	1,000 रूपया प्रति सप्ताह
(II)	10,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्र में	:	2,000 रूपया प्रति सप्ताह

जहां तक सप्ताह में प्रदर्शन की संख्या वस्तुतः 14 से कम होती है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कर में छूट प्रत्येक प्रदर्शन के

लिये साप्ताहिक कर की धनराशि के चौदहवें भाग की दर से, जितने प्रदर्शन सप्ताह में चौदह से कम होते हैं, पर दी जाती है ।

गोपेश्वर (जिला चमोली) में 19 सार्वजनिक वीडियो मालिकों को दिसम्बर 1983 और जुलाई 1987 के बीच विभिन्न अवधियों में वीडियो प्रदर्शन जनता को दिखलाने के लिये लाइसेंस दिये गये थे ।

यह देखा गया कि उक्त अवधि में 962 सप्ताहों में जिनके लिये उनको लाइसेंस दिये गये थे, आरोपणीय मनोरंजन कर 9.62 लाख रूपये के विरूद्ध कर 1.87 लाख रूपये वसूल किया गया था । इसके परिणामस्वरूप राजस्व 7.75 लाख रूपये कम वसूल हुआ । जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है, कम जमा को रोकने और उसे मालिकों की सिक्योरिटी डिपाजिट से वसूल करने में विभाग असफल रहा ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (जून 1987), विभाग ने बताया (सितम्बर 1988) कि कर में 40,929 रूपयों की छूट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सप्ताह में 14 से कम प्रदर्शन के लिये प्रदान की गयी थी और यह कि शेष धनराशि (7.34 लाख रूपये) की वसूली हेतु नोटिसें जारी कर दी गयी हैं ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

अध्याय 8

वन विभाग

वन प्राप्तियां

8.1- लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987-88 के दौरान आडिट द्वारा प्रभागीय अभिलेखों की जांच-परीक्षा के दौरान 187 मामलों में 553 लाख रूपये के राजस्व की अनियमिततायें देखीं गयीं, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. तेंदू पत्तों के संग्रह तथा विक्रय में अनियमिततायें	4	181.87
2. अर्थदण्डों का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	6	93.25
3. लीसा निकालने में अनियमिततायें	18	77.84
4 रायल्टी का गलत निर्धारण	7	33.39
5. विविध	102	166.65
योग	**137**	**553.00**

वर्ष 1987-88 तथा पूर्व वर्षों की अवधि में देखे गये कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

8.2. रायल्टी का गलत निर्धारण

(क) सितम्बर 1977 के सरकारी आदेशों के सन्दर्भ में 1981-82 में बिजनौर प्लान्टेशन प्रभाग, कोटद्वार से उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित गन्धसफेदा (यूकलिप्टस) लकड़ी हेतु रायल्टी की दर 201 रूपये प्रति घन मीटर निर्धारित की गयी थी, जो अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (व्यवस्था) द्वारा जून 1978 में निर्धारित व्यास वर्ग आयतन सारणियों पर आकलित मात्रा से 1980-81 में प्राप्त कुल विक्रय मूल्य को विभाजित कर के निकाली गयी थी। वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में किये गये आवंटनों के लिये उपरोक्त दर, बाजार की चढ़ती हुयी गतिविधि को ध्यान में रखते हुये सितम्बर 1983 के सरकारी आदेशों के अनुसार निम्नवत् बढ़ा दी गयी थी:

वर्ष के दौरान आवंटन	दर प्रति घन मीटर (रूपये)	उसके निर्धारण की तिथि
1982-83	241	11.9.1984
1983-84	313	11.9.1984
1984-85	335	20.1.1986
1985-86	400	28.10.1986

वर्ष 1983-84 और उसके बाद के वर्षों में निगम को आबंटित गंधसफेदा लाटों के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (व्यवस्था) ने फरवरी 1985 में व्यास वर्ग आयतन सारणियों के प्रयोग की जगह, पुरानी सारणियों पर आधारित वर्ष 1981-82 के लिये दर को उपयुक्त रूप से संशोधित

किये बिना अथवा रायल्टी निर्धारण समिति या सरकार को मामला सन्दर्भित किये बिना, गुण वर्ग आयतन सारणियों का प्रयोग रख दिया ।

अगस्त 1986 में बिजनौर प्लान्टेशन प्रभाग, कोटद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नई सारणियां प्रयोग क के निगम को आंबटित गन्धासफेदा लगड़ी की अनुमानित मात्रा पुरानी सारणियों पर अनुमानित मात्रा से कम निकली। इस प्रकार 1981-82 के लिये 201 रूपये प्रति घन मीटर की दर (जिसके आधार पर 1982-83 से 1985-86 तक दरें निर्धारित की गयी थी) को उपुयक्त रूप से संशोधित किये बिना आवंटित लकड़ी की मात्रा के अनुमानार्थ नई सारणियों के प्रयोग के फलस्वरूप, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, 1983-84 और 1985-86 के बीच 333.58 लाख रूपयों की रायल्टी की कम वसूली हुई:

वर्ष	लकड़ी की अनुमानित मात्रा (घनमीटर)		दर प्रतिघन मीटर (रूपये)	वसूली योग्य रायल्टी हेतु		रायल्टी की कम वसूली
	पुरानी सारणियों के आधार पर	नई सारणियों के आधार पर		पुरानी सारणियों पर आधारित मात्रा	नई सारणियों पर आधारित मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(लाख रूपयों में)	
1983-84	138738	96134	313	434.25	300.90	133.35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(लाख रूपयों में)	
1984 -85	135413	106141	335	453.63	355.57	98.06
1985 -86	156897	131355	400	627.59	525.42	102.17
योग	**431048**	**333630**		**1515.47**	**1181.89**	**333.58**

एक अन्य प्रभाग, तराई पश्चिम वन प्रभाग, रामनगर, में गुर्ण वर्ग आयतन सारणियां 1985-86 से अपनायी गयीं जिससे 1985-86 में 40.86 लाख रूपयों की रायल्टी की कम वसूली हुई।

मुख्य अरण्यपाल (व्यवस्था) ने बतलाया (जनवरी 1989) कि नई सारणी पर अनुमानित मात्रा वास्तविक मात्रा के समीप थी तथा निगम सरकार का एक उपक्रम होने से लाभ अथवा हानि का कोई प्रश्न न था। आगे यह कहा गया कि व्यास वर्ग आयतन सारणी पर आधारित वर्ष 1980-81 में निर्धारित दरें 1984 में संशोधित नहीं की जा सकी क्योंकि पेड़ काटे जा चुके थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम एक वाणिज्य उपक्रम होने से दरों के पुनर्निर्धारण होने के फलस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुयी । वर्ष 1980-81 के लिये वास्तविक माप होने के अभाव में अनुवर्ती वर्षों में औसत अनुपातिक परिवर्तनों को दरों के पुनर्निर्धारण के लिये अपनाया जाना चाहिये था ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1986 और जनवरी 1987 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

8.3. रायल्टी की कम वसूली

(क) सितम्बर 1977 के सरकारी आदेशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा देय रायल्टी, जहां निगम सम्पूर्ण प्रभाग में कार्य कर रहा था, उन मामलों में खुले नीलाम में प्राप्त गत तीन प्रत्येक वर्षों के भारित रायल्टी के आंकड़ों का साधारण औसत परिकलित कर के निर्धारित की जानी चाहिये थी ।

उत्तर गोरखपुर वन प्रभाग में निगम ने वर्ष 1982-83 से कार्य करना प्रारम्भ किया और उस वर्ष के दौरान उसे आवंटित 18,510 घन मीटर में से विभिन्न वर्ग की 16,130.847 घन मीटर लकड़ी वाले लाटों पर कार्य किया । उपरोक्त सरकारी आदेशों के अनुसार देय रायल्टी 212.48 लाख रूपये बनी परन्तु 1982-83 के पूर्व तीन वर्षों में प्राप्त रायल्टी की दर में ईंधन चट्टों और साल बल्लियों का मूल्य शामिल न करने के कारण केवल 153.36 लाख रूपयों की मांग की गयी। इसके फलस्वरूप 59.12 लाख रूपयों की रायल्टी की कम वसूली हुयी ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (मई 1986) विभाग ने अप्रैल 1989 में बताया कि कम प्राप्त हुई सम्पूर्ण धनराशि जनवरी 1989 में निगम से वसूल की जा चुकी है।

मई 1988 में विभाग ने बताया कि चट्टों और साल बल्लियों की संशोधित दरें मुख्य अरण्यपाल (व्यवस्था), उत्तर प्रदेश, नैनीताल को अनुमोदनार्थ भेज दी गयी थीं जिनके निर्णय की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला मई 1986 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ख) सितम्बर 1978 के सरकारी आदेशों के अनुसार, यदि कोई वन लाट उत्तर प्रदेश वन निगम को आंबटित किया जाता है और लाट में कार्य आबंटन वर्ष में नहीं प्रारम्भ किया जाता है, तो रायल्टी उस वर्ष को लागू दरों पर प्रभारित की जायेगी जिसमें कार्य वस्तुतः किया जाता है। वन निगम को भी लागू तेहरी गढ़वाल सर्किल के विक्रय नियमों के अनुसार, 1983-84 के चीड़ लाटों की कार्य अवधि 30 जून 1984 तक थी ।

यमुना वन प्रभाग, मसूरी में 12,608.671 घन मीटर चीड़ लकड़ी वाले लाट संख्या 49 से 116/83-84 वन निगम को कार्य करने हेतु जून 1984 में आबंटित किये गये थे । किसी भी लाट में कार्य 30 जून 1984 तक आरम्भ नहीं किया गया बल्कि सितम्बर 1984 से मार्च 1985 के दौरान किया गया जिसके लिये 1984-85 हेतु निर्धारित 453 रूपये प्रति घन मीटर की दर से 57.12 लाख रूपयों की रायल्टी प्रभार्य थी। परन्तु प्रभाग ने 1983-84 हेतु निर्धारित 340 रूपये प्रति घन मीटर की दर से केवल 42.87 लाख रूपये प्रभारित किया । इसके फलस्वरूप

14.25 लाख रूपयों की रायल्टी की कम वसूली हुयी ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1987 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(ग) (1) रायल्टी निर्धारण समिति ने जनवरी 1986 में संस्तुति की कि 1983-84 हेतु उत्तर प्रदेश वन निगम को आबंटित शिवालिक सर्किल की भाभर घास पर रायल्टी 1982-83 हेतु अपनाये गये उसी सिद्धान्त पर निर्धारित की जानी चाहिये (अर्थात्, विगत तीन वर्षों का औसत) तथा वर्ष 1984-85 हेतु 1983-84 की अन्तिम रायल्टी में 11 प्रतिशत जोड़कर, जो मुख्य अरण्यपाल (व्यवस्था) द्वारा 20 जनवरी 1986 को स्वीकार कर दी गयी ।

शिवालिक वन प्रभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा (मार्च 1986) के दौरान यह देखा गया कि 1983-84 के दौरान वन निगम को आबंटित भाभर घास के 24 लाटों के सम्बन्ध में रायल्टी गत तीन वर्षों की रायल्टी के औसत के आधार पर 21.17 लाख रूपये बनती है। परन्तु प्रभाग ने 1982-83 हेतु निर्धारित रायल्टी की वही दर 1983-84 हेतु अपना कर केवल 20.11 लाख रूपये वसूल किये । 1983-84 हेतु देय रायल्टी पर 11 प्रतिशत जोड़कर 1984-85 के दौरान आबंटित भाभर घास के 27 लाटों की रायल्टी विभाग द्वारा वसूल किये गये 24.28 लाख रूपयों के विपरीत 25.44 लाख रूपये बनती थी ।

वर्ष 1985-86 हेतु रायल्टी निर्धारण समिति ने अक्तूबर 1986 में संस्तुति की कि भाभर घास पर रायल्टी

1984-85 की अन्तिम रायल्टी पर 6.44 प्रतिशत जोड़कर निर्धारित की जाये। परन्तु लेखापरीक्षा (अप्रैल 1988) में यह देखा गया कि 1985-86 के दौरान निगम को आबंटित भाभर घास के 28 लाटों पर रायल्टी के रूप में निगम से वसूल होने वाले 28.08 लाख रूपयों के विपरीत प्रभाग ने केवल 25.83 लाख रूपये वसूल किये ।

1983-84 से 1985-86 के तीन वर्षों हेतु कुल कम वसूल की गयी रायल्टी 4.47 लाख रूपये हुयी ।

(II) पुनः इसी प्रभाग में 5 लाट (1983-84 में 4 तथा 1984-85 में 1) न तो निगम को आबंटित किये गये न ही इन पर किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से विभागीय स्तर पर कार्य करवाया गया । कार्य न करवाये जाने के कोई कारण नहीं बताये गये । इसके फलस्वरूप 3.54 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुयी ।

सरकार को उपरोक्त मामले सितम्बर 1986 में तथा जून 1988 में सूचित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

8.4. विलम्ब शुल्क का न लगाया जाना /वसूल न किया जाना

सितम्बर 1978 के सरकारी आदेशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश वन निगम से अपेक्षित था कि वह निर्दिष्ट तिथियों तक रायल्टी की किस्तें जमा कर दिया करे और, चूक के मामले में,

30 दिनों से अधिक परन्तु 60 दिनों से अधिक नहीं के विलम्ब हेतु 2 पैसे प्रति 100 रूपये प्रति दिन से तथा 60 दिनो से अधिक विलम्ब हेतु 5 पैसे प्रति 100 रूपये प्रति दिन से विलम्ब शुल्क का भुगतान करे ।

1984-85 हेतु राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 8.4.3 में पांच वन प्रभागों (रेणूकूट, पश्चिम मिर्जापुर, ओबरा, वाराणसी, और झाँसी) में तेंदू पत्तों के सम्बन्ध में रायल्टी की किस्तें जमा करने में हुये विलम्ब हेतु 15.05 लाख रूपयों के विलम्ब शुल्क के न लगाये जाने / वसूल न किये जाने के बारे में उल्लेख किया गया था । रायल्टी के भुगतान के उसी प्रकार के विलम्ब, जैसा नीचे दिये हैं, अन्य चार प्रभागों में देखे गये जिनमें 47.32 लाख रूपयों का विलम्ब शुल्क न लगाया जाना निहित था:

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	वर्ष	किस्तें जमा करने में विलम्ब (दिनों की संख्या)	न लगाये गये /वसूल न किये गये विलम्ब शुल्क की धनराशि (लाख रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दक्षिण पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत	1982-83	37 से 757	3.90
		1983-84	50 से 142	5.34
			योग	9.29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	दक्षिण खीरी वन प्रभाग, लखीमपुर खीरी	1983-84	92 से 455	5.10
		1984-85	90 से 111	1.03
			योग	**6.13**
3.	उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा	1982-83	43 से 170	1.69
		1983-84	40 से 392	19.52
		1984-85	118 से 540	3.38
			योग	**24.59**
4.	तराई पश्चिम वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल	1983-84	97 से 189	6.07
		1984-85	120 से 121	0.66
		1985-86	119 से 121	0.58
			योग	**7.31**
			कुल योग	**47.32**

दिसम्बर 1985, अगस्त 1987 तथा दिसम्बर 1987 में लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने फरवरी/मार्च 1988 में बताया कि दक्षिण पीलीभीत के सम्बन्ध में फरवरी 1986 में और दक्षिण खीरी के सम्बन्ध में मई 1987 में मांग निकाल दी गयी है तथा अन्य दो प्रभागों (उत्तर गोण्डा तथा तराई पश्चिम) के सम्बन्ध में विलम्ब शुल्क वसूल करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

सरकार को मामले मई 1986 और दिसम्बर 1987 के बीच सूचित किये गये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

8.5. लीसा के विक्रय मूल्य की कम वसूली

प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने मार्च 1985 में मेसर्स इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली को 1984-85 वर्ष की फसल में से 15,000 कुन्तल लीसे का अतिरिक्त आबंटन 715 रूपये प्रति कुन्तल की दर से किया जिस दर परउस वर्ष हेतु लीसे का नियमित आबंटन किया गया था। कम्पनी को अतिरिक्त लीसे का आबंटन सरकार द्वारा मार्च 1986 में अनुमोदित किया गया था ।

यमुना सर्किल, देहरादून और गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई और जून 1988) कि 15,000 कुन्तल के उपरोक्त अतिरिक्त आबंटन के विरूद्ध विभाग ने कम्पनी को 11,721 कुन्तल (1985-86 के दौरान 10,150 कुन्तल तथा 1986-87 में 1,571 कुन्तल) लीसे की आपूर्ति की । 1985-86 के दौरान आपूर्तित लीसे के सम्बन्ध में विक्रय मूल्य 1984-85 हेतु निर्धारित 715 रूपये प्रति कुन्तल की दर से वसूल किया गया (1985-86 फसल में से आपूर्ति हेतु निर्धारित दर 800 रूपये प्रति कुन्तल थी) जबकि 1986-87 के दौरान आपूर्तित 1,571 कुन्तल का विक्रय मूल्य 600 रूपये प्रति कुन्तल की दर जो दर 1986-87 की फसल में से विक्रय हेतु निर्धारित थी में से वसूल किया गया, चूँकि 1986-87 फसल में से 29,608 कुन्तल का वचनबद्ध आबंटन कम्पनी को विभाग द्वारा पूर्ण रूप से आपूर्त किया गया था, 1984-85 फसल में से

1,571 कुन्तल की आपूर्तियां 715 रूपये प्रति कुन्तल की दर के बजाय 600 रूपये प्रति कुन्तल की दर से प्रभारित करना अनियमित था और जिसके फलस्वरूप विक्रय मूल्य 1.81 लाख रूपयों की कम वसूली हुयी ।

सरकार को मामला जुलाई 1988 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

8.6. पट्टा किराये की कम वसूली

(क) 24 जुलाई 1976 को सरकार द्वारा जारी आदेशों के सन्दर्भ में दक्षिण खीरी वन प्रभाग द्वारा जुलाई 1976 से पट्टा किराये की दर 250 रूपये प्रति एकड़ से संशोधित करके 500 रूपये प्रति एकड़ कर दी गयी थी ।

मार्च 1988 में उक्त प्रभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि प्रभाग ने उत्तर प्रदेश वन निगम से विक्रय डिपो हेतु दखल में रखी 217.90 हेक्टेयर वन भूमि के सम्बन्ध में 1975-76 से 500 रूपये प्रति एकड़ के बजाय 500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से पट्टा किराया वसूल किया था । इसके फलस्वरूप 1985-86 तक 1.58 लाख रूपयों के पट्टा किराये की कम वसूली हुयी ।

मार्च 1988 में लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर प्रभाग ने बताया (मार्च 1988) कि मामला निगम को सन्दर्भित किया जायेगा। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गयी है (अप्रैल 1989) ।

(ख) उसी प्रभाग में, 19.36 एकड़ और 7.77 एकड़ वाले दो भूखण्ड एक निजी चीनी मिल को पट्टे पर क्रमशः जुलाई 1936 और दिसम्बर 1951 में दिये गये थे। अप्रैल 1980 के सरकारी आदेशों के अनुसार 19.36 एकड़ वाले भूखण्ड के सम्बन्ध में जनवरी 1966 से तथा अन्य भूखण्ड हेतु जनवरी 1972 से, भूमि के बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम तथा उसका 10 प्रतिशत वार्षिक किराये के रूप में, मिल से वसूली योग्य थे । जिला राजस्व प्राधिकारियों द्वारा सूचित भूमि की बाजार दरों के आधार पर, दिसम्बर 1987 तक प्रीमियम के रूप में 0.31 लाख रूपये और वार्षिक किराये के रूप में 0.59 लाख रूपये मिल से वसूल होने थे । किन्तु वसूली योग्य 0.90 लाख रूपयों के विपरीत मिल से केवल 0.09 लाख रूपये किराये के रूप में वसूल किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप 0.81 लाख रूपयों की कम वसूली हुयी ।

मार्च 1988 में लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया कि वसूली हेतु कार्यवाही उच्चतर प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके की जायेगी । आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला अप्रैल 1988 में सूचित किया गया उनका उततर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

8.7. लापता रेलवे स्लीपरों की कीमत वसूल करने में विफलता

वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा रेलवे को स्लीपरों की आपूर्ति के नियमों के अन्तर्गत उनको 90 प्रतिशत भुगतान विभाग द्वारा स्लीपरों के पास किये जाने पर और 10 प्रतिशत प्रेषण के पश्चात् करना था परन्तु प्रेषण पूर्व अनुबन्ध की शर्त (6) के अनुसार, स्लीपरों की हानि अथवा चोरी, यदि कोई होती है, की जिम्मेदारी ठेकेदारों की थी ।

तराई पश्चिम वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल) में विभाग द्वारा 1977 और 1982 के बीच अनुमोदित 27,896 स्लीपरों में से रेलवे को केवल 24,773 स्लीपर प्रेषित किये गये थे। 3.29 लाख रूपये मूल्य के शेष 3,123 स्लीपर (117.48 घन मीटर) जिनके लिये 2.96 लाख रूपयों (3.29 लाख रूपयों का 90 प्रतिशत) का भुगतान पहले ही 119 ठेकेदारों को कर दिया गया था, लापता पाये गये। किन्तु लापता स्लीपरों के सम्बन्ध में ठेकेदारो को भुगतान कर दी गयी धनराशि उनसे वसूल नहीं की गयी, यद्यपि स्लीपरों के प्रेषण में कमी प्रभाग को अगस्त 1985 में पता चल गयी थी ।

अक्तूबर 1986 में लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर, प्रभाग ने जून 1988 में सूचित किया कि सम्बन्धित

जिला प्राधिकारियों के माध्यम से भू-राजस्व के बकायों के रूप में धनराशि वसूल करने की कार्यवाही कर ली गयी है ।

सरकार को मामला जनवरी 1987 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

8.8. वित्तीय नियमावली के अनुसरण न करने से फीस का गबन

वित्तीय नियमावली के अनुसार, समस्त वसूल किया गया राजस्व जहां सम्भव हो कम से कम विलम्ब से कोषागार अथवा बैंक में जमा कर देना चाहिये ।

उत्तर गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर में निचलौल रेंज के रेंज अधिकारी ने, जो प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अभिवहन पास जारी करने के लिये अधिकृत था, मार्च तथा अक्तूबर 1987 के बीच अभिवहन फीस 0.59 लाख रूपये वसूल किया परन्तु रेंज कैश बुक में उसे दर्ज नहीं किया न ही धनराशि कोषागार में जमा किया । अभिवहन पासों के प्रतिपर्ण (काउण्टरफ्वायल) भी उनके द्वारा प्रभागीय कार्यालय को वापस नहीं किये गये। प्रतिपर्ण प्राप्त करने और वसूल की गयी धनराशि प्रभाग द्वारा प्रतिपर्णों को प्राप्त करने तथा प्राप्त धनराशि के लेखा को सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिसम्बर 1987 तक, जब कि मामला विभाग द्वारा पुलिस को सूचित किया गया, राजस्व के गबन का पता नहीं चला । सम्बन्धित रेंज

अधिकारी, जिन्हें जनवरी 1988 में सेवानिवृत्त होना था, 21 दिसम्बर 1987 से लापता बताया गया । उन्हें जनवरी 1988 में निलम्बित कर दिया गया ।

निर्धारित नियमावली / प्रक्रिया के अनुसरण में विफलता सरकार को मई 1988 में सूचित की गयी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियां

क – सिंचाई विभाग

9.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987-88 के दौरान लेखापरीक्षा में तीस सिंचाई खण्डों के लेखे तथा अभिलेखों के जांच-परीक्षण से 101 मामलों में 105.00 लाख रूपयों के राजस्व निहित अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	44	10.72
2. नहर के जल का अनधिकृत उपयोग	5	8.29
3. कर्मचारियों से किराये का वसूल न किया जाना	5	3.72
4. पूर्व-संशोधित दरों पर निविदा फार्मों की बिक्री के कारण हानि	5	0.21
5. ठेकेदारों से बिक्री-कर का वसूल न किया जाना	7	4.71
6. अन्य मामले	35	77.35
योग	**101**	**105.00**

1987-88 तथा पूर्व वर्षों के दौरान देखे गये कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

9.2. नहर के जल के अनधिकृत उपयोग हेतु दण्डात्मक प्रभारों का न लगाया जाना

सिंचाई विभाग की आदेश पुस्तिका के साथ पठित उत्तरी भारत नहर और जलनिकास अधिनियम, 1873 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत नहर के जल की बर्बादी अथवा दुरूपयोग के लिये दण्डात्मक प्रभार लगाये जाने का प्रावधान है । फिर भी, किसी मामले में दण्डात्मक प्रभार की उगाही के आदेश करने के पूर्व, खण्डीय अधिकारी को स्वयं इस बात की सन्तुष्टि कर लेनी चाहिये कि मामले की जांच एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा, जो जिलेदार के पद से छोटा न हो, तत्काल कर ली गयी है । इस प्रकार लगाये गये दण्डात्मक प्रभारों को भी दखलदार की दर के निर्धारण की भांति माना जाना भी होता है और राजस्व विभाग द्वारा भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली हेतु जमाबन्दी में शामिल किया जाना होता है ।

आठ सिंचाई खण्डों में नहर के जल के दुरूपयोग के 4,426 मामले सितम्बर 1983 तथा दिसम्बर 1987 के बीच सूचित किये गये थे जिनमें 16,510.14 एकड़ भूमि की अनधिकृत सिंचाई की गयी थी । इस सम्बन्ध में विभागीय अनुदेशों के बावजूद इन मामलों को, जिनमें 17.57 लाख रूपयों का दण्डात्मक प्रभार निहित था, जांच करके लेखापरीक्षा की तिथि तक निपटाया नहीं गया था ।

मामलेा की जांच में विलम्ब की सूचना विभाग को नवम्बर 1985 और मार्च 1988 के बीच तथा सरकार को मई 1988 में दी गयी थी; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल-1989) ।

9.3 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना

14 जनवरी 1982 को जारी एक अधिसूचना द्वारा सरकार ने सरकारी कार्यों हेतु निष्पादित अनुबन्धों / ठेका बाण्डों पर स्टाम्प शुल्क लगाये जाने से दी गयी छूट वापस ले ली । अत: 20 जनवरी 1982 से सभी प्रकार के अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क देय हो गया । भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश को लागू होने हेतु यथा संशोधित) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 5(ग) के अनुसार अनुबन्ध विलेख पर 5 रूपये का स्टाम्प शुल्क (15 जून 1982 से बढ़ाकर 6 रूपये कर दिया गया) प्रभार्य है।

सत्रह सिंचाई खण्डों में, 20 जनवरी 1982 और अक्तूबर 1987 के बीच निष्पादित 46,353 अनुबन्धों पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया । इसके फलस्वरूप 2.74 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा में (जून 1986 और नवम्बर 1987 के बीच), इसके इंगित किये जाने पर, खण्डीय अधिकारियों ने बताया कि ऐसा कोई आदेश खण्डों में प्राप्त नहीं हुआ है ।

विभाग को ये मामले जुलाई 1986 और दिसम्बर 1987 के बीच तथा सरकार को मई 1988 में सूचित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

9.4. पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का न लगाया जाना

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 26 अक्तूबर 1953 में स्पष्ट किया था कि नीलाम द्वारा दिये गये नौका सेवाओं, मछुवाही अधिकारों तथा बाजार के लिये पट्टों पर स्टाम्प शुल्क, पट्टे की अवधि में देय सम्पूर्ण धनराशि को "प्रीमियम" मानते हुये, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35(ख) के अन्तर्गत प्रभार्य है ।

तीन सिंचाई खण्डों (एटा, रामपुर तथा अलीगढ़) में 1968-69 और 1987-88 के बीच विभिन्न अवधियों के लिये मछुवाही अधिकारों के 135 पट्टा विलेख खण्डीय अधिकारियों द्वारा पट्टाधारियों के साथ निष्पादित किये गये थे परन्तु इन पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया । पट्टा विलेखों में दर्शायी गयी धनराशियों (अर्थात्, प्रीमियम) के आधार पर देय स्टाम्प शुल्क 74,079 रूपये बनता था ।

विभाग को ये मामले मई 1987 और मार्च 1988 के बीच तथा सरकार को मई 1988 में सूचित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

9.5. वन निगम द्वारा अनधिकृत रूप से रायल्टी रोक रखने के कारण राजस्व की हानि

सिंचाई विभाग के बनबसा नहर वनों (1,700 एकड़) के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अप्रैल 1934 में की गयी व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र के वृक्षों तथा अन्य वन उपज की बिक्री का प्रबन्ध वन विभाग द्वारा किया जाना था और ऐसी बिक्रियों हेतु अनुबन्ध सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को औपचारिक स्वीकृति, हस्ताक्षर और उनके कार्यालय में अभिलेख हेतु भेजे जाने थे । सिक्युरिटी जमा और बाद की क्रय धनराशि हेतु सभी भुगतान सीधे सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को जिसके पास इन वनों का कुल कार्यकारी प्रभार था, किये जाने थे, तथा ऐसी सभी धनराशियां सीधे सिंचाई विभाग के राजस्व लेखे में जमा की जानी थीं ।

हेडवर्क्स खण्ड, शारदा नहर, बरेली की लेखापरीक्षा (अगस्त 1986) के दौरान यह देखा गया कि उक्त व्यवस्था के विपरीत राजस्व का संग्रह प्रारम्भ से ही वन विभाग पर छोड़ दिया गया था तथा इस प्रकार संग्रहीत धनराशि वन निगम द्वारा सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाती थी और यह व्यवस्था 1978-79 तक चलती रही ।

1978-79 में वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षों के अन्तिम नीलाम के दौरान 1.75 लाख रूपयों की उच्चतम बोली प्राप्त हुयी थी । परन्तु उसी क्षेत्र से 1976-77 में नीलाम में

3.83 लाख रूपये और 1977-78 में 3.33 लाख रूपये मिले थे। उसके बाद से वन विभाग को रायल्टी के भुगतान के आधार पर प्रत्येक वर्ष बनबसा नहर के वन उपज की बिक्रियां वन निगम, पीलीभीत को आबंटित की जाती रहीं । समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार 1978-79 से 1987-88 की अवधि हेतु वन निगम पीलीभीत द्वारा देय रायल्टी की धनराशि लगभग 39.72 लाख रूपये निकलती थी । इसके समक्ष उनके द्वारा वन विभाग को मात्र 8.55 लाख रूपयों का भुगतान किया गया था जिसमें से वन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को केवल 1,750 रूपये हस्तान्तरित किये गये थे ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (अगस्त 1986), अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, बरेली ने बताया (जुलाई 1988) कि बनबसा नहर के वनों से 1979-80 से वन विभाग द्वारा वसूल किये गये राजस्व की सूचना वन विभाग से प्रतीक्षित है और यह धनराशि वसूल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

सरकार को यह मामला जुलाई 1987 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

ख – सार्वजनिक निर्माण विभाग

9.6. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987–88 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये 21 सार्वजनिक निर्माण प्रखण्डों के लेखे और अभिलेखों के जांच परीक्षण से 56 मामलों में 21.44 लाख रूपयों के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. पूर्व संशोधित दरों पर निविदा फार्मों की बिक्री	13	1.74
2. स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना/ कम वसूल किया जाना	19	8.90
3. किराये का वसूल न किया जाना	8	2.73
4. अन्य मामले	16	8.07
योग	**56**	**21.44**

वर्ष 1987–88 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9.7. पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लगने हेतु यथा संशोधित) की अपुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35(ख) के प्रावधानों तथा अक्तूबर 1953 में राजस्व परिषद द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नौका सेवाओं और मार्गकर (टाल) संग्रहण के लिये पट्टों की सम्पूर्ण धनराशि जिसके लिये पट्टा दिया गया है (जिसका कुछ भाग अग्रिम में अदा किया गया हो तथा शेष का भुगतान किस्तों में किया जाना स्वीकृत हो) को प्रीमियम मानते हुये स्टाम्प शुल्क लगाया जाना होता है क्योंकि कोई किराया आरक्षित नहीं किया गया है । यह मत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण बेन्च द्वारा श्री गजय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भी लिया गया है ।

पांच सार्वजनिक निर्माण प्रखण्ड (आगरा, बरेली,इटावा, सीतापुर तथा बहराइच) में 1979-80 और 1984-85 के बीच पट्टाधारियों के साथ अधिशासी अभियन्तों द्वारा निष्पादित 5 नौका घाटों और 17 पुलों पर टाल टैक्स के संग्रहण हेतु 32 पट्टा अनुबन्धों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 35(क) के अन्तर्गत निर्धारित किस्तों को निश्चित किराया (प्रीमियम नहीं) मानते हुये, वसूल किया गया था । प्रीमियम हेतु दिये गये पट्टों के आधार पर स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने के कारण 4.85 लाख रूपयों के राजस्व की कम वसूली हुयी ।

विभाग को ये मामले अक्तूबर 1986 तथा जनवरी 1988 के बीच और सरकार को मई 1988 में सूचित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

9.8. मैक्स फाल्ट ड्रमों की काफी कम दामों पर बिक्री

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र संख्या 1083 एस.बी./ए.पी.डब्लू. 20-एम-20/68 दिनांकित 19 फरवरी 1982 में दिये आदेशों के अनुसार उपयोगी खाली मैक्सफाल्ट ड्रमों का न्यूनतम विक्रय मूल्य 25 रूपये प्रति ड्रम निश्चित किया गया था। अखबारों में उचित प्रचार करने के बाद, सार्वजनिक नीलाम द्वारा खाली ड्रमों की बिक्री का ध्यान आदेश में रखा गया है । नीलाम में भाग लेने की रूचि रखने वाली पार्टियों को रजिस्टर्ड डाक प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत उनको नीलाम नोटिस की एक प्रति भेज कर सम्बन्धित सार्वजनिक निर्माण प्रखण्ड द्वारा नीलाम की तिथि, समय तथा स्थान का सूचित करना अपेक्षित है । ड्रमों को उपयुक्त स्थलों पर एकत्र कर के वर्ष में दो बार, फरवरी और अगस्त में नीलाम किया जाना अपेक्षित है । स्थानीय ठेकेदारों के अतिरिक्त अन्य पार्टियों को आने और उनकी बोली लगाने को आकर्षक बनाने के लिये एक जिले में सभी ड्रमों का नीलाम एक ही दिन निश्चित होना अपेक्षित है ।

पीलीभीत तथा बलिया में स्थित प्रान्तीय प्रखण्डों में यह देखा गया (मई 1985 और दिसम्बर 1986) कि मार्च 1984

और जनवरी 1986 के बीच 20,978 उपयोगी खाली ड्रम, निर्धारित कार्य-प्रणाली अपनाये बिना, स्थानीय ठेकेदारों को क्रमशः 16.10 रूपये और 10 रूपये प्रति ड्रम की दर से नीलाम में बेच दिये गये जिससे नीलामों में बाहरी पार्टियों को भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य की तुलना में काफी कम मूल्यों पर 20,978 खाली ड्रमों की बिक्री के फलस्वरूप 3.12 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुयी ।

विभाग को मामला क्रमशः मई 1985 और जनवरी 1987 में तथा सरकार को मई 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अप्रैल 1989) ।

9.9. सरकार के अनुमोदन बिना निम्नतम बोली का स्वीकार किया जाना

उत्तर प्रदेश टोल, नियमन, उगाही और संग्रहण नियमावली, 1980 के अन्तर्गत किसी निर्दिष्ट सड़क पुल पर टोल संग्रहण हेतु सार्वजनिक नीलाम करके एक से पांच वर्षों की अवधि के लिये ठेके दिये जाने का प्रावधान है । साधारणतया, उच्चतम नीलाम बोली स्वीकार की जानी चाहिये । भारतीय टोल अधिनियम, 1851 के अन्तर्गत बनी उत्तर प्रदेश टोल, नियमन, उगाही और संग्रहण नियमावली, 1980 के नियम 8 में प्रावधान है कि उच्चतम बोली स्वीकार की जानी चाहिये और, यदि नीलाम/बातचीत द्वारा तय दाम उच्चतम नहीं है, निम्नतर बोली/बातचीत द्वारा तय दाम सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के

पश्चात् ही स्वीकार किया जा सकता है ।

अल्पकालिक प्रखण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मई 1986) कि भौराबारी सड़क पुल पर राहदारी संग्रह करने के अधिकार के पट्टे का सार्वजनिक नीलाम 9 अगस्त 1985 को किया गया जिसमें चार ठेकेदारों को भाग लेने दिया गया । उच्चतम बोली 1,50,100 रूपयों की तथा निम्नतम बोली 70,200 रूपयों की प्राप्त हुयी थीं । प्रखण्डीय अधिकारी ने मण्डलीय आयुक्त द्वारा उच्चतम बोली की स्वीकृति हेतु संस्तुति की थी । परन्तु आयुक्त ने निम्नतम बोली इस आधार पर स्वीकार की (26 अगस्त 1985) कि अन्य तीन उच्चतर बोली लगाने वालों ने अपने हैसियत, चरित्र और अनुभव आदि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे ।

एक बार नीलाम में भाग लेने की अनुमति दिये जाने पर निम्नतम बोली सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्वीकार नहीं की जानी चाहिये थी । उच्चतम बोली स्वीकार न किये जाने के फलस्वरूप 79,900 रूपयों के राजस्व की हानि हुई ।

विभाग को मामला जुलाई 1986 में और सरकार को सितम्बर 1988 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

ग – कृषि विभाग

9.10. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987–88 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये सोलह जिला कृषि कार्यालयों के लेखे तथा अभिलेखों के जांच–परीक्षण से 39 मामलों में 42 लाख रूपयों के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	7	0.44
2. उर्वरकों पर पुनरीक्षित दरों से बिक्री–कर का वसूल न किया जाना	9	1.26
3. आर्थिक सहायता की अनियमित अनुमति	7	4.82
4. फार्म की उपज में कमी	2	6.35
5. उर्वरक व्यापारियों से लाइसेंस फीस/नवीकरण फीस का वसूल न किया जाना	2	21.25
6. अन्य मामले	12	8.08
योग	**39**	**42.00**

कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9.11. फार्म की उपज में कमी

कृषि निदेशक द्वारा जारी (मार्च 1977) अनुदेशों के अनुसार, क्षेत्रीय उप कृषि निदेशक द्वारा गठित की गयी एक समिति द्वारा चुने हुये क्षेत्रों में वास्तविक फसल कटाइयों के आधार पर सरकारी फार्मों पर फसलें काटने के पूर्व उपज का अनुमान तैयार करना अपेक्षित है । कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, अनुमानित और वास्तविक फार्म उपज के बीच दस प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये, 10 प्रतिशत से अधिक अन्तर के कारण होने वाली हानि फार्म अधीक्षक से वसूल की जानी है ।

जिला कृषि कार्यालय, अलीगढ़ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1988) कि 1984-85 एवं 1986-87 की रबी फसलों तथा 1984-85 से 1987-88 तक की खरीफ फसलों में राज्य के पांच फार्मों में अनुमानित और वास्तविक उपज के बीच अन्तर 10 प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक था, जिसके फलस्वरूप राजस्व में 5.37 लाख रूपयों की कमी हो गयी। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह पता चलता कि हानि की वसूली हेतु फार्म अधीक्षक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी ।

विभाग को मामला मार्च 1988 में तथा सरकार को जून 1988 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अप्रैल 1989) ।

9.12. उर्वरक की बिक्री पर आर्थिक सहायता की अनियमित स्वीकृति

3 फरवरी 1986 के सरकारी आदेशों के अन्तर्गत छोटे किसानों को कृषीय निवेशों के रूप में बाढ़ हेतु आर्थिक सहायता अर्थात् बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों आदि का वितरण रोक दिया गया था । उक्त आदेश के अनुसार, 3 फरवरी 1986 के बाद जारी कृषीय निवेशों पर आर्थिक सहायता के कोई बिल सकारे (आनर) नहीं जाने चाहिये थे ।

मई 1987 से मार्च 1988 के दौरान जांच परीक्षण किये गये छः जिला कृषि कार्यालयों (देहरादून, मथुरा, बलिया, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर तथा मिर्जापुर) में यह देखा गया कि 3 फरवरी 1986 के बाद भी उर्वरक की बिक्री पर आर्थिक सहायता दी गयी थी । इसके फलस्वरूप 3.76 लाख रूपयों की आर्थिक सहायता की अनियमित स्वीकृति हुयी ।

विभाग को मामले जून 1987 और मार्च 1988 के बीच तथा सरकार को मई 1988 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

घ – सहकारिता विभाग

9.13. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987–88 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये चार सहायक निबन्धकों, सहकारी समितियां, के लेखे तथा अभिलेखों के जांच परीक्षण से 6 मामलों में 1.84 लाख रूपयों के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. मध्यस्थता शुल्क का वसूल न किया जाना	1	0.07
2. निष्पादित फीस का वसूल न किया जाना	1	0.98
3. कोषागार में संग्रह प्रभारों का जमा न किया जाना	4	0.79
योग	**6**	**1.84**

1987–88 तथा पूर्व वर्षों के दौरान देखे गये कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

9.14. सरकारी खाते में संग्रह प्रभारों को जमा न किया जाना

उत्तर प्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 130 के अन्तर्गत राज्य सरकार अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियमावली बना सकती है । सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां नियमावली, 1968 के नियम 363 के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत शुल्क अथवा अन्य किसी भांति प्राप्त अथवा वसूल की गयी कोई धनराशि राज्य सरकार अथवा निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा समय समय से निर्दिष्ट लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में पूर्ण रूप से जमा की जानी चाहिये । फिर भी, निबन्धक द्वारा गठित और 19 जनवरी 1983 को संचारित उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां संग्रह निधि नियमावली, 1982 के अन्तर्गत यह प्रावधानित था कि कर्जों के लाभ-भोगियों से विभाग द्वारा पिछले वर्ष वसूल किये गये संग्रह प्रभारों का एक प्रतिशत (सहकारी समितियों की ओर से वसूली गई बकाया धनराशियों का 10 प्रतिशत) सरकारी कोषागार में 1/4 प्रतिशत मुख्यालय संग्रह निधि लेखा तथा शेष जिला संग्रह लेखा निधि में जमा किया जाना चाहिये। ये नियमन सरकार के नियमों से सामंजस्य नहीं रखता । निबन्धक द्वारा गठित नियमों के अनुसार जब तक लेखा शीर्ष जिसमें संग्रह प्रभार के एक प्रतिशत को जमा करना था, शीर्ष के बारे में निर्णय नहीं ले लिया जाता, धनराशि एक आरक्षित लेखा मेंरखा जाना था ।

1984-85 और 1985-86 के बीच 23 सहायक निबन्धकों, सहकारी समितियां, के कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 340.19 लाख रूपयों की कुल धनराशि, जो 1981-82 से 1985-86 की अवधि के दौरान विभिन्न सहकारी समितियों की ओर से वसूल किये गये देयों के कारण संग्रह प्रभारों का 10 प्रतिशत थी, सरकारी खाते में जैसा कि निबन्धक द्वारा गठित नियमों में अपेक्षित था, जमा नहीं किया गया।वह प्राधिकार जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां संग्रह निधि नियमावली, 1982 बनाई गयी थी, का पता नहीं चलता ।

विभाग को मामले जून 1984 और सितम्बर 1986 के बीच तथा सरकार को अप्रैल 1988 में सूचित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

9.15. निष्पादन की कार्यवाहियों के लिये फीस का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां नियमावली, 1968 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत, निबन्धक, सहकारी समितियां, किसी समिति द्वारा दिये गये प्रार्थना -पत्र पर तथा निष्पादन की कार्यवाहियों के लिये निर्धारित फीस की प्राप्ति पर, समिति को प्राप्य धनराशि की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है ।

सहायक निबन्धकों, सहकारी समितियां (शाहजहांपुर तथा मिर्जापुर) के दो कार्यालयों में 245.06 लाख रूपयों के देयों

की वसूली हेतु समितियों से प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति पर, निष्पादन की कार्यवाहियों हेतु 1.05 लाख रूपयों की निर्धारित फीस वसूल किये बिना, 1984-85 और 1987-88 के बीच 10,923 प्रमाण-पत्र जारी किये गये ।

विभाग को मामले सितम्बर 1986 और अप्रैल 1988 में तथा सरकार को जून 1988 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1989) ।

ड. – खाद्य एवं रसद विभाग

9.16. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1987-88 के दौरान लेखा परीक्षा में किये गये पांच जिला आपूर्ति कार्यालयों के लेखे और अभिलेखों के जांच परीक्षण से 8 मामलों में 2.15 लाख रूपयों के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. वस्त्र विक्रेताओं द्वारा लाइसेंसों का नवीकरण न कराया जाना	2	1.59
2. कोयला व्यापारियों की सिक्युरिटी का जब्त न किया जाना	4	0.34
3. चीनी के बढ़े हुये मूल्य का वसूल न किया जाना	1	0.08
4. राशन कार्डों के मूल्य का वसूल न किया जाना	1	0.14
योग	8	2.15

च – उद्योग विभाग

9.17. ईंट भट्टा मालिकों से आवेदन शुल्क और रायल्टी का वसूल न किया जाना अथवा कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 के अनुसार ईंटें तैयार करने के लिये मिट्टी प्रयोग करने का इरादा रखने वाला ईंट भट्टे का मालिक निर्धारित परमिट फीस (30 अक्तूबर 1984 तक 50 रूपये और उसके बाद 200 रूपये) के साथ खनन परमिट की स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र देगा । परमिट की स्वीकृति के 15 दिनों के अन्दर, आवेदक प्रयोग हेतु अधिकृत मिट्टी की कुला मात्रा के लिये, अग्रिम में, निर्धारित दरों पर रायल्टी जमा करेगा । फर्रूखाबाद तथा अलीगढ़ जिलो में 1986–87 के दौरान देय रायल्टी की दरें निम्नवत् थीं:

जिला	नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
फर्रूखाबाद	20 लाख ईंटों तक 4,000 रूपये प्रति वर्ष	15 लाख ईंटों तक 3,000 रूपये प्रति वर्ष
अलीगढ़	25 लाख ईंटों तक 5,000 रूपये प्रति वर्ष	20 लाख ईंटों तक 4,000 रूपये प्रति वर्ष

समय समय पर जारी कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार, जिला आपूर्ति अधिकारी को कोयले की खरीद के लिये तब

तक कोई लाइसेंस जारी/नवीकरण नहीं करना चाहिये जब तक ईंट भट्टा मालिक रायल्टी और फीस के भुगतान के प्रमाण में खनन परमिट प्रस्तुत नहीं कर देते ।

(I) 1986-87 के दौरान जिन 91 ईंट भट्टा मालिकों को कोयला खरीदने के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे, जिला आपूर्ति अधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा जिला कलेक्टर को उनके नामों की प्रेषित सूची की जांच से पता चला कि 47 ईट भट्टा मालिकों ने खनन परमिट प्राप्त किये बिना ही कोयला खरीदने के लिये लाइसेंस प्राप्त कर लिये थे। ग्रामीण क्षेत्रों को लागू (निम्नतर) दर पर आंकलित करने के फलस्वरूप आवेदन शुल्क और रायल्टी के रूप में 1.50 लाख रूपये वसूल नहीं किये गये।

(II) फर्रूखाबाद जिले में 70 ईंट भट्टा मालिकों के सम्बन्ध में 31 अक्तूबर 1984 से मार्च 1987 की अवधि हेतु आवेदन शुल्क 200 रूपये की सही दर के बजाय 50 रूपये की पूर्व संशोधित दर से वसूल किया गया था। इसके फलस्वरूप 10,500 रूपये के शुल्क की कम वसूली हुई।

(III) अलीगढ़ जिले में भी 149 ईंट भट्टा मालिकों से जिन्हें अप्रैल 1986 से दिसम्बर 1986 के दौरान कोयला खरीदने के लिये लाइसेंस दिये गये थे, आवेदन शुल्क और रायल्टी के 6.15 लाख रूपये प्राप्त होने थे इसके विपरीत केवल 2.15 लाख रूपये रायल्टी और शुल्क के रूप में जमा किये गये। इसप्रकार ईट भट्टा मालिकों में अधिकांश ने खनन परमिट प्राप्त किये बिना ही कोयला खरीदने के लिये लाइसेंस प्राप्त कर लिये थे जिससे आवेदन शुल्क और रायल्टी के 4.11 लाख रूपयों की वसूली नहीं हुई ।

(IV) अगस्त 1988 में जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने सूचित किया कि 4.11 लाख रूपयों की धनराशि ईट भट्टा मालिकों से वसूल कर ली गयी है फर्रूखाबाद इकाई से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

सरकार को मामला मार्च 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

(छ) वित्त विभाग

9.18 ऋण व अग्रिमों पर ब्याज की वसूली

9.18.1 प्रस्तावना

ब्याज की प्राप्तियां राज्य के करेतर राजस्व के मुख्य स्रोतों में से एक है। शासन द्वारा समय समय पर (I) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (II) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों एवं निगमों (III) स्थानीय निकायों (IV) सहकारी समितियों और (V) कृषकों व अन्य व्यक्तियों को स्वीकृत ऋणों पर ब्याज की वसूली की जाती है ।

जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, 1983-84 से 1987-88 तक के वर्षों में ब्याज से उपलब्ध राज्य की राजस्व प्राप्तियां समस्त करेतर राजस्व प्राप्तियों का 37 से 46 प्रतिशत तक रही हैं:

वर्ष	राज्य का सकल करेतर राजस्व	ब्याज से प्राप्तियां	ब्याज प्राप्तियों का सकल करेतर राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत
1983-84	404.75	151.19	37
1984-85	384.39	160.77	42
1985-86	523.90	180.00	34
1986-87	502.11	213.86	43
1987-88	631.39	295.58	46

9.18.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

यह समीक्षा सहकारिता, उद्योग एवं शहरी विकास विभागों द्वारा कर्जदारों को दिये गये ऋणों की वसूली के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के तरीकों के अध्ययन से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक (नबार्ड) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी संस्थायें राज्य सरकार के अधीन सहकारिता, उद्योग व आवास के क्षेत्रों में लाभार्थियों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार प्रशासनिक सहयोग प्रदान करती है, लेखों का रख-रखाव करती है एवं वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा निर्धारित तरीकों पर पुनर्भुगतान हेतु ब्याज की वसूलियां करती है। चूँकि इन ऋण व ब्याज की वसूली का दायित्व राज्य सरकार पर है अतः सरकार द्वारा इसके लिये की गई व्यवस्था व प्रयासों पर इस समीक्षा द्वारा प्रकाश डालने का एक प्रयास किया गया है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 1982-83 से 1986-87 की अवधि में किये गये कार्य-निष्पादन को आधार बनाया गया है, यद्यपि कुछ स्थानों पर पूर्व वर्षों की प्राप्त सूचनाओं का भी उल्लेख किया गया है ।

9.18.3 संगठनात्मक व्यवस्था

निबन्धक, सहकारी समितियां, उद्योग तथा हथकरघा एवं वस्त्र निदेशकों तथा चीनी आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों का विस्तृत लेखा रखने व उनके विरूद्ध ऋण व ब्याज

की वसूली पर निगरानी रखने का कार्य करते हैं । इन विभागाध्यक्षों द्वारा ऋण का आहरण एवं वितरण किया जाता है। लाभार्थियों की आवश्यकता तथा कुछ विशेष क्षेत्रों, लोक उपक्रमों (पब्लिक अण्डरटेकिंग्स) की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उद्योग विभाग ये ऋण राज्य वित्त निगम और अन्य औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध कराता है। सहकारिता के क्षेत्र में सहायक निबन्धक विस्तृत लेखा रखने के अलावा सहकारी समितियों से की जाने वाली वसूली पर निगरानी रखता है, परन्तु सम्पूर्ण नियन्त्रण का दायित्व निबन्धक पर ही होता है ।

9.18.4 मुख्य-मुख्य बातें

1. शासन द्वारा स्वीकृत 376.54 करोड़ रूपयों के ऋण का एवं उनके विरूद्ध ऋण व ब्याज की वसूली का समुचित अभिलेख नहीं रखा गया ।

2. उद्योग निदेशालय में देय ब्याज का बकाया (मार्च 1987 की समाप्ति पर) 655.83 लाख रूपयों से बढ़कर (मार्च 1988 के अन्त में) 979.81 लाख रूपये हो गया ।

3. 1.41 करोड़ रूपये के अत्यावधिक (ओवर ड्यू) ब्याज एवं 1.63 करोड़ रूपये के देय ब्याज की न तो शासन द्वारा मांग की गयी, न ही एक निगम द्वारा उसका भुगतान कियागया।

4. विकास प्राधिकरण, वाराणसी के विरूद्ध 86 लाख रूपयों के देय दण्डात्मक ब्याज की मांग नहीं की गयी ।

5. अप्रयुक्त ऋण की धनराशि को विलम्ब से वापस करने के फलस्वरूप वसूली योग्य 1.10 करोड़ रूपयों का ब्याज देय था किन्तु इसकी मांग नहीं की गयी ।

6. उत्तर प्रदेश सीमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड से 2.72 करोड़ रूपयों की ब्याज की वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की गयी ।

7. स्वीकृत आदेशों में दण्डात्मक ब्याज अथवा ब्याज की उगाही की व्यवस्था न किये जाने की त्रुटि के कारण कम से कम 56.15 लाख रूपयों की शासन को क्षति हुयी ।

8. 16 ऋणी संस्थाओं के मामलों में वसूल न किये गये ब्याज / दण्डात्मक ब्याज की धनराशि 21.33 करोड़ रूपये थी ।

9. 5 अन्य संस्थाओं के मामलों में जिनके ऋण पूर्णतया भुगतान किये गये मान लिये गये थे, उन पर 3.72 करोड़ रूपयों का ब्याज/दण्डात्मक ब्याज बकाया पाया गया । सम्प्रेक्षा में इंगित करने पर विभाग मांग-पत्र जारी करने को सहमत हो गया ।

9.18.5 अभिलेखों का न रखा जाना अथवा अपूर्ण रखा जाना

राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार शासन की सहमति से विभागीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण व अग्रिमों के अभिलेखों का रख-रखाव ऋण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाना होता है । वसूली की स्थिति पर निरन्तर समुचित नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभिलेखों में ऋण की

शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा ब्याज की दरों के समक्ष समय-समय पर ब्याज सहित की गयी वसूलियों को प्रदर्शित किया जाना होता है।

निबन्धक, सहकारी समितियां तथा उद्योग हथकरघा व वस्त्र निदेशक दिये गये ऋणों की सुविधाओं का तथा उनके समक्ष की गयी वसूलियों का विस्तृत लेखा-जोखा रखने के उत्तरदायी हैं।

(1) शासन ने वर्ष 1972-73 से 1987-88 तक की अवधि में सहकारिता एवं उद्योग के दो विभागों को विभागाध्यक्षों के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं हेतु सहकारी समितियों को ऋण बाटने हेतु 376.54 करोड़ रूपयों की स्वीकृत प्रदान की। इस धनराशि में से 291.42 करोड़ रूपयों का विस्तृत लेखा-जोंखा निबन्धक, सहकारी समितियों को रखना था तथा 85.12 करोड़ रूपयों का उद्योग निदेशक को रखना था जिसका विवरण निम्नवत् है:

ऋण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	विभागाध्यक्ष जिनके माध्यम से इकाइयों को ऋण वितरित किया गया	ऋण की धनराशि (ऋण की अवधि)	शासन द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि
		(करोड़ रूपयों में)	
(1)	(2)	(3)	(4)
राजकीय (सहकारिता विभाग)	निबन्धक, सहकारी समितियां, लखनऊ	291.42 (1977-78 से 1986-87)	×
राजकीय (उद्योग विभाग)	उद्योग निदेशक	85.12 (1972-73 से 1986-87	×

× (कोई अभिलेख न रखे जाने के कारण सम्परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया)

हथकरघा व वस्त्र निदेशक को ऋण का भुगतान किया गया लेकिन कोई लेखा नहीं रखा गया (उदाहरणार्थ 1981–82 से 1986–87 तक की अवधि में 87.69 लाख रूपयों का ऋण हथकरघा व वस्त्र निदेशक द्वारा हैण्डलूम के अभिनवीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था) ।

वित्तीय नियमों के अनुसार, ऋणों की धनराशि (उक्त सारिणी के कालम 3 में उल्लिखित) के सम्बन्ध में उसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा (कालम 2 में उल्लिखित) विस्तृत लेखा अभिलेखों में रखा जाना चाहिये था । किन्तु अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या सभी ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित शर्तों पर सही इकाईयों को हस्तान्तरित किया गया था तथा यह कि क्या देय मूलधन व ब्याज का पुनर्भुगतान सही–सही आंकलित किया जा रहा था तथा अभिलेखों में दर्ज किया जा रहा था ।

(ii) उद्योग निदेशक द्वारा रखे गये अभिलेखों की जांच पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

(क) सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार उद्योग निदेशक, विभिन्न निगमों, उपक्रमों और अन्य औद्योगिक इकाईयों को अन्यान्य औद्योगिक विकास योजनाओं के उन्तर्गत स्वीकृत ऋण के नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी थे । किन्तु देय वार्षिक मूलधन व ब्याज तथा उसके विरूद्ध की गयी वास्तविक वसूली को देखने के लिये निदेशालय में कोई केन्द्रीय अभिलेख नहीं रखा गया था । यह बताया गया कि

कर्जदारों के लेखा-जोखा का अभिलेख जिला स्तर पर रखे जाते हैं जिसकी सूचना मुख्यालय को दी जाती है तथा शासन को प्रगति सूचित करने के पूर्व इसका संकलन किया जाता है । मूलधन व ब्याज की बकाया की स्थिति जैसा कि जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा सूचित की गयी है, इस प्रकार थी :

कर्जदारों के नाम	बकायों की स्थिति			
	31 मार्च 1987 को		29 फरवरी 1988 को	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज (लाख रूपयों में)
विभिन्न निगम	516.77	308.32	512.41	316.60
विभागीय ऋण	159.30	96.56	159.57	98.65
विविध ऋण	285.80	213.80	329.14	212.86
योग	**961.87**	**618.68**	**1001.12**	**628.11**

(ख) स्वायत्त निकायों, निगमों तथा राजकीय उपक्रमों की समय-समय पर स्थापना होने पर उद्योग निदेशक द्वारा सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र में इनको एवं अन्य स्थानीय निकायों को, सहकारी संस्थाओं को, मिलों आदि को ऋण दिये जाते रहे जिनका अभिलेख ऐसे निकायों के पर्सनल लेजर एकाउन्ट में रखा जाना था । आहरण अधिकारी (बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी) की हैसियत से उद्योग निदेशक की यह जिम्मेदारी थी कि वह सुनिश्चित करे कि ऋण में दी गयी शर्तें पूरी हो रही हैं तथा इन शर्तों के अनुसार वसूली निर्धारित समय के अन्दर की जा रही है ।

तथापि शासन द्वारा जुलाई 1986 में यह पाया गयाकि मूलधन तथा ब्याज की वसूली से सम्बन्धित सूचना न तो शासन (प्रशासनिक विभाग) के पास और न ही उद्योग निदेशक के पास रखी जा रही है और यह कार्य सम्बन्धित निगमों उपक्रमों पर छोड़ दिया गया है कि वे वांछित सूचना शासन/ उद्योग निदेशक को प्रेषित करें ।

(ग) उद्योग निदेशालय में उपलब्ध कराये गये 12 ऋणी निगमों/अधिकारियों (16 में से) के विवरण पत्रों के विश्लेषण से (निदेशालय में इनके विस्तृत लेखे आदि तैयार नहीं थे) जून 1988 में ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा देय ब्याज का बकाया जो मार्च 1987 के अन्त में 655.83 लाख रूपये था, मार्च 1988 के अन्त में बढ़कर 979.87 लाख रूपये हो गया था जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

	मूलधन	ब्याज
	(लाख रूपयों में)	
देय भुगतान	1573.15	1322.35
किया गया भुगतान	870.22	666.52
	(44.7%)	(49.5%)
31 मार्च 1987 को बकाया	**702.93**	**655.83**
31 मार्च 1988 को बकाया	804.05	979.81
1987-88 में वृद्धि का प्रतिशत	14.4	49.4

(1) योजना के असफल होने पर ऋणों को लौटाने में विलम्ब

(क) शासन (उद्योग विभाग) द्वारा विभिन्न औद्योगिक उद्देश्यों के लिये तीन इकाइयों को स्वीकृत 3.17 करोड़ रूपये के ऋण कोषागार से सितम्बर 1976 से मार्च 1982 के बीच आहरित किये गये और निगम के बैंक खाते में डाल दिये गये, अर्थात् लाभार्थी समितियों को भुगतान के लिये लम्बित रखते हुये इस धनराशि को राजकीय कोषागार से बाहर रखा गया । ये धनराशियां एक वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात् अक्तूबर 1978 से जून 1988 के बीच पुन: कोषागार में जमा कर दी गयीं। कोषागार से आहरण के पश्चात् ऋण की भारी धनराशि को राजकीय लेखा से बाहर रखना, अनियमित था और इससे सरकार की अर्थोपाय स्थिति (वेज एण्ड मीन्स पोजीशन) प्रभावित हुयी ।

3 इकाईयों से सम्बन्धित इन ऋणों के स्वीकृति आदेशों में दी गयी ब्याज की साधारण दर के अनुसार प्रबन्ध निदेशक हथकरघा निगम द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया जब कि यू.पी.ब्रासवेयर कारपोरेशन तथा हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक ने ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया । चूँकि ऋण की धनराशि जिस उद्देश्य के लिये स्वीकृत की गयी थी तद्नुसार उनका उपयोग नहीं हुआ था अत: अप्रयुक्त धनराशि को विलम्ब से लौटाये जाने के लिये साधारण दर पर ब्याज, अर्थात 2-1/2 प्रतिशत की छूट, जो कि नियत समय पर ऋण की तत्काल वापसी के मामलों में अनुमन्य थी, दिये बिना ब्याज की वसूली की जानी चाहिये थी ।

ऐसा न किये जाने के कारण 1.10 करोड़ रूपये की ब्याज की हानि हुई जैसा कि नीचे दर्शाया जा रहा है:

ऋणी संस्था का नाम	ऋण की राशि (ऋण आहरण की अवधि)	वापस की गई अप्रयुक्त धन-राशि (दिनांक)	ब्याज की हानि
	(धनराशि करोड़ रूपयों में)		
1. यू.पी. हैण्डलूम कारपोरेशन	2.79 (6.9.76 से 17.1.79)	2.79 (12.10.78 से 11.10.79)	0.39 (2.5% की दर से)
2. निदेशक हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल्स	0.13 (31.3.87)	0.13 (23.6.88)	0.20 (12.5 % की दर से)
3. यू.पी. ब्रासवेयर कारपोरेशन	0.25 (मई 1981 से मार्च 1982)	0.07 (अक्तूबर 1987)	0.51 (13.5 % की दर से) (3/82 से 10/87)
योग	**3.17**	**2.99**	**1.10**

(ख) 2.37 करोड़ रूपयों की धनराशि (जिसमें 50 प्रतिशत ऋण व 50 प्रतिशत अनुदान शामिल था) यू.पी. हैण्डलूम कारपोरेशन को "बाढ़ सहायता कोष" के मद में जनवरी 1979 में स्वीकृत किया गया था जो कि निगम के बैंक खाते में डाल दिया गया। अनुदान से सम्बन्धित (1.19 करोड़ रूपये) की धनराशि का उपयोग कर लिया गया, परन्तु ऋण का अप्रयुक्त हिस्सा (1.18

(क) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है 1980-81 तथा 1986-87 के बीच दो सरकारी निगमों तथा एक औद्योगिक उपक्रम को 24.51 करोड़ रूपयों की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी थी:

ऋण प्राप्त करने वाली इकाई का नाम	अवधि/ऋणों की स्वीकृति/आहरण की तिथि	ऋणों की धनराशि (लाख रूपयों में)	वापसी की शर्तें
1. आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़	1982-83तक	290.17	आहरण की तिथि के 3 वर्ष बाद से प्रारम्भ करके 5 समान वार्षिक किस्तों में
	1983-84	285.00	
	1984-85	250.00	
	1985-86	458.00	
	1986-87	250.00	
	योग	**1533.17**	
2. उत्तर प्रदेश हथ-करघा निगम लिमिटेड, कानपुर	जुलाई 1984	100.00	एक साल बाद एकमुश्त में
	दिसम्बर 1984	100.00	
	योग	**200.00**	
3. उत्तरप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर	अगस्त 1984	10.00	आहरण की तिथि से 3 वर्ष बाद
	दिसम्बर 1984	53.00	
	योग	**63.00**	

×	मार्च 1986	146.00	आई.डी.बी.आई.
×	जनवरी 1987	509.00	से प्राप्त ऋण की वापसी के बाद 7 समान वार्षिक किश्तों में
	योग	655.00	
	महायोग	2451.17	

(× ये वे तिथियां संकेत करती हैं जब पुनर्भुगतान देय हुआ)

देय तिथि पर ऋणों/किश्तों के भुगतान न होने की दशा में इन ऋणों की स्वीकृतियों में कोई दण्डात्मक ब्याज का प्राविधान नहीं था । यह देखा गया कि इनमें से किसी भी ऋण/देय किस्त का भुगतान लेखापरीक्षा अवधि (जून 1988) तक नहीं किया गया था । जैसा कि सामान्य वित्त नियमों में प्राविधान है, दण्डात्मक ब्याज की धारा के अभाव में, सरकार इन मामलों में 40.40 लाख रूपयों के ब्याज से वंचित रही (जून 1988 तक की गणना के अनुसार) ।

(ख) माह फरवरी 1974 में 10 लाख रूपयों का ऋण, उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक निगम, कानपुर को स्वीकृत किया गया था । स्वीकृति आदेश में न तो ब्याज की कोई दर निर्धारित की गयी थी न ही यह ब्याज मुक्त घोषित किया गया था । लेखापरीक्षा की अवधि (जून 1988) तक यह ऋण वापस नहीं किया गया था । उस समय की प्रचलित ब्याज दर अर्थात् 10.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर 31 मार्च 1988 तक, 15.75 लाख रूपये ब्याज की क्षति हुयी ।

में (बकाये की) स्थिति कम करके दिखायी गयी थी ।

9.18.10. ऋणों के देय मूलधन तथा ब्याज की शत-प्रतिशत वसूलियों के लिये उत्तर प्रदेश शासन (वित्त) के कड़े निर्देश थे। तथापि वर्ष 1982-83 में शीर्ष संस्थाओं को छोड़कर अन्य सहकारी समितियों से की गयी वसूलियों में देय ऋण की वसूली का प्रतिशत 5.03 तथा देय ब्याज की वसूली का प्रतिशत सिर्फ 6.04 था और इसके बाद वसूली का प्रतिशत घटता ही गया तथा 1986-87 तथा 1987-88 के अन्तिम दो वर्षों में (फरवरी 1988 तक) यह घटकर एक प्रतिशत से भी नीचे पहुंच गया था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

अन्य सहकारी समितियों से ब्याज की वसूली

वर्ष	वर्धमान (प्रोग्रेसिव) देय धनराशि		वर्ष के दौरान वसूल की गयी धनराशि	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
			(लाख रूपयों में)	
1982-83	540.84	802.45	27.23 (5.03)	48.73 (6.04)
1983-84	652.37	922.64	20.86 (3.2)	22.38 (2.22)
1984-85	762.63	1089.09	21.49 (2.82)	20.31 (1.86)
1985-86	910.29	1283.89	35.29 (3.87)	37.05 (2.88)
1986-87	996.84	1414.98	9.68 (0.97)	8.88 (0.67)
1987-88 (फरवरी 1988 तक)	987.16	1406.10	0.68 (0.07)	0.33 (0.02)

(अन्तिम दो कालमों में कोष्ठकों के अन्दर के अंक वसूली का प्रतिशत प्रकट करते हैं)

(II) वर्ष 1982-83 से 1987-88 की अवधि के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि शीर्ष संस्थाओं (एपेक्स बाडीज) को दिये गये ऋणों पर 4634.58 लाख रूपया देय ब्याज की धनराशि के विरूद्ध 2073.45 लाख रूपया (लगभग 44.7 प्रतिशत) वसूल किया गया था। वर्ष 1983-84 में मूलधन एवं ब्याज के वसूलियों का प्रतिशत 98 और 74 से घट कर वर्ष 1987-88 (फरवरी 1988 तक) में क्रमशः 21.5 और 7.5 रह गया।

9.18.11 ब्याज की कम वसूली/दण्डात्मक ब्याज की वसूली न किया जाना

नियमों में किये गये प्राविधानों के अनुसार, यदि किसी ऋण प्राप्त कर्ता द्वारा किश्त का भुगतान देय तिथि पर नहीं किया जाता है तो चूक (डीफाल्ट) की अवधि के लिये ऋण एवं ब्याज के कालातीत किश्तों पर सरकारी आदेशों में निर्धारित प्राविधान के अनुसार सामान्य ब्याज दर से उच्च दर पर दण्डात्मक ब्याज आरोपित एवं वसूल किया जायेगा।

(I) लेखापरीक्षा में जांच के समय पाया गया कि यद्यपि अनेक मामलों में मूलधन या ब्याज की अनेक किश्तें पुनर्भुगतान के लिये कालातीत हो चुकीं थीं तथापि इन चूकों के लिये विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक ब्याज नहीं मांगा गया। 21.33 करोड़ रूपयों की ब्याज की कम वसूली/दण्डात्मक ब्याज के आरोपित न किये जाने के कुछ मामले नीचे दिये जा रहे हैं:

कि लेखापरीक्षा की जांच के अनुसार वर्ष 1968-69 से 1987-88 की अवधि के लिये ब्याज/दण्डात्मक ब्याज की देय धनराशि लगभग 3.72 करोड़ रूपया वसूली योग्य थी ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने अतिरिक्त मांग जारी करने के लिये सहमति व्यक्त की (जून 1988) । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल-1989) ।

(III) वर्ष 1976-77 से 1985-86 की अवधि में किये गये 1.38 करोड़ रूपयों के ऋणों पर मुरादाबाद के एक निगम द्वारा मूलधन के रूप में 72.40 लाख रूपयों का तथा ब्याज के रूप में 60.10 लाख रूपयों का भुगतान मार्च 1988 तक सरकार को किया जाना था । ऋणी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी (जून 1988) ।

(I) वर्ष 1981-82 से 1987-88 की अवधि में 1980-81 के बाद स्वीकृत ऋणों पर 31 मार्च 1988 तक सरकार को देय मूलधन की धनराशि 16.08 करोड़ रूपये तथा ब्याज की देय धनराशि 32.32 करोड़ रूपये का भुगतान जल निगम ने नहीं किया था । उपरोक्त धनराशियों की वसूली के लिये जून 1988 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

9.18.12. अन्य रूचिकर प्रकरण

(I) चीनी मिल से ब्याज की वसूली न किया जाना

वर्ष 1984 से 1987 की अवधि में राज्य सरकार

उद्योग विभाग द्वारा चीनी आयुक्त के माध्यम से गैर सरकारी चीनी मिलों को 32.18 करोड़ रूपया ऋण के रूप में दिया गया था । जिसमें से केवल 0.42 करोड़ रूपयों (1.3 प्रतिशत) का सरकार को पुनर्भुगतान किया गया और 31.76 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं किया गया । उपरोक्त भुगतान न किये गये अवशेष में से 6.19 करोड़ रूपया ब्याज के रूप में देय था, जिसके विरूद्ध 3.71 करोड़ रूपयों हेतु सरकार द्वारा (14 जनवरी 1988 के आदेश में) सावधि ऋण (टर्म लोन) के रूप में पुनः समय नियोजित (रीशेड्यूल) कर दिया गया जिससे ऋणियों द्वारा सरकार को देय 2.48 करोड़ रूपया फिर भी अवशेष रह गया था, जिसके लिये जून 1988 तक वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी । इसके अतिरिक्त उपरोक्त सरकारी आदेश इसलिये अपूर्ण था कि उसमें ऋणियों द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान न किये जाने के मामलों में किसी प्रकार का दण्डात्मक विधान नहीं किया गया था ।

(11) चिरस्थायी ऋण

राज्य के वित्तीय नियमों में यह प्रावधान है कि केवल अपवाद स्वरूप विशेष मामलों में ऋण के पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि 30 वर्ष रखी जा सकती है । वर्ष 1982-83 से 1983-84 की अवधि में विकास प्राधिकरण भदोही (जनपद

वाराणसी) को बीज हेतु चालीस-चालीस लाख रूपयों की धनराशि के दो पूँजी ऋण स्वीकृत किये गये थे, जिनके लिये मूलधन की वापसी की शर्तें अनुबन्धित नहीं थीं और सरकार को 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय था । मार्च 1987 तक विकास प्राधिकरण ने ब्याज के 9.62 लाख रूपयों का भुगतान नहीं किया था । इस हेतु कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया ।

देय तिथि पर ब्याज का भुगतान न किये जाने की दशा में किसी दण्डात्मक धारा (क्लाज) का प्राविधान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 2.5 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज के रूप में 4.11 लाख रूपये की हानि हुयी ।

(III) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण की शर्तों का अनुपालन न किया जाना

राज्य सहकारी बैंकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर 20 लाख रूपये की धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी थी । ब्याज की दर तथा उसके पुनर्भुगतान की अवधि भी निर्धारित कर दी गयी थी ।

उल्लिखित शर्तों के विपरीत राज्य सरकार ने लाभार्थी इकाईयों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर से उच्चतर दर पर, 18 जुलाई 1983 को, ऋण की धनराशि हस्तान्तरित की। परिणामतः ऋण स्थगन अवधि के प्रथम 10 वर्षों में लाभार्थी इकाईयों से ब्याज के रूप में 7 लाख रूपया अधिक लिया गया और भुगतान न करने के मामलों में 2 लाख रूपया ज्यादा लिया गया।

(IV) अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूँजी लगाये जाने वाली योजनाओं को अधूरा छोड़ देने के कारण ब्याज की हानि

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली (एन.सी.डी.सी.) से प्राप्त सूचनाओं / आंकड़ों की जाँच से यह पाया गया कि वर्ष 1977-78 से 1984-85 की अवधि में उल्लिखित निगम से गोदामों एवं शीत भण्डारणों (कोल्ड स्टोरेज) के निर्माण के लिये राज्य सरकार को प्रति पूर्ति (रीइम्बर्स मेण्ट) के रूप में दी जाने वाली 620.42 लाख रूपयों की सहायता प्रदान की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा 9 गोदामों तथा 8 शीत

भण्डारणों के निर्माण का कार्य परित्याग कर दिया गया जिसके परिणाम - स्वरूप 8 गोदाम और 8 शीतभण्डारणों से सम्बन्धित सहायतार्थ ऋण की 57.65 लाख रूपयों की अवशेष धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन. सी.डी.सी.) ने अपने पत्र दिनांक 14 मई 1986 तथा 18 अगस्त 1986 द्वारा वापस कर ली। नवें शीत भण्डारण का विवरण तथा इन गोदामों एवं शीत भण्डारणों के निर्माण का परित्याग किये जाने के कारण सरकार द्वारा नहीं बताये गये।

सरकार तथा निबन्धक, सहकारी समितियां दोनों के ही स्तर पर विस्तृत सूचनाओं एवं आंकड़ों के अभाव में, सम्बन्धित सहकारी समितियां, जिसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त करने के पूर्व गोदामों तथा शीत भण्डारणों के निर्माण हेतु मूल ऋण सहायता दी गयी थी, उनके विरूद्ध बकाया ऋण तथा ब्याज की धनराशि की जांच सम्प्रेक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

उपरोक्त बातें सरकार को सितम्बर 1988 में प्रतिवेदित की गयीं थीं; उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1989) ।

वि अ महाजन

लखनऊ
दिनांक

(वि0 अ0 महाजन)
महालेखाकार (सम्प्रेक्षा)-II,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिहस्ताक्षरित

त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

नई दिल्ली
दिनांक

(त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

पी० एस० यू० पी०-II A.G-31.7.89-1825 Bks (Offset)